CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

INDEX SHEET

CAUSE TITLE TA. No. 1727/87 (L) WP No. 1334/85 OF

NAME OF THE PARTIES J. P. Jain ....Applicant

Versus

U.O.I. & ors. ....Respondent

Part A.

Sl.No.	Description of documents	Page
1	order sheet	A1 to A3
2	Judgment order dt. 21-11-92	A4 to A6
3	Writ Petition with Affidavit/Annexure	A7 to A71
4	Power	A72
5	C.M.A. No 3820	A73 to A75
6	C.M.A. No. 4046	A76 to A79
7	C.M.A. No. 13,160	A80 to A82
8	Delay Condonation/Counter Affidavit	A83 to A96
9	Rejoinder Affidavit	A97 to A102
10	Part (B)	
11	(+) C.M.A. No. 140705 any Paper	A1 to A170
12		A171 to 172
13		
14		
15		
16		
17		
18		

CERTIFICATE

Certified that no further action is required to taken and that the case is fit for consignment to the recoord room (decided)

The open file received from record room without recheck on Dated 06-9-11 Basta.

Counter Signed.......

Section Officer/In charge

Signature of the Dealing Assistant

TA 1727-07 (T)

6.11.90

Hon. Mr. M.Y. Priolkar. AM.
Hon. Mr. D.K. Agrawal. JM.

Due to resolution of Bar Association case is adjourned to 23.11.90.

23.11.90 Case not reached adjourn to 3.1.91 for hearing

B.O.C.

OR
Notice was issued on 24.4.90 as per court's order dt. 17.4.90. Neither reply nor any unserved regd. cover has been return back.

S. P.A

3.1.91 - No sitting Adj to 19.2.91.

B.O.C.

19.2.91 - No sitting Adj to 3.5.91.

3.5.91 No sitting adj to 29.7.91

29.7.91 No sitting adj to 11.9.91

11-9-91 No sitting. Adj. to. 7-11-91

7.11.91. Case not reached. Adj to 27.1.92

CA filed.
No RA filed
S.P.A.R

13/1

Serial Number of Order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How complied with and date of compliance
14/12	No sitting Adj to 27.2.90 [illegible] None is present for the parties [illegible] 14/12	
	Office Report Due to shortage of stamps ordinary notices be issued to opposite parties on rate restored costs, the learned counsel be informed by registered post alongwith the CPs 1 to 4. [illegible]	[illegible] 24/2/90
27.2.90	Hon. Justice K. Nath, V.C. Hon. K. J. Raman, A.M. No one is present on behalf of the applicant. Dr. D. Chandra has made appearance on behalf of all the respondents. It appears that notices could not be issued to the applicant. Let notices be issued now to the applicant by name as well as to his counsel. List for further orders on 17.4.90. A.M. V.C.	P.S. to V.C. OR [illegible] 20.[illegible] Case is [illegible] CA RA not [illegible] CPs [illegible] available hence notice could not be issued OR notice issued 6/3/90
		OR Notice were issued to the applicant as well as his counsel. No unserved copy are with [illegible] S.O.

Dinesh

15.9.92

Hon. Mr. Justice V.C. Srivastava, V.C.
Hon. Mr. K. Obayya, A.M.

Sri Har Guru Charan, Advocate, Counsel for the Applicant seeks and is allowed 4 weeks time to file Rejoinder affidavit. List this Case on 6.11.92 for hearing.

A.M.

V.C.

O.R.

R.A. filed.

6.11.92 No sitting of D.B. adjourned to 21.11.92

S.F.O.

5/11/92

19/11/92

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL LUCKNOW BENCH LUCKNOW

Transfer Application No. 1727 of 1987(L)

Jiwan Prakash Jain . . . . . Applicant

Versus

Union of India & Others . . . . . .Respondents

Hon'ble Mr. Justice U.C. Srivastava,V.C.

Hon'ble Mr. K. Obayya, Member (A)

(By Hon'ble Mr. Justice U.C.Srivastava,VC)

The applicant, who entered in All India Radio, as a Shift Assistant, which name was later changed to Engineering Assistant in the year 1959. He was given an Adhoc appointment as Assistant Engineer in the year 1970 and joined as such in New Delhi. From there he was transferred on 1.7.1972 to the T.V.Station,Radio Station,Sri Nagar,Kashmir for whidh he was required to have six months training and he was confirmed as S-enior Engineer Assistant on 17.2.1973. Although, he was working as Assistant Engineer w.e.f. 9.2.1973. In February 1975, he was transferred to Amritsar. The Additional Chief Engineer for the Director General Communicated the 'adverse entry' in the year 1975. The applicant made a representation for expunction against the same. Again an adverse entry was communicated in the year 1978 The representations filed by the applicant against these adverse remarks were allowed and adverse entries were expunged on 27.2.1979 and 20.12.1978 respectively. In the year 1978, the applicant's case also came up for consideration with the Departmental Promotion Committee, which did not find him fit for promotion, may be, because adverse entry till then was sustained.

Contd..2/-

In the year 1981, he was again considered for promotion by D.P.C. and was promoted to the post of Assistant Engineer w.e.f.12.3.1981, but as the adverse remarks in the year 1975 and 1976 were expunged. The respondents called another Departmental Promotion Committee in the year 1983 by circulation to review the proceeding of the D.P.C. held in 1978. The D.P.C. also found him fit for promotion but as lower grading was given to him. The applicant was placed below one D.L. Narang and above Sri Subhash Chandra in the selection panel and that's why notional seniority alone was given to him with effect from the date when his next junior from the select panel of the year 1978 namely Sri Subhash Chandra had taken over as Assistant Station Engineer i.e. from 16.6.1980, as the applicant though was given a low grading that's why he was not promoted with effect from the year 1978.

2. The applicant's grievance is that the persons who were junior to him, particularly I.M. Sudan, who was next junior to him was promoted w.e.f. earlier date, but the applicant has wrongly been deprived of the promotion w.e.f. the due date. The grievance of the applicant in this behalf that his seniority position has been wrongly lowered down and 82 persons have been placed before him, although, they were juniors and seniority can not be disturbed merely because he was passed over in the year 1978. Again a seniority list was issued in the year 1981, which was not acceptable to him, and the applicant filed a representation which was allowed and his position was 357 in place of 352 and in view of the Indian Broadcasting(Engineers) Service Rules 1981 and its amendment dated 13.9.1982, the applicant should have been placed before I.M. Sudan

Contd..3/-

5. I M Soudan
6. Vinaya Kumar Bhatia
7. R B Ram
8. Ashwani Kumar Dixit
9. M. Sricharan
10. S. Stari
11. Tejinder Pal Singh
12. Bharat B. Sharma
13. V. P. Mangla
14. P. V. Issac
15. L. Vasu
16. C. B. Pillay
17. A. P. Santara
18. V. Sriniwas murty
19. D.R. Khanna
20. M. M. Mehta
21. Mahesh Chandra
22. Virendra Kumar Jain
23. Satish Gupta
24. N. Swaparkasan
25. Jai Parkash Nathani
26. T.S. Sukhara Rao
27. K. Balakrishnan
28. R.V. Rao
29. Sudhir Ranjan Ghosh
30. Anil Kumar
31. T.C. Ramdorai
32. C.V. Ramakrishnan
33. Ishwar Singh
34. Subarata Kumar Adak
35. R.K. Taneja
36. D. Harnath Baba
37. Nisar Ahmed Khan
38. Khajammoddin A.
39. S Jayaramar
40. A V. Aroboti
41. R. Narsimhaswamy
42. Rama Kant Panday
43. A. Chakraborty
44. K.C. Vijayan
45. K. Narayanamurthi
46. Ravindra Kumar Saxena
47. Virendra Pal Singh
48. L. Mananathan
49. V H I Subramaniun
50. M. Karthikeyan
51 Bhola Nath
52 T. Rajagopalan
53 B. Srikumar
54 M. C. Joshi

55. S.P. Chopra
56. S.V. Konkal
57. S.K. Moorjani
58. D D. Bhardwaj
59. Ved Rattan
60. G.K. Thomas
61. S.C. Garg
62. V.K. Pathak
63. A.R. Swaminathan
64. V.K. Gupta
65. B. Banerji
66. H.S. Bawa
67 S.C. Das
68 T.R. Mehta
69 V.S Prasad
70. A. Natrajan
71 Raj Kumar Garg
72 J.P.S. Arora
73 K.C. Batra
74. M.P.N Singh
75. R Srinivasan
76. S.K Chatterji
77. Madan Lal
78 R.K. Rao
79 NVRS Raju
80 Sri S.K. Patil
81 SLK Rao
82 O.P. Goel
83 J.P. Bhaskaran
84 Madan Mohan Thoman
85 V. Rajalingam
86 D L. Narang.

J P Jain

A/9

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

W.P. 1334-85

Writ Petition under Article 226 Constitution of India

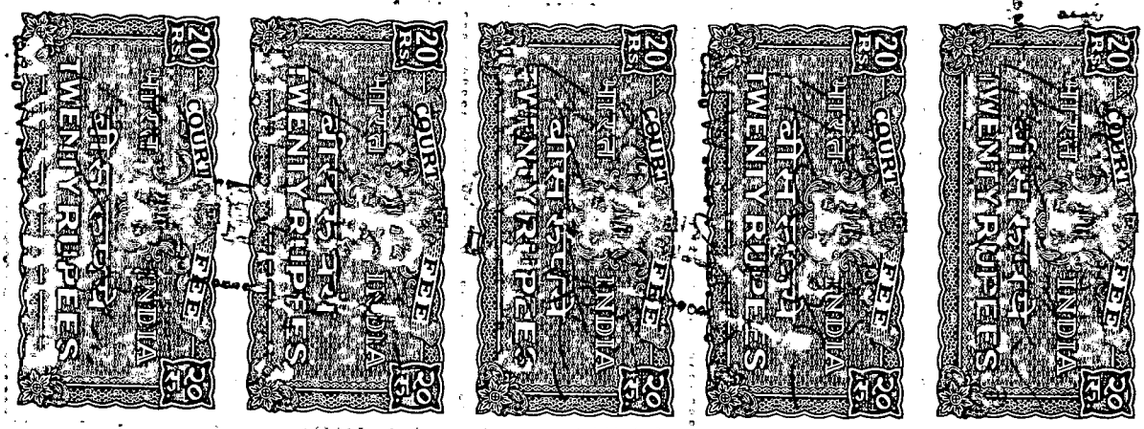

5 cf = 100/ 26.3.85

Jiwan Prakash Jain, Assistant Station Engineer, Doordarshan Kendra, Lucknow, son of Shri M.P.Jain, resident of MC 20 Sector 'C' Aliganj, Lucknow.

PETITIONER

Versus

Parties added under Court order dated 31.10.1985

1. Union of India, through the Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

2. The Director General of ~~India~~ All India Radio New Delhi

3. The Director General Doordarshan, Mandi House, New Delhi.

4. The Secretary, Union Public Service Commission, Shahjahan Road, New Delhi.

OPPOSITE PARTIES

The petitioner most respectfully begs to submit as under:-

1. That the petitioner, after doing his B.Sc. from Punjab University in 1959 joined All India Radio, as a Shift Assistant (which name was later changed to Engineering Assistant) He was given a training for six months from 29.2.1960 to 24.8.1960 and then appointed on the said post vide letter of

appointment dated 24.8.1960, a true copy of which is filed herewith as Annexure No.1

2. That since the petitioner had been posted at Rajkot, in the state of Gujrat, he took joining time and joined his post at Rajkot on 1.9.1960.

3. That the probationary period of two years of the petitioner was terminated on 31.8.1962. The petitioner on 31.3.1964 was informed that in supression of the order dated 2.12.1960, by which the joing of the petitioner at Rajkot had been recorded, his training period had also been added to his service period.

4. That from Rajkot the petitioner was transferred to High Power Transmitter Khampur in 1963, where the petitioner remained till 1968. During this period the petitioner acquired the additional qualification "Grad.I.T.E." which means the gradua tion of the Institution of Telecommunication Engineers. The Director General All India Radio opposite party no.2 had made a note of it in the record vide true copy of the letter dated 6.4.1968 filed herewith as Annexure No.2 Before this on 1.3.1967 the petitioner had also been promoted to the post of Senior Engineering Assistant in All India Radio.

5. That on 28.9.1968, in view of his transfer to All India Radio, Calcutta(Commercial Service), the peti tioner was relieved from Khampur, and he joined on his new assignment at Calcutta in October, 1968.

6. That vide notification published in Part III Sec tion I of the Gazette of India, the petitioner was promoted and given adhock appointment as Assistant Engineer, and in that capacity, the petitioner joined at the Regional Engineer (North) All India Radio, New Delhi on 24.9.1970. The petitioner was transferred on 1.7.1972, to the TV Station, Radio Station, Sri Nagar, Kashmir for which the petitioner was req uired to have six months training in TV Training Centre, Mandi House, New Delhi. The petitioner finally joined at Srinagar in January 1973.

A/11

7. That on 17.2.1973, the petitioner was confirmed as Senior Engineering Assistant , even though by that date, the petitioner was working as Adhock Assistant Engineer. On 9.2.1973 under the orders of the Director General, All India Radion, the services of the petitioner as Assistant Engineer which were adhock were made Temporary with effect from 31.1.1973.

8. That in February 1975, the petitioner was transferred to TV Centre All India Radio, Amritsar and vide July 1975 order, the probationary period of the petitioners service was terminated from 31.1.1975.

9. That on 10.6.1976, Shri S.N.Mitra Additional Chief Engineer for the Director General communicated the 'adverse entry' made in the 'service book' of the petitioner in the year 1975, when the petitioner was posted at Amritsar. The 'adverse entry' was to the following effect:-

> "He is a knowledgeable Engineer, but in general matters he is too fussy and has on a number of occassions behaved in a very irresponsible and uncooperative manner and acted contrary to the interest of service."

10. That on representation made by the petitioner the aforesaid 'adverse entry' was expunged on 27.2.1979 A true copy of the order expunging 'adverse entry' is filed herewith as Annexure No.3

11. That in the mean time Seniority List of the Assistant Engineers was prepared and published. In the said list, the petitioner was placed at serial no.30. A true extract copy of the relevant portion from the said list concerning the petitioner and the present writ petition is filed herewith as Annexure No.4

12. That the said Seniority List was challanged by Shri T.R.Mehta Assistant Engineer at serial no.104 in the list, before the Honourable High Court of Judicature New Delhi in Civil Writ Petition No.491

of 1977 on which notices were ordered to be issued on 27.7.1977. The petitioner was no party in the said writ petition. Following exparte stay order had been obtained by Shri T.R.Mehta the petitioner in that writ petition:-

> "Heard, Respondents 1 to 3 are free to make the promotions on the basis of the impugned seniority list, but the promotions that may be made will be subject to the result of the Writ Petition. Respondents 1 to 3 are directed to make it clear in the promotion orders. No costs."

13. That in the Writ Petition No.491 of 1977 aforementioned opposite party no.1 was the Union of India, opposite party no.2 was The Secretary Government of India, Cabinet Secretariat, Department of Personel, New Delhi and opposite party no.3 was the Director General All India Radio, New Delhi

14. That the persons above the petitioner in the said seniority list have been promoted to the post of Assistant Station Engineer, except such who had dropped or were dropped, subject to the final decision of the writ petition. A true copy of promotion letter dated 25.5.1978 promoting 62 persons including those junior to the petitioner is filed herewith as Annexure No.5

15. That the petitioner was not promoted on account of the fact that there were adverse entries in his service book in the year 1975 referred above. and in 1976, which had not been communicated to the petitioner. The entry for the year 1975 which had been communicated to the petitioner on 10.6.1976 had been expunged on 27.2.1979 after the promotion order of 25.5.1978.

16. That the adverse entry for the year 1976 was communicated to the petition in February 1978 and the same was ordered to be expunged by the Director General Doordarshan New Delhi on 20.12.1978. A true copy of the order expunging the adverse entry is filed herewith as Annexure No.6 Thus there was no

hinderence for the promotion of the petitioner and like all others promoted, the petitioner could also have been promoted to the post of Assistant Station Engineer, specially in preference to his juniors in the seniority list.

17. That on 21.3.1979 after waiting for his promot ion order, the petitioner submitted his representat ion to the Director General All India Radio, New Delhi, opposite party no.2, requesting him to promote the petitioner with retrospective effect. A true copy of the representation is filed herewith as Annexure No.7 The petitioner was not favoured with any reply to his representation.

18. That on the recommendation of the Direct Promotion Committee better known as DPC on 3.2.1981 the peti tioner was promoted to the post of Assistant Station Engineer and his name was at serial no.2 of the Promotion List. A true copy of the order is filed herewith as Annexure No.8 The petitioner joined on his promotion post on 12.3.1981.

19. That the petitioner on 20.4.1981 submitted his representation requesting that his promotion should have been made in accordance with seniority list at the appropriate place. A true copy of the repre sentation made to the Director General All India Radio, New Delhi opposite party no.2 on 20.4.1981 is filed herewith as Annexure No.9

20. That receiving no reply the petitioner submitted reminder on 16.6.1981 and then submitted his repre sentation to the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting New Delhi on 4.9.1981 with reminder on 24.10.1981 and 20.1.1982. A true copy of the representation dated 24.9.1981 is filed herewith as Annexure No.10

21. That the petitioner received reply from the

Director General, All India Radio, New Delhi on 6.3.1982. A true copy of the same is filed herewith as Annexure No.11 The main point to be noted in the reply is that while the Direct Promotion Commi ttee had selected the deponent in 1978, he was promoted in the year 1981 yet it was stated that there was no injustice to the petitioner.

22. That the petitioner on 8.4.1982 requested for supply of the merit list drawn for promotion to the post of Assistant Station Engineer during 1978. A true copy of the letter of request is filed herewith as Annexure No.12

23. That a tentative seniority list along with a memorandum of Assistant Station Engineers was circulated on 1.4.1982 and the petitioners name in the said seniority list was shown at position No.357. Para 2 of the memorandum dated 1.4.1982 lays down the principles on which seniority list is prepared. A true copy of the relevant portion of the Draft Seniority List is filed herewith as Annexure No.13 The petitioner on 20.5.1982 complained against the list circulated as the same was contradictary to the reply received by the petitioner on 6.3.1982. A true copy of the representation made by the petitioner on 20.5. 1982 is filed herewith as Annexure No.14

24. That the petitioner received reply in respect of his representation dated 20.5.1982 from the Directorate of All India Radio on 31.5.1982 wherein it was mentioned that the fixation of seniority in respect of the petitioner J.P.Jain Assistant Station Engineer had been taken up in the Ministry A true copy of the reply dated 31.5.1982 is filed herewith as Annexure No.15

25. That the petitioner also received a reply in respect of his representation dated 8.4.1982 on 23.9.1982, wherein it was mentioned that the case of the petitioner had already been taken up and the decision of the Ministry is awaited. A true copy of the reply is filed herewith as Annexure No.16

26. That the petitioner again sent a reminder on 3.5.1983 in which it was mentioned that name of the petitioner in the seniority list of 1.4.1982 should exist at position no.270 and not 357 i.e.raising of the seniority by 87 positions.

27. That the Ministry of Information and Broadcasting New Delhi issued an order on 18.11.1983 wherein the seniority of the petitioner was raised above Shri Subhash Chandra at the position No.352 in the senior ity list i.e. the petitioner was placed at position No.352 in place of No.357. A true copy of the order dated 18.11.1983 is filed herewith as Annexure No.17

28. That the petitioner represented against the said order of the Secretary Ministry of Information and Broadcasting on 4.2.1984 requesting him to place the petitioner at his proper place above Shri I.M. Sudan at position no.270 as others below Shri I.M. Sudan were junior to the petitioner in the seniority list of Assistant Engineers circulated in the year 1977 by the Director General All India Radio, New Delhi taking into account the principle laid down in para 2 of Memo dated 1.4.1982. The petitioner had also enclosed an extract from a circular of the Home Ministry governing such cases. A true copy of the representation filed by the petitioner on 4.2. 1984 is filed herewith as Annexure No.18 The petit ioner also submitted reminders on 26.3.1984 and 16.5.1984 requesting for an early decision in the matter.

29. That the petitioner got a reply from the Director General All India Radio, New Delhi on 30. 5.1984 by which the representation of the petitioner dated 4.2.1984 was rejected. A true copy of the order is filed herewith as Annexure No.19

30. That on 18.8.1984 the petitioner was transferred to Doordarshan Kendra Lucknow, where he has joined on 31.8.1984.

31. That on 10.10.1984 the petitioner submitted his appeal to the President of India against the order passed by the Director General All India Radio New Delhi rejecting the representation of the petitioner on 30.5.1984, praying that his seniority be restored to its proper position in accordance with his seniority. A true copy of the memo of his appeal dated 10.10.1984 is filed herewith as Annexure No. 20

32. That from the Presidential Secretariate the petitioner was informed by a letter that the case of the petitioner had been forwarded to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. In fact this was wrongly done, because the Chief Secretary Government of Uttar Pradesh had nothing to do in the matter.

33. That on 7.1.1985 the petitioner again submitted his appeal to the President of India requesting him that the case of the petitioner referred to the Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi and the same had nothing to do with the Chief Secretary , Government of Uttar Pradesh, Lucknow. A true copy of the submission of the petitioner dated 7.1.1985 is filed herewith as Annexure No. 21

34. That the appeal was acknowledged by the Presidential Secratariate indicating the petitioner that his appeal had been forwarded to the Secretary Ministry of Information and Broadcasting New Delhi A true copy of the acknowledgement is filed herewith as Annexure No. 22 Photostat Copies of Service Rules are Annexures 23 and 24

35. That the petitioner has reasons to believe that Direct Promotion Committee is going to meet and select candidates for promotion and in case the petitioners position is kept at No. 352 in place of 270 the persons junior to the petitioner shall be promoted

36. That in the case of Malcom Lawrence Cecil D'souza Versus Union of India and others reported in 1976(1) SCC page 599 it has been held in matters of claiming

seniority there should be no delay and laches, as the same is likely to result in administrative complica tions and difficulties. The petitioner in such matter has to act with due diligence and promptitude, and not sleep over the matter.

37. That in the ordinary course the petitioner should have been promoted to the post of Assistant Station Engineer in 1978 and not 1981 and that his position in the seniority list should be at No. 270 and not 352. The action of opposite parties in not accepting the contention of the petitioner is arbitrari and violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India.

38. That even if the time taken in making represen tations to the appropriate authorities is to be excluded vide Hariyana State Electricity Board Versus State of Punjab(1972) 7 S.L.R.page 540, it has been pointed out by the Honourable Supreme Court that a person aggrieved by the orders promoting his juniors over his head should approach within six months or year and he should not try to unsettle the settled matters P.S.Sadashivswamy Versus State of T.N. 1975 (1)SCC 152. There are many other cases N.S.Mehta Versus Union of India 1977(3) SCC 260 P.C.Menon Versus A BalKrishna 1977 (3)SCC 255 Har Swarup Versus General Manager Central Railway 1975 (3)SCC 621 Piare Lal Versus Union of India 1975(4)SCC 76 K.V.Rajlakshimi Setty Versus State of Mysore AIR 1967 SC 993 Rabindra Nath Bose Versus Union of India 1970(1)SCC 84 State of Orissa Versus Arun Kumar Patnaik 1976(3) SCC 579 in which emphasis has been laid for approaching this Honourable Court at the earliest.

39. That the petitioner having no other alternate adequate remedy available prefers this writ petition, on the following among other grounds:-

P.T.O. for the GROUNDS

G R O U N D S

1- Because opposite parties have acted illegally and arbitrarily in revising the seniority list and placing the petitioner at position 357 later changed to 352.

2- Because 82 persons still placed over the petitioner in the seniority list are juniors to the petitioner.

3- Because adverse entry in the service record of the petitioner in the years 1975 and 1976, which have been expunged cannot be taken into consider ation for depriving the petitioner of his legal rights and seniority in service.

4. Because in matter of employment, there is a dis cremination against the petitioner , thus there is violation of Article 14 and 16 of the Consti tution of India.

5. Because by loss of position in seniority the petitioner has been put to a loss of not only status , but financial loss as well as oppurtun ity for furthur promotion.

6. Because the case of the petitioner cannot be defeated merely on the ground that in 1978 he was passed over for promotion due to adverse entry one of which was not even communicated and both of which have ultimately been expunged

7. Because no reasons have been assigned by opposite parties for revising the seniority list and placing the petitioners below his 82 juniors.

8. Because no reasons have been assigned in rejecting the representations of the petitioner, and action of the opposite parties even if administrative is justiciable.

9. Because the petitioner has got a legal right and opposite parties have got a legal duty to place the petitioner at the correct place in the

9. seniority list and give promotion to the petitioner from 1978 and not 1981, as even juniors to the petitioner we re promoted on 25.5.1978

10. Beca use in view of Annesure A to Annexure No.10 para 2 and 4 as quoted therein, after expunction of the adverse entries against the petitioner, the said fact should have been immediately brought to the notice of Departmenta l Promotion Committee.

11. Because the seniority list of 1981 was not acceptable to the petitioner who had submitted his representation and his representation having been allowed and the petitioner from position having 357 was placed to 352 and in view of Annexure No. 23 Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules 1981 and its amendment dated 13.9.1982 Annexure No.24 the petitioner should have been placed before Shri I.M.Sudan at position No. 270(See Para 7(2) at page 5 of Annexure No. 23 and para 2(c) at page 1 of Annnexure No. 24)

12. Because once the D.P.C. had selected the petitioner for promotion as Assistant Station Engineer in 1981 according to the para 2 and 4 of Annexure A to Annexure No.10 Para 2 and 4 the petitioner should have been given notional promotion from 31.5.1978 when Shri I.M.Sudan next junior to the petitioner had been promoted alongwith 62 others vide Annexure No. 5.

13. Because the aforesaid Rules under Article 309 of the Constitution of India having been enforced from 5.11.1981 all other Rules on the subject stood repealed vide section 16 at page 8 of AnnexureNo.23 and the petitioners case was to be decided accordingly.

14. Because the petitioners cannot get the required relief in any appeal or representation according to the Rules applicable in the case.

15. Because in any view of the matter the petitioneris entitled to relief under Article 226 of the Constitution of India.

P R A Y E R

Wherefore the petitioner most humbuly and respectfully prays for following reliefs:-

(a) That a writ of Mandamus be issued against opposite parties commanding them to place the petitioner at position No. 270 in the Seniority List and not at No. 352 i.e. below 82 persons junior to the petitioner, I.M. Sudan and other .

(b) That opposite parties be commanded to give notional promotion to the petitioner from 31.5.1978 in accordance with law, and pay all arrears of salary due to the petitioner between 31.5.1978 and 11.3.1981.

(c) That any suitable writ, direction, or order which is deemed fit and proper under the facts and circumstances of the case in favour of the petitioner against opposite parties, be passed or issued.

(d) That costs of this writ petition be decreed in favour of the petitioner, against Opposite Parties.

Harguru Charan
(Harguru Charan)
Advocate
Counsel for the petitioner

Lucknow
Dated .3.1985

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

Writ Petition No. of 1985

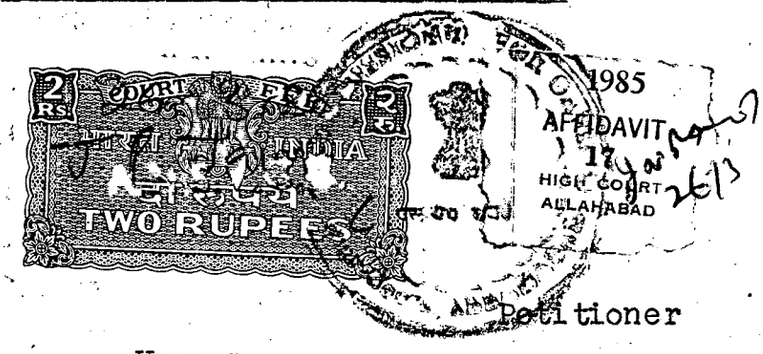

J.P.Jain ... Petitioner

Versus

Union of India and 3 others ... Opposite Party

AFFIDAVIT

I, Jiwan Prakash Jain, aged about 46 years son of Late Shri M.P.Jain, resident of MIG 20 Sector 'C' Aliganj, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That contents of para 1 to 35 of the writ petition are true to the knowledge of the deponent who is petitioner in the writ petition.
2. That Annexures No. 1 to 22 have been compared by the deponent from their originals and the same are certified to be their true copies.

(J.P.JAIN)
DEPONENT

Dated 26.3.1985

I, the aforesaid deponent do hereby verify that contents of para 1 and 2 of this affidavit are true to my knowledge. No part of the affidavit is false and nothing material has been concealed so help me God.

(J.P.JAIN)
DEPONENT

Dated 26.3.1985

I identify the deponent, who has signed before me.

26-3-85

Umesh Chandra Joshi, Clerk to Shri Harguru Charan Advocate, High Court, Lucknow.

Solemnly affirmed before me on 26.3.1985 at 9.30 AM/PM by the deponent Shri J.P.Jain who has been

14

ANNEXURE - 1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO.. OF 1985

J.P.JAIN ....PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS........................... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO.

NO: 3/20/60-SIII. Dated: the 23.8.60 24 New Delhi.

MEMORANDUM

Shri..Jiwan Parkash Jain..... is offered a temporary post of Shift Assistant in All India Radio on the minimum the time of seale of Rs.160-10-330-EB-15-390 or any other time scale admissible, on the following terms and conditions. He will be permitted to elect the above mentioned existing scale of pay.

a) The post is Central Government Class III.

b) The post is, at present, temporary but is likely to continue indffinitely.

c) He will be on trail for a period of two years with effect from the date of joining the post under this memorandum. This period may be extended or curtailed at the discretion of the appointing authority.

d) He will be liable to be transferred to any place in India.

e) He will give the declaraton in the form enclosed and in the event of his having more than one wife living, the appointment will be subject to his being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf. In the vent of a declaration being found to be incorrect after his appointment, he will be liable to be dismissed from serbice.

f) He will have to take an oath of allegiance to the Constitution of India in the preseribed form. This oath will be taken at the time of joining.

g) The appointment can be terminated:-

(1) WITHOUT NOTICE

i) during or at the end of the period of trial.

ii) if guilty of insubordination, intemperance or other misconduct or if so required under any of the provisions of rules pertaining to the service for the time being in force.

iii) if medically unfit.

(2) BY ONE MONTH'S NOTICE:

If in the opinion of the Government he, at any time, proves unsuitable for the efficient per-formance of his duties.

Contd...2/-

(3) BY THREE MONTH'S NOTICE:

On either side without cause being assigned.

Provided that in the case of (2) and (3) above, Government may, in lieu of notice, give a sum equivalent to the amount of pay for the period by which the notice falls short of the prescribed time.

h) He will be liable to transfer, at any time, to service under a public Corporation and on such transfer he will be liable to the conditions of service to be laid down for the employees of t hat Corporation.

i) The appointment is subject to his being declared physically fit by a Civil Surgeon or a Distr ict Medical Officer or a Medical Officer of Equivalent status. He should produce this certicicate of physical fitness from the said authority, at the time of joining duty.

ii) No travelling allowance or joining time will be admissible for joining the post.

iii) His appointment is subject to the conditions precribed in the bond executed by his as a Shift Assistant Trainee.

If the offer is acceptable to Shri ....Jiwan.Prakash.Jain..... he should intimate his acceptance to the undersigned and report for duty as Shift Assistant to the A ssistant ~~Station Director~~/ All India Radio, ...Rajkot. ..... on the 25th August 1960 or as soon thereafter as possible but in any case not later than the 8th September 1960.

(Kailash Nath)
Deputy Director of Administration,
for Dy.Director General(Admn)

TO

ShriJiwan prakash Jain
Shift Assistant Trainee,ESD
A ll India Radio
New Delhi.

ANNEXURE-2

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

NO. 13/38/67-SIV

Dated New Delhi, 6-4-68
17th Chaitra, 1890 Saka.

MEMORANDUM

Reference Engineer-in-charge, High Power Transmitter, Khampur' s letter NO.21/119/63-S/1668, dated 8-4-1968.

The grade I.T.E. qualifications since acquired by Shri J.P.Jain, Senior Engineering Assistant have been noted in this Directorate.

Sd/-(P.R.Bose)
Section Officer
for Director General

The Engineer-in-Charge,
High Power Transmitters,
All India Radio,
Khampur,Delhi.

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE ENGINEER-in-CHARGE
HIGH POWER TRANSMITTERS, ALL INDIA RADIO

NO: 21(119)/63-S/45

Khampur, P.O.Alipur, Delhi.36
Dated: 18th April, 1968

Forwarded to Shri J.P.Jain, SeniorEngineering Assistant for information.

(R.P.SAXENA)
ADMINISTRATIVE OFFICER,
FOR ENGINEER-IN-CHARGE.

ANNEXURE- 3

A/24

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.
WRIT PETITION NO..... OF 1985
J.P.JAIN ..... PETITIONER
VERSES
UNION OF INDIA AND OTHERS .... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DOORDARSHAN: LUCKNOW.

NO; DTCL/15(16)/79 Dated the, 27.2.79

MEMORANDUM

Reference representation dated 6.1.79 from Shri J.P.Jain, Asstt. Engineer for the expunction of adverse remarks from his confidential reports for the year 1975 communicated to him vide DG, AIR Memo NO.A-28013/28/76-CS dated 10.6.76.

2. Shri Jain is informed that the representation has been accepted by the Director General, Doordarshan and it has been decided to expunge the adverse remarks from the confidential report for the year 1975 of Shri J.P.Jain, Asstt. Engineer.

Sd/-
(MUNIR ALAM)
DY.DIRECTOR OF PROGRAMME
for DIRECTOR

Shri J.P.Jain,
Asstt. Engineer,
Doordarshan
Lucknow.

18

ANNEXURE-4

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BENCH,LUCKNOW

WRITE PETITION NO.................................OF 1985

J.P.JAIN ....PETITIONER

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS .... OPPOSITE PARTIES

DIRECTORATE GENERAL:ALL INDIA RADIO

SENIORITY LIST OF ASSISTANT ENGINEER,ALL INDIA RADIO AS ON 1-1-77

S.No.	Name of Officer	Date of birth	Date of first appointment in AIR	Details of post held in AIR	Post in which permanent	Whether SC/ST	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	S/Shri Ravendra Kumar Sanyal M.Tech.	21.1.49	15.6.63	AE-15-6-63	-	-	on deputation to the Min. of Petroleum & Chemical
-	-	-	-	-	-	-	-
30.	J.P.Jain B.Sc.Grade ITE	26.7.39	29.2.60	AE-29.2.60 SEA1-3-67 AE31.1.73	do	-	24.9.70
31.	I.M.Sudan, B.Sc(Hons) Grade ITE	25.12.35	25.2.60	AE-25.2.60 SEA1.3.67 AE31.1.73	do	-	-
32.	Dila Ram AMIE	2.9.44	6.9.73	AE 3.9.73	-	-	Working ASE w.e.f. 10.9.75
33.	N.Sridharan M.Sc.	14.12.47	19.9.73	AE-19-9-73	-	-	-
34.	Subhash Chandra B.ScGrade ITE	9.6.38	25.2.60	EA-25.2.60 SEA-1-3-67 AE31.1.73	SEA	-	8.9.70
35.	V.P.Mangla B.Sc.GradeITE	25.3.36	27.8.60	EA-27-8-60 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	30.8.70
36.	P.V.Issax B.SX.Grade ITE BIRE	19.11.35	26.2.60	EA-26-2-60 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	-
37.	S.Hari B.Sc.(Engg)	23.8.47	10.10.73	AE-10-10-73	-	-	- -
38.	Surendra Kumar Sharma(B.E.)	31.8.48	8.8.73	AE-8-8-73	-	-	-
39.	A.P.Santra B.Sc.(Hons) Grade ITE	1.4.36	3.3.60	EA-3-3-60 SEA-15-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	23.9.70
40.	C.R.Srinivasan B.Sc.Grade ITE	4.2.41	20.7.62	EA-20-7-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	-d0-	-	3-10-70

41.V.Srinivasa Murthy,B.Sc AMIE	24.4.41	24.8.61	EA-24-8-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	-do-	-	8-9-70
42.Radhey Shyam Tewari,Msc (Physices with Electronics)	30.12.49	5.9.73	AE-5-9-73	-	-	-
43.Narender Mohan Mehra M.Sc.(Physics)	6.9.49	1.10.73	AE-1-10-73	SEA	-	-
44.S.K.Mal B.Sc.(Hons) Grade ITE	18.11.47	22.7.61	AE-22-7-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	-
45.H.K.D.Nagpal B.Sc.Grade ITE	15.2.40	15.6.61	EA-15-6-61 SEA1-3-67 Ae-31-1-73	-do-	-	Ad-hoc AE w.e.f. 14.9.70 working as ASE w.e.f. 9.9.75
46.N.Sivapraka-san B.Sc.(Hons) Grade ITE	2.8.36	19.6.61	EA-19-6-61 SEA-27-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	-
47.Mahesh Chandra B.Sc.(Elec. Engg.)	15.11.49	30.8.73	AE-30-8-73	-	-	-
48.M.R.Nagaraja B.Sc.GradeITE	19.1.43	1.12.65	EA-1-12-65 SEA-17-7-72 AE-3-9-73	-	-	26-2-73
49.K.Balakri-shanan Grade ITE	8.6.39	1.6.61	EA-1-6-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	25.9.70
50.T.V.Satyanarayanan R.O.B.Sc- Grade ITE	4.10.34	12.6.61	EA-12-6-61 SEA-6-3-67 AE-31-1-73	SEA	-	24.9.70
51.T.C.Ramderal B.Sc.Grade BIRE	3.6.35	20.7.61	EA-20-7-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	-do-	-	9.9.70
52.Swatantra Kumar Sharma,AMIE	19.8.38	28.8.73	AE-28.8.73	-	-	-
53.Ramesh Chand Gupta B.Sc.Grade ITE	28.3.44	17.8.73	AE-17-8-73	-	-	-
54.C.V.Ramakrishan B.Sc.Grade ITE	27.6.39	17.6.61	EA-17-6-61 SEA-1-3-67 AE-31-173	SEA	-	28-9-70
55.B.K.Taneja B.Sc.Grade ITE	28.1.37	7.7.61	EA-1-6-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	-do-	-	26.11.70
56.S.Raghunathan B.Sc.AMIE	15.7.38	7.7.61	EA-7-7-61 SEA-13-3-67 AE-31-1-73	-do-	-	8-2-70
57.R.K.Srivastava B.Tele.	18.5.51	10.9.73	AE-10-9-73	-	-	Resign. w.e.f. 20.11.73
58 D.S.R.B.N.Harnath Baba,BE	5-5-50	8-10-73	AE-8-10-73	-	-	-

--3/-

59.A.V.Arabati (Radio physics & Electronics)	22.3.39	28.8.61	EA-28-8-61 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	QPEA	-	21-12-70
60.K.C.Vijayan, B.Sc.Grade ITE	9.5.35	31.7.61	EA-31-7-61 SEA-31-3-67 AE-22-3-73	SEA	-	-
61.K.Narayanamurthy B.Sc.Grade IERE	8.10.34	4.8.61	EA-4-8-61 SEA-10-3-67 AE-31-1-73	EA	-	24-12-70
62.S.Jayaraman, BE	22.10.49	27.8.72	AE-27-8-73	-	-	-
63.Virendra Pal Singh B.Tech.	15.2.49	15.10.73	AE-15-10-73	-	-	-
64.L.Ramanathan B.Sc.Grade ITE	10.6.36	6.6.62	EA-6-6-62 SEA-7-3-67 AE-31-1-73	EA	-	-
65.V.M.I.Subramanian B.Sc.Grade ITE	26.11.36	9.7.62	EA-9-7-62 SEA-1-3-67 AE-31-1-73	QPEA	-	27-11-70
66.M.Karthikeyan B.Sc.Grade BIRE	1.7.35	10.10.62	EA-10-10-62 SEA-15-5-67 AE-31-1-73	QPEA	-	23-12-70
67.Jai Prakash Gupta B.Sc.(Engg.)	10.7.50	3.10.73	AE-3-10-73	-	-	-
68.Bhola Nath B.Tech.	4.9.48	4.9.73	AE4.9.73	-	-	-
69.John George B.Sc.Grade ITE	2.3.40	10.1062	EA-10-10-62 SEA-14-8-67 AE-31-1-73	-	-	31.10.70
70.T.Rajagoplan B.Sc.AMIE	15.5.38	22.8.63	EA-22-8-63	EA	-	9.12.70
71.D.K.Bose, B.Sc.AMIE	26.3.36	3.12.63	EA3.12.63 SEA 9.9.68 AE-31-1-73	QPEA	-	-
72.B.Srikumar B.Sc.AMIE	3.10.42	1.3.63	EA-1-3-63 SEA-27-9-68 AE-10.10-73	QPEA	-	-
73.B.Sita Ram, BE(Electronics)	10.6.48	3.9.73	EA-3-9-73	-	-	-
74.V.Vaidyanathan M.Sc.(Physics)	4.3.39	18.6.63	EA-18-6-63 SEA9.9.68 AE-31-1-73	QPEA	-	4.1.70
75.M.G.Joshi, Grade ITe Dip in Radio Engineering	13.4.35	21.10.63	EA-21-10-63 SEA-1-9-68 AE-31-1-73	QPEA	-	5.12.70
76.S.P.Chopra B.Sc.Grade ITE	1.1.40	15.3.63	EA-15-3-63 SEA-4-10-68 AE-31-1-73	-do-	-	20.1.70
77.Ram Dhani Gupta BE(Electrical	15.5.49	19.9.73	AE-19-8-73	-	-	-
78.Surendra Kumar Nanda,B.Sc.(Engg)	15.4.50	22.7.73	AE-22-8-73	-	-	Resign w.e.f.28.9.75
79.S.V.Kankal B.Sc.Grade ITE	15.4.40	11.4.63	EA.11.4.63 SEA-29-11-68 AE-31-1-73	-	-	-

--4/-

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	S.K. Moorjani M.Sc. AMIE	20.6.38	10.7.63	EA.10.7.63 SEA.21.9.68 AE.31.1.73	QPEA	—	15.2.71
81.	D.D. Bhardwaj B.Sc. Grade ITE	20.2.38	8.3.63	EA.8.3.63 SEA.3.10.68 AE.31.1.73	QPEA	—	—
82.	R.K. KRISHna— MurthyAMIE	13.11.45	27.8.73	AE.27.8.73	—	—	—
83.	Vinod Kumar BE	10.9.50	15.9.73	AE.15.9.73	—	—	—
84.	Ved Rattan B.Sc. Grade ITE	12-11-40	4.4.63	EA.4.4.63 SEA.4.10.68 AE.31.1.73	QPEA.	—	—
85.	Surendra Singh B.Sc. Grade ITE	30.3.36	12.7.63	EA.12.7.63 SEA.4.1068 AE.31.1.73	QPEA.	—	3.12.70
86.	G.K. Thomas B.Sc. Grade ITE	9.6.40	4.9.63	EA.4.9.63 SEA.22.10.68 AE.31.1.73	-do-	—	—
87.	S.C. Garg, B.Sc.(Elec. Engg.)	21.8.49	28.7.73	EA.28.7.73	—	—	—
88.	Shailendra Sahai B.Tech.	21.12.50	21.2.73	AE.21.2.73.	—	—	—
89.	V.K. Pathak B.Sc. Grade ITE	8.2.41	27.5.63	EA.27.5.63 SEA.21.9.68 AE31.8.73	QPEA	—	—
90.	A.S.Swaminathan B.SC. AMIE.	24.4.42	3.7.63	EA.3.7.63 SEA.21.9.68 AE.7.2.73	—	—	—
91.	Prem Singh B.Sc. Grade ITE.	7.9.41	12.6.64	EA.12.6.64 SEA.27.8.69 AE.31.1.73	QPEA	—	—
92.	Tajinder Pal Singh, B.Tech.	9.3.50	6.9.73	A.E.6.9.73	—	—	—
93.	R.VArdarajan	5.4.51	3.9.73	AE.3.9.73	—	—	—
94	V.K.Gupta B.Sc. Grade Ite	17.8.41	1.7.64	EA.1.7.64 SEA.1.6.70. AE.31.1.73	QPEA	—	—
95.	M.SANTHANAM B.Sc.Grade ITE	1.7.37	20.7.64	EA.20.7.64 SEA.31.7.70 AE.31.1.73	QPEA	—	—
96.	B.Banerjee Grade ITE	13.3.39	26.11.58	EA.26.11.58. SEA.1.3.67 Ae.31.1.73	—	—	4.11.70
97.	A.K.Kuthiala B.Sc.(Honsin Physics)	8.7.50	14.9.73	AE.14.9.73	—	—	—
98.	A.K.Jain B.E. (Elec).	18.7.48	1.10.73	AE.1910.73	—	—	—
99.	S.Rajagopalam	13.9.38	1.12.58	EA.1.12.58 SEA.1.3.67 AE.27.2.74	—	—	15.4.72
100	H.S.Bawa Grade ITE	14.3.35	29.11.58	Ea. 29.11.58 SEA.1.3.67 A.E.27.2.74		—	—
101	S.C.Dass Grade ITE	1.3.35	26.2.59	EA.26.2.59 SEA.1.3.67 AE.27.2.74	—	—	12.10.70
102	Jagmohan Jain BE. (ELectrical).	30.6.48	13.10.73	AE.12.10.73		—	—
103	Kum. Veena. Vasudeva Khar. BE.	29.10.40	6.9.73	AE.6.9.73	—	—	—
104	T.R.mehta Grade ITE	18.11.39	3.3.60	EA.3.3.60 SEA.13.4.67 AE.27.2.74	—	—	12.10.70

A/29 22.

ANNEXURE - 5

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.
WRIT PETITION NO..... OF 1985
J.P. JAIN .... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

NO: 301/9/76-B(B)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi the 24th May,1978

Order (7/78-BD)

The president is pleased to appoint on promotion, until further orders, the following officers of the cadre of Assistant Engineer in All India Radio, to officiate in the cadre of Assistant Station Engineer with effect from the dates they takes over the charge of their respective posts in accordance with postings to be decided by the Director General, Akashvani:

S/Shri

1. Shri S.V.Vendantchar
2. L.M.Pant
3. Shri Joginder Singh
4. Narender Mohan Nath
5. R.N.Paul
6. Ram Sharma
7. P.George Mathew
8. Venkataraman
9. J.K.Sengupta
10. T.C.Jose
11. C.R.Lakshminathan
12. Kumari K.S.Saeoja
13. K.Subramanya Sarma
14. S/Shri Arvind Kumar
15. S.N.Dambal
16. P.C.Chakraborty
17. J.C.Verma
18. I.M.Sudan
19. N.Sridharan
20. S.Hari
21. V.P.Mangla
22. P.V.Issac
23. A.P.Santra
24. V.Srinivasamurthy
25. Mahesh Chandra
26. N.Sivaprakasam
27. K.Balakrishnana
28. T.V.Rao
29. T.C.Ramadorai
30. C.V.Ramakrishnan
31. R.K.Taneja
32. D.S.R.B. Harnath Baba
33. S.Jayaraman
36. K.Narayanamurthy
37. V.P.Singh
38. L.I.R.Ramanathan
39. V.M.I.Subramaniam
40. M.Karthikeyan
41. Bhola Nath
42. T.Rajagopalan
43. B.Srikumar
44. M.G.Joshi
45. S.P.Chopra
46. S.V.Konkal
47. S.K.Murjani
48. D.D.Bhardwaj

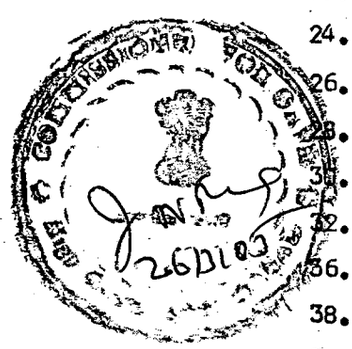

Contd...2/-

49.	Ved Rattan	50.	C.K.Themas
51.	S.C.Garg	52.	V.K.Phathak
53.	A.S.Swaminathan	54.	V.K.Gupta
55.	B.N.Bannerji	56.	H.S.Bawa
57.	S.C.Das	58.	T.R.Mehta
59.	V.S.Prasad	60.	P.Natrajan
61.	J.P.Arora	62.	M.P.C.Nair
63.	B.C.Batra		

2. The above promotions are on ad-hoc basis and are subject to the final decision of the Court in the Civil writ petition NO.491/77 filed by Shri T.R.Mehta in the Delhi High Court. The orders passed by the Delhi High Court on the above writ petition is reproduced below:-

> "Heard, Respondants 1 to 3 are free to make the promotions on the basis of the impugned seniority list but the promotions that may be made will be subject to the result to the writ petition. Respondents 1 to 3 are directed to make it clear in the promotion order NO.costs".

Sd/-
(V.KRISHANAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

ANNEXURE - 6 A/31

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN .... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS.....OPPOSITE PARTIES

ANNEXURE'I'

GOVERNMENT OF INDIA
DOORDARSHAN :LUCKNOW.

NO: DTCL/15(2)/78 Date: the 20.12.78

M E M O R A N D U M

Reference representation dated 30.3.78 from Shri J.P.Jain Asstt. Engineeer for the expunction of adverse remarks from his confidential report for 1976 communicated to him vide Directorate General, Doordarshan memo no.A-28017/1/7Vig(CR) dated 13.3.78.

Shri Jain is informed that his representation has been accepted by the Director General, Doordarshan and it has been decided to expunge the adverse remarks from the confidential report for the year 1976.

Sd/-
(M.P. LELE)
DIRECTOR

Shri J.P.Jain
Asstt. Engineer,
Doordarshan,
Lucknow.

ANNEXURE-7

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

TO,

The Director General
All India Radio,
Akashvani Bhavan,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Subject: Appeal for Promotion in view of the expunction of remarks.

Sir,

Kindly refer to Director Doordarshan kendra, Lucknow Office Memo.NO.DTCL/15(2)/78 dated 30.12.78 and NO.DTCL-15(16)/79 dated 27.3.79 communicating expunction of adverse remarks from the confidential Reports of 1975 and 1976 by the D.G.Doordarshan, New Delhi.

It is understood that during the last D.P.C. held in the month of February 1978 one place was kept, as my case for expunction of adverse remarks was pending.

Now that the remarks have been expunged it is requested that my promotion from Assistant Engineer to the post of Assistant Station Engineer, which is long over due, may kindly be given to me immediately.

Yours faithfully,

(J.P.JAIN
ASSISTANT ENGINEER,
DOORDARSHAN KENDRA
LUCKNOW.

DATED: 21st March, 1979.

ANNEXURE-8 A/33

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

NO: 301/6/78-B(D)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NEW DELHI,the 3rd Feb,81

ORDER (2)81-B(D)

The President is pleased to appoint on promotion, until further orders, the following officers of the kendra of Assistant Engineer in Akashvani to officiat in the cadre of Assistant Station Engineer with effect from the dated they take over the charge of their respective posts in accordance with the postings to be decided by the Directorate General, Akashvani.

1. Shri C.L.Sharma
2. Shri J.P.Jain
3. Shri M.R.Nagaraja
4. Shri Swantantra Kumar Sharma
5. Shri R.Raghunathan
6. Shri D.K.Bose
7. Shri B.Sita Ram
8. Shri V.Vaidyanathan
9. Shri R.Krishnamurthy
10. Shri Surendra Singh
11. Shri Shailendra Sahai
12. Shri Prem Singh
13. Shri Tajindarpal Singh
14. Shri R.S.Varadarajan

2. The above promotions are on ad-hoc basis and are subjectto the final decision of the Court in the Civil Writ petition NO.491/77 filled by Shri T.R.Mehta in the Delhi High Court. The order passed by the Delhi High Court on the above Writ petition is reproduced below:-

"Heard. Respondents 1 to 3 are free to make the promotion on the basis of the impugned seniority list but the promotion that may be made will be subject to the result of the Writ petition. Respon dents 1 to 3 are directed to make it clear in the promotion order. No. costs.

Sd/-
(V.KRISHNAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA
TELE: NO.384896

ANNEXURE- 9 A/34

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... ..... OF 1985

J.P.JAIN..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

From: J.P.jain
Asstt. Station Engineer
A ll India Radio
Lucknow.

TO

The Director General
All India Radio
Akashvani Bhavan
New Delhi-110001.

Sub: Request for the fixation of Seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer.

Sir,

With due respect I beg to submit the following lines for your favourable consideration:-

(i) That with the adverse remarks recorded in my ~~recorded in my~~ confidential report for the year ending 1975 & 1976 I could not be either considered by the D.P.C. held in Feb. 1978 or because of the adverse entries my case for promotion was rejected.

(ii) That I made representations against the adverse remarks requesting for its expunction. But before the remarks were expunged and communicated to me vide Director, Doordarshan kendra, Lucknow Memos NO.DTCL-15(2)/78 dt. 30.12.78 and DTCL-15(16)/79 dated 27.3.79 and therefore it is obvious that I could not be given promotion immediately.

(iii) That in fact my name could have been screened by the DPC immediately after the decision to expunge the remarks was taken. But the reasons best known to the department this procedure was not fallowed .

On the basis of the facts stated above my name in seniority list of Asstt. Station Engineer should necessarily exist immediately after the name of the person who was senior to me as Asstt. E ngineer at that time i.e. just before the D.P.C. Feb. '1978.

Though as per the rules I am not entitled to get arrears from that date yet the arrears accrued to me rightly and fundamentally would be from the data remarks were expunged and my seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer would be the date on which my senior was promoted during May 1978. Thus by this time my probation period of two years is authomatically over.

I may be allowed to submit further that I requested through my application dated 21/3/79 that my promotion as Assistant Station Engineer which was over due should be given immediately. This representation also remained unreplied and even not acknowledged by the Directorate. I have therefore, reason to beliebe either on the representation has been taken or it has been kept pending to given me seniority from the original date as and when I am again approved by

Contd...2/-

the D.P.C.

Should I therefore, request the favour of:-

1. Allowing me the seniority with retrospective effect in the cadre of Asstt. Station Engineer so that I may get my position in the seniority list at the appropriate place. In case this is not done which isw with in the prescribed permitted instructions I shall be losing my seniority and my juniors say about 150 will be senior to me and this will amount to a great injustice done to me.

2. Issuing instruction fot the vacation of my probationary period under which I have been placed vide Directorate Order NO.2/8/78-SIII dated 6/3/81.

I shall however one again re-iterate that my case may kindly be considered in the matter will be appreciated.

An early reply in the matter will be appreciated.

Yours faithfully,

Dated: 20/4/1981 (J.P.JAIN

Advance copy forwarded to the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi for information and necessary action.

J.P. Jain
20/10/81

J.P.Jain

ANNEXURE- 10 A/36

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

From: J.P.jain
ASSTT.STATION ENGINEER
All India Radio,Lucknow.

TO: The Secretary
Ministry of Information & Broadcasting,
Shastri Bhavan,
Lucknow.

Sub: Request for the fixation of seniority in the cadar of Asstt.Station Engineer.

Ref: My representation dated 20/4/81 and 16/6/81 to Directorate General,All India Radio,New Delhi.

Sir,

I make this urgent appeal to you, having failed to ellicit any response from Director General,All India Radio.

My case is briefly as follows:-

i) I was enjoying very high seniority in the list of Assistant Engineers when the promotion Assistant Engineers to Assistant Station Engineers was taken up in 1978. My case was overlooked arising out of certain adverse remarks made by late Shri K.K.Agarwal Station Engineer, Amiritsar in my C/Rs during my period of service 75, 76 and 77 at Doordarshan kendra. The D.P.C. which was constituted in early 1978 did not properly deal with my case while screening the candidates for promotion from Assistant Engineers to Assistant Station Engineers. Although my case for expunction of remarks was in active consideration of Doordarshan Directorate and indeed expunged, the aforesaid D.P.C. which sit in early 1978 did not act in confirmity with the spirit of Government Order, Ministry of Home Affairs (Para 2 & 4 of the same instructions interalia appended as Annexure-A)

ii) I have been promoted in the recent D.P.C. and posted as Assistant Station Engineer, in All India Radio, Lucknow. However, my seniroity has yet to be fixed appropriately as if I were promoted in 1978, as per instructions contained in Government order quoted above.

Consequent to the injustice my seniority has gone down by about 150, apart from the financial loss of a delayed promotion.

I am also enclosing a copy of representation to Director General, All India Radio, which is self explanatory. I would ~~ask~~ request you to kindly call for the relevant papers of the case and accord justice immediately to which I had been victimised due to administrative delays.

J.P.Jain

Yours faithfully,

-Sd-

(J.P.JAIN)

Encl: as above

EXTRACT PARA TWO AND FOUR OF MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NO:1/3/65-Estt(D) dated 20th Feb.'1967.

PARA 2. :

It has been decided that cases of the type referred to in the concluding sentence in para 1 above should be scrutinised by the appointing authority with a view of deciding whether or not a review by the D.P.C. is justified taking into account the nature of the adverse remarks toned down or expunged. It has also been decided that.in future, whenever cases of eligible officers for promition/confirmation are placed before a D.P.C. , the fact whether any representation from anysuch officers against adverse entries in his confidential records is pending a decision of the competent authority, should be specifically brought to the notice of the D.P.C. who may defer decision brought to the notice of the D.P.C. who may offer decision on the case if it considers it necessary to do so, till a decision has been taken on the representation. This procedure should also be observed where the officer has not submitted any such reprssentation but the time allowed for the purpose is not over. Representations received after the time allowed, need not be brought to the notice of the D.P.C. unless the competent authority has entertained them after condoning the delay.

PARA 6 :

The Departmental Promotion committee will taken into account the records of service, as placed before themand give due weight to the adverse entries appearing in the confidential records on the date the cases of the officers are considered by the D.P.C. If adverse entries in the C.Rs. have not been communicated to the concerned officer in any case, such non-communication will also be taken into account by the Committee while taking note of the adverse entries. In case of the adverse remarks are ordered to be toned down or expunged by the competent authority after the D.P.C. has met and taken a decision on the case of the officer concerned, the matter will be brought to the notice of the appointing authority for a decision whether, having regard to the nature of the adverse remarks and the extent to which these have been toned down/expunged, the case of the officer concerned justifies a review by the D.P.C. In case review is found to be necessary, the case of the officer will be referred to the D.P.C. for promotion/confirmation. If the D.P.C. concerned was presided over by the Chiarman or Member of the UPSC, the concurrence of the Commission should be obtained before the Officer's case is referred to the D.P.C. for review. All Cases where the D.P.C. may have deferred decision pending disposal of the representation will, of course, have to be brought again before the D.P.C. If on review the D.P.C. find officer fit for confirmation/promotion, it would place him at the appropriate place in the relevant ~~xxx~~ select list/ list of select officers considered fit for promotion, after taking into consideration the toned down remarks or treating the expunged remarks as non-existent at the time of committee had earlier considered ~~xxxx~~ his case of promotion/ confirmation and his promotion/confirmation will be regulated in the manner indicated below.

PROMOTION:

If officer placed junior to the officer concerned have been promoted he should be promoted immediately and if there is no vacancy, the junior most person officiating in the higher grade/post should be revolted to accomodate him on promotion his pay should be fixed under F.R.27 at this page it would have reached had he been promoting from the date the officer immediately below him was promoted, but no arrears would be admissible. The seniority of the officer will be determine in the order in which his name on review has been placed in the select list by the D.P.C.

Contd...2/-

If in any such case a minimum period of qualifying service is prescribed for promotion to a higher grade, the period for which any officer placed below the officer concerned in the select list was promoted to the higher grade, should be reckoned towards the qualifying period of service for prmotion to the higher grade.

CONFIRMATION:-

If the officer concerned is recommended for confirmation on the basis of the Rakkamkmgx findings of the D.P.C. on review, he should be confirmed whenever the first vacancy become available, but the seniority already alloted to me on the bases of the review should not be disturbed by the delay in his confirmation. In other words, he will be deemed to be senior to his junior who may have been confirmed in the meantime.

Sd/-

(HARISHCHANDRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

ANNEXURE - 11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PEITITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

NO: 9/7/81-SIIII New Delhi, the 6.3.82

MEMORANDUM

Subject: Fixation of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer.

S Reference letter NO. nil dated 16.1.1982 from Shri J.P.Jain Asstt. Station Engineer, A.I.R. Lucknow on the subject noted above.

2. The request made by Shri Jain for fixation of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer has been examined in this Directorate and his name waa considered by the DPC for the year 1978 alongwith other candidates, who were within the consideration zone. According to the panel which was prepared by DPC on merit he was promoted from the post of Asstt. Engineer, Doordarshan, Lucknow to All India Radio, Lucknow as Assistant Station Engineer. As such no injustice has been done to him.

(H.N.BISWAS)
DEPUTY DIRECTOR OF ADMINISTRATION
FOR DIRECTOR GENERAL

Shri J.P.Jain
Asstt. Station Engineer,
All India Radio
Lucknow.

ANNEXURE-11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN .... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

From: J.P.Jain
Asstt. Station Engineer
All India Radio
Lucknow.

TO The Director General
(Shri P.B.Kishore, S.O.)
S-III Section,
All India Radio,
Akashvani Bhavan,
New Delhi-1.

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Subject: Fixation of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer.

Sir,

While I am thankful to your goodself communicating me the decision regarding the fixation of my seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer in AIR/Doordarshan vide your Memo. NO.9/7/81-SIII dated 6.3.82. As agreed to fixing my seniority amongst those who were approved by the D.P.C. held during the year 1978, I request the favour of suppling me a merit list drawn for promotion to the post of Asstt. Station Engineer during 1978. This will enable me to re-concile myself with reference to the placement of my seniority in the draft seniority list circulated along-with Directorate Memo. NO.7/26/28-SIII dated 1-4-82.

I once again pray for the supply of the merit list at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

(J.P.JAIN)
ASSTT. STATION ENGINEER
ALL INDIA RADIO, LKO.

Dated: 8.4.82

34

ANNEXURE-43

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OFINDIA
DIRECTOR GENERAL : ALL INDIA RADIO

NO: 7/26/82-SIII New Delhi, dated Ist A pril,82

MEMORANDUM

Sunject: Provision seniority list of ASEs as on 5th November'1982.

One copy of the provisional seniority list of officers of thecadre of ASEs in AIR/DDK etc. is sent herewith for circulation among the ASEs. The Officers cencerned will check the entries in the list so far as they relate to them and will point out discrepancies, if any,to this Directorate through the head of the office, so as to reach this Directorate by by 14.4.82 positively. Heads of offices will also ensure that all ASEs working under them have been included in the list. Representations in this regard received after 14.4.1982 will not be entertained.

2. The principles on which the seniority has been fixed as per the existing rules are that the appointment to the grade of ASEs is made on the basis of 40% by Departmental Promotions to the grade of ASEs is direct recruitment. The Seniority in accordance with the rules is required to be maintained by inter lacing Dps in that proportion. The Dp's maintain their interies seniority as allotted to them by the DPC and the DRS maintain their interse seniority in accordance with their rank earmarked by the UPSC in the Examination.

3. The adhoc appointments to the grade of ASEs, if any, become regular only after the names of the incumbents are included in the panel drawn by the subsequent DPC in the order of the placings in the panel drawn by the DPC.

4. In this connection, it may also be stated here that the seniority list is sub judice. As such the seniority list will remain provisional till the court takes a decision in the matters.

5. A nil statement may also be sent by Heads of the Offices by 14.4.82 even if no representation in this regards is received by them.

Sd/-
(G.K. GOGIA)
SENIOR ANALYET
FOR DIRECTOR GENERAL.

TENTATIVE SENIORITY LIST OF OFFICERS IN JUNIOR SCALES AS ON 5.11.81

SL. NO.	NAME	DATE OF BIRTH	DATE OF ENTRY IN GOVT. SERVICE	DATE OF CONTINOUS APPOINTMENTS IN THE PRESENT GRADE.	S/C	Remarks
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
252.	Shri Rajendra Kumar Arora	20.6.51	29.10.76	29.10.76		
253.	Shri A. Shammugam	1.6.50	8.11.76	8.11.76		
254.	Shri Narindar Mohan Mehra	6.7.49	Oct. 73	18.4.77		
255.	Shri C.R. Dakahminathan	13.9.38	31.1.73			
256.	Km. S. Saroja	7.10.35	10.9.70 Adhoc 31.1.78			
257.	Shri Rakesh Srivastva	21.7.53	29.1.77	29.1.77		
258.	Shri C. Jayaraman	5.1.50	30.10.75	14.3.77		
259.	Shri Hotu Ram Chug	10.4.46	17.2.77	17.2.77		
260.	Shri Subramania Sarma	27.2.51	30.10.73	30.10.73		
261.	Shri Arvind Kumar	1.7.50	10.9.73	27.5.78		
262.	Shri P.K. Ghosh II		27.12.77	27.12.77		
263.	Shri G.B. Raghunathan	6.6.51	26.12.77	26.12.77		
264.	Shri S.N. Dambal	1.7.35	11.9.70 Adhoc 31.1.78	29.5.76		
265.	Shri P.C. Chakarbarty	1.5.35	31.1.73			
266.	Shri Harish Kumar Wadhwa	6.10.53	7.10.77	7.10.77		
267.	Shri Rajiv Kumar Budhraja	23.9.54	31.12.77	29.12.77		
268.	Shri Anand Sagar Sood	7.5.54	31.12.77	29.12.77		
269.	Shri J.C. Varma	15.4.38	9.9.70 Adhoc 31.1.73	27.5.78		
270.	Shri I.N. Sadan	25.12.35	30.11.70 Adhoc 31.1.78	31.5.78		
271.	Shri Vinay Kumar Bhatia	27.1.52	5.10.77	5.10.77		
272.	Shri R.B. Ram	1.7.50	18.9.75	15.11.77		
273.	Shri Asvini Kumar Dixit	18.7.54	19.9.77	15.11.77		
274.	Shri N. Sridharan	14.12.47	19.9.73	19.9.73		
275.	Shri S. Hari	23.8.47	10.10.73	28.6.78		
276.	Shri Tajinder Pal Singh	9.3.50	6.9.73	29.11.77		
277.	Shri Bharat B. Sharma	30.9.50	22.12.77	22.12.77		

Contd...2/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
278.	Shri V.P.Mangla	25.3.36	30.9.70 Adhoc 31.1.73	29.5.78		
279.	Shri P.V.Issac	19.11.35	19.8.71 Adhoc 31.1.73	17.8.58		
280.	Shri L.Vasu	24.8.49	17.10.77	21.9.77		
281.	Shri C.B.Pillay	5.3.50	21.9.77	21.9.77		
282.	Shri A.P.Santra	1.4.36	29.9.70 Adhoc 31.1.73			
283.	Shri V.Srinivasamurthy	24.4.41	28.9.70 Adhoc 31.1.73			
284.	Shri D.R.Khanna	15.7.52	9.1.78	9.1.78		
285.	Shri N.M.Wehta	6.9.49	1.10.73	9.1.78		
286.	Shri MaheshChandra	15.11.49	30.8.73			
287.	Shri Virendra Kumar Jain	5.3.52	19.12.78	19.12.78		
288.	Shri Satish Gupta	28.6.50	30.12.78	30.12.78		
289.	ShriN.Sivaprakesam	2.8.36	7.2.73	31.5.78		
290.	Shri Jai prakash Naithani	7,1.54	23.12.78	23.12.78		
291.	Shri T.G.Sudhakara Rao		6.6.79	6.6.79		
292.	Shri K.Balakrishnan	8.6.39	25.9.70 Adhoc 31.1.73			
293.	Shri R.V.Rao	4.10.34	24.9.70 o 31.1.73	26.5.78		
294.	Shri Sudhir Ranjan Ghosh		9.3.79	9.3.79		
295.	Shri Anil Kumar	1.8.55	27.3.79	27.3.79		
296.	Shri T.C.Ramdorai	3.6.35	9.9.70 Adhoc 31.1.73	26.5.78		
297.	Shri C.V.Ramakrishanan	27.6.39	28.9.70 Adhoc 31.1.73	31.5.79		
298.	Shri Iswar Singh		31.1.76	31.1.79		
299.	Shri Subrata Kumar Adak	21.7.52	7.5.79	7.5.79		
300.	Shri R.K.Taneja	28.1.37	26.11.70 31.1.73	31.5.78		
301.	Shri DORB Harnath Baba	5.5.50	8.10.73	24.6.78		
302.	Shri Nisar Admad Khan		16.4.79	16.4.79		
303.	Shri Khajanmoddin A.Shekh		14.5.79	14.5.76		

Cont d... 3/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
304.	Shri S.Jayaramn	22.10.49	27.8.78	27.8.73		
305.	Shri A.V.Aroboti	22.3.39	21.12.70 Adhoc 31.1.73	31.1.77		
306.	Shri R.Narasimha Swamy	24.11.54	27.9.80	27.9.80		
307.	Shri Rama Kant Pandey	1.1.54	9.4.81	9.4.81		
308.	Shri Auimesh Chakarbarty	1.7.56	23.3.81	23.3.81		
309.	Shri K.C.Vijayan	9.5.35	22.3.73	31.5.78		
310.	Shri K.Narayanamuthi	8.10.34	5.8.61	17.7.78		
311.	Shri Ravindra Kr.Saxena	3.3.54	30.7.81	30.7.81		
312.	Shri Virendra Pal Singh	15.2.49	15.10.78	26.5.78		
313.	Shri L.Mananathan	10.6.36	19.8.71	29.9.78		
314.	Shri VHI Subramanium	1.7.35	23.12.70 Adhoc	9.7.79		
315.	Shri M.Korthikeyan	1.7.35	23.12.70 Adhoc 31.1.73	10.7.78		
316.	Shri Bhola Nath	4.9.48	4.9.73			
317.	Shri T.Rajagopalan	15.5.38	9.12.70 Adhoc 31.1.73	7.7.78		
318.	ShriB.Srikumar	3.10.42	1.7.63	29.6.78		
319.	Shri M.G.Joshi	13.4.35	21.10.63	26.6.78		
320. S	Shri S.P.Chopra	1.10.40	20.1.71 Adhoc 31.1.73	15.6.78		
321.	Shri S.V.Kondal	15.4.40	6.8.71 Adhoc 31.1.73	31.8.78		
322.	Shri S.K.Moorjani	20.6.38	15.2.71 Adhoc 31.1.73	19.7.78		
323.	Shri D.D.Bharadwaj	20.2.38	6.11.71 Adhoc 31.1.73	31.5.78		
324.	Shri Ved Rattan	2.11.40	26.1.71 Adhoc 31.1.73			
325.	Shri G.K.Thomas	9.6.40	23.7.71 Adhoc 31.1.73	3.7.78		
326.	Shri S.C.Garg	21.12.50	21.2.73	26.5.78		
327.	Shri V.K.Pathak	8.12.41	18.4.72 Adhoc 31.1.73	27.6.78		

Contd....4/-

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.
328.	Shri A.S.Swamynathan	24.4.42	7.2.73		19.7.73		
329.	Shri V.K.Gupta	17.8.41	16.12.71 31.1.71	Adhoc	15.5.78		
330.	Shri B.Banerjee	13.9	4.11.70 27.2.74	Adhoc	3.11.78		
331.	Shri H.S.Bawa	14.3.33	28.8.73 27.2.73	Adhoc	3.11.78		
332.	Shri B.B.Das	1.3.36	12.10.70 27.2.74	Adhoc	31.5.78		
333.	Shri T.R.Mehta	18.11.39	12.10.70 27.2.74	Adhoc	31.5.78		
334.	Shri V.S.Prasad	25.6.34	30.10.70 27.2.74	Adhoc			
335.	Shri A.Natrajan	15.7.38	21.9.70 27.2.74	Adhoc	12.6.78		
336.	Shri Rajkumar Garg	6.9.50	10.9.73		22.9.75		
337.	Shri J.P.S.Arora	15.11.35	5.5.71 27.2.73	Adhoc	26.5.78		
338.	Shri K.C.Batra	10.11.37	18.12.70 27.2.74	Adhoc	30.5.78		
339.	Shri M.P.N.Singh	4.7.41	18.12.70 27.2.74	Adhoc	18.11.79		
340.	Shri R.Srinivasan	15.6.39	26.9.73 27.9.74	Adhoc	21.9.78		
341.	Shri S.K.Ghaterjee	1.10.38	2.12.70 27.2.74	Adhoc			
342.	Shri Madan Lal	2.2.40	6.11.73 27.2.74	Adhoc	30.9.79		
343.	Shri R.K.Rao	1.10.38	2.12.70 27.2.74	Adhoc	22.11.78		
344.	Shri NVRS Raju	15.7.40	8.2.71 27.2.74	Adhoc			

Hyderabad Central Institute of Language

Contd...5/-

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.
345.	Shri S.K.Patil	2.11.33	1.4.72 / 27.2.74	A dhoc	xxxxxx		
346.	Shri S.L.K.Rao	3.8.39	17.9.73 / 27.2.74	Adhoc	xxxxxx		
347.	Shri O.P.Goel	15.5.35	2.12.70 / 27.2.74	A dhoc			
348.	Shri J.P.Bhaskaran	30.6.37	1.12.58		xxxx		
349.	Shri Madn Mohan Thaman	23.7.51	27.8.73		30.11.78		
350.	Shri V.rajaliggain	11.5.46	14.7.67		26.3.79		
351.	Shri D.L.Narang	20.7.36	25.2.60		8.11.79		
352.	Shri Subhash Chandra	9.6.79	25.2.60		16.6.80		
353.	Shri Surendra Kumar	31.8.48	8.8.73		17.11.78		
354.	Shri R.S.Tiwari	30.12.49	5.9.73		22.12.78		
355.	Shri C.R.Srinivasan	2.2.41	20.7.61		8.11.78		
356.	Shri S.K.Mal	18.11.37	22.7.61				
357.	Shri J.P.Jain	26.7.39	24.9.70 / 31.1.78	Adhoc	12.3.81		

ANNEXURE-12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... .....OPPOSITE PARTIES

From: J.P.Jain,
Asstt. Station Engineer,
All India Radio,
Lucknow.

TO

The Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Subject: Wrong fixation of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineers.

Sir,

I am to invite your kind attention regarding my placement in the seniority list of Asstt. Station Engineers working at AIR/Doordarshan kendra and my objection to the wrong fixation of my seniority vide letter dated 7-4-82 to D.G., AIR(copy enclosed) I had asked for a copy of the panel approved by the D.P.C. held during the year 1978 for the purpose of promotion in the cadre of Asstt. Station Engineer. Unless a copy of the panel is supplied to me it will not be possible for me to accept the placement of my name in the seniority list as done by the Directorate. A copy of the approved panel is needed to find out my placement in that list which is very relevant to th fixation of seniority. I also do hope that the panel drawn during 1978 is no more confidential and there should not be any hitch in supplying a copy to the individual if insisted upon to satisfy himself about his placement in the seniority list.

I have reason to believe that I can not be placed in the bottom of the panel as appears from the draft seniority list of Asstt. Station Engineer circulated by the Directorate. Hence the request for the supply of a copy of the panel has been made.

I shall be grateful if you kindly look into the case and favour me with the supply of the above information at the earliest so that my interest of service remain safe guard.

I am not yet able to reconcile with the Directorate, AIR, Memo no. 9/7/81-S-III dated 6/3/82 (copy enclosed) in response to my representations to you vide my applications dated 4/9/81and & 16.1/82 addressed to you regarding fixation of my seniority.

Yours faithfully,

(J.P.JAIN)
ASSTT. STATION ENGINEER

Dated: 20th May'1982

Copy to:- The Director General(Shri H.N.Biawas DDA), All India Rado, Akashvani Bhavan, New Delhi-1.

A dvance
Copy to: The Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Shastri Bhavan, New Delhi.

ANNEXURE - 15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

NO: 9/7/81-SIII(Pt.2) New Delhi, the 31st May,1982

MEMORANDUM

Subject: Wrong fixa-tion of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer.

Reference letter No.nil dated 20.5.82 from Shri J.P.Jain, Asstt. Station Engineer, A.I.R., Lucknow on the subject noted above.

2. The fixation of seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer in respect of Shri J.P.Jain ASE has been taken up separately with the Ministry. A final reply will be given to him as soon as the decision in the matter is received from the Ministry.

(P.B.KISHORE)
SECTION OFFICER
FOR DIRECTOR GENERAL

TO
Shri J.P.Jain
Asstt. Station Engineer
All India Radio,
Lucknow.

42

ANNEXURE - 16

A/49

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.
WRIT PETITION NO.....OF 1985
J.P.JAIN .....PETITIONER
VERSES
UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADION

NO: 9/7/81-SIII(Pt.I) New Delhi, the 23rd September, 1982

MEMORANDUM

Subject: Wrong Fixation of seniority in the Cadre of ASE.

Reference endorsement NO.LKO.21(242)/81-S, dated 8.4.82 from Station Director, All India Radio, Lucknow on the subjected noted above.

2. Shri J.P.Jain, Asstt. Station Engineer, AIR, Lucknow desired to have a copy of the select list drawn by the DPC in the year 1988 for the promotion Asstt. Engineers to the post of Asstt. Station Engineers. It may be mentioned that this select panel is available with the Ministry of I&B and copy of the same cannot be supplied to the individual of candidate, for some administrative reasons. However, it may be mentioned here that the re-fixation of seniority case of Shri Jain has already been taken up and the decision of the Ministry is still awaited.

Sd/-P.B.Kishore
Section Officer
For Director General

TO

The Station Director
All India Radio,
Lucknow.

ANNEXURE - 17 A/50

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

NO.301/9/76-B(D)
Government of India
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 18th Nov.,1983

ORDER NO.37/83-B(D)

In partial modification to this Ministry's Notification NO.303/1/81-B(D) dated 14.5.1981, the president is pleased to promote Shri J.P. Jain, Assistant Engineer ,Doordarshan kendra,Lucknow to the post of Assistant Station Engineer, AIR, Lucknow, in the Junion Scale of Indian Broadcasting(Engineers) Service w.e.f. 16.6.1980.

2. The appointment of Shri Jain will be notional from 16.6.1980 to 11.3.1981. No arrears of pay and allowances will be paid to him during the said period. However, he is entitled to pay and a-llowa nces due and admissible, for the post of Assistant Station Engineer only with effect from 12.3.1981, the date from which Shri Jain has been actually performing the duties of the post.

3. Shri Jain will rank en-bloc junior to Shri D.L.Narang and senior to Shri Subbash Chander in the seniority list of Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service officer.

(IQBAL KRISHAN)
Under Secretary to the Govt.of India

Copy to:-

1. DG:AIR(Shri Y.Verma,DDG(E) for their file NO.9/7/81-S-III(5 copies)
2. The Secretary, U.P.S.C. with reference to their letter NO.1/19/(10) 83-AU-II dated 14.7.1983.
3. P & A.O.(IRLA Group), Ministry of I&B,New Delhi.
4. Director (AIR),Ministry of I&B,New Delhi.
5. Shri J.P.Jain,A.S.E.,A IR,Lucknow.
6. Station Director,AIR,Lucknow.
7. Vigilance Section,DG:AIR,New Delhi.
8. Order folder.
9. Spare copies.

(IQBAL KRISHAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT.OF INDIA
TELE: 384597

ANNEXURE - 18

IN THE HIGHCOURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P. JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

From: Shri J.P.Jain
Assistant Station Engineer,
All India Radio
Lucknow.

TO

The Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting
Shastri Bhavan,
New Delhi.

Subject: Fixation of Seniority.

Reference: Order NO.37/83-B(301/9/76-B(D). dated 18.11.1983 from the Ministry of I&B.

Sir,

This has reference to the order NO.37/83-B(D)(301-9/76-B(D) dated 18.11.1983, wherein allowing me the seniority above Shri Subhash Chander in the seniority list of Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service.

I have to lay the following points for your kind consideration as I am still sure that my seniority has not been fixed correctly.

1. In the seniority list of Assistant Station Engineer, I am made junior to Shri I.M.Sudan & 81 officials though in the seniority list of Assistant Engineers, I am senior to these persons. This anomili has perhaps arisondue to the fact that my case for considered or ignored due to adverse entry recorded in D.Rs. for which I had represented within the time limit and the decision was finally conveyed to me rather very late.

2. The adverse remarks had been EXPUNGED AND NOT TO NEW DOWN. It primafaci indicates that my position in the select list of Assistant Station Engineers should have been above Mr.I.M.Sudan who was immediate junior to me. Will it not be a great injustice that eighty two persons become senior to me when the malafide remarks were EXPUNGED. Inspite of the expunction, I am debarred from the promotion to the post of Assistant Station Engineer by about 4 to five years because 82 persons coming in between my justified position & the position alloted vide the aforesaid order. Had there been toning down of the remarks, the matter would have been taken in any fashion.

3. May bethat my case was screened by the DPC after the expunction of remarks after a very long time. Therefore the select list of fixing my seniority appears to have been lost sight off.

4. It willnot be out of place to mention here that during the subsequent DPC held in December 1980 I was placed at the top of the list of the Assistant Station Engineers promoted from Assistant Engineers clearly indicating my placement in the category of "VERYG GOOD".

I request you to kindly look into the matter urgently and expedite restoring my seniority by placing me above Shri I.M.Sudan, so that I am also considered for promotion to the next post alongwith these persons.

In this connection I may be allowed to invite your kind attention to para 4 of the Min. of Home Affairs NO.1/3/85-Estt.(D) dated 20th February(Annexure I enclosed) where in it has been clearly emphasised the need of placing an officer in the seniority list at appropriate place after reveiwing of hiscase by the DPC. As per the instructions I am sur that I should have been placed in the seniority list at appropriate place which is about Mr.I.M.Sudan in view of the total EXPUNCTION and not toning down.

If still any difficulty is felt in placing me about Shri I.M.Sudan, I would appeal to you that I may kindly be given a chance to be heard personally to explain my grievances.

Request for an early decision to avoid frustration.

Yours faithfully,

(J.P.JAIN)
ASSTT.STATION ENGINEER

Dated: 6/2/1984

Copy to :-

i) The Secretary, U.P.S.C. Shahjahan Road, New Delhi with reference to their letter NO.1/19(10)/83 AU-II dated 14.7.83

ii) The Vigilence Section, DG: AIR, New Delhi.

iii) Advance copy also forwarded.

(J.P.JAIN)

U6

ANNEXURE - 19

53

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO.................................... OF 1985

J.P. JAIN .... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS .... OPPOSITE PARTIES

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

NO: 9/7/81-SIII New Delhi, the 30th May,1984

Subject: Fixation of Seniority in the cadre of Asstt. Station Engineer S.J.Jain

Reference letter NO.LKO-21(242)/81-S dated 14.2.1984 and another letter of even number, dated 28.3.1984, from Station Director, All India Radio, Lucknow, on the subject noted above.

2. The representation submitted by Shri J.P.Jain, Assistant Station Engineer, All India Radio, Lucknow for proper fixation of his seniority in the grade of Assistant Station Engineer has been thoroughly considered in the Ministry of Information & Broadcasting. It has been found that no injustice has been done, in placing his name in the Seniority list of Assistant Station Engineers as it stands at present, not withstanding the expunction of adverse remarks from his CR for the years 1975 and 1976.

Sd(T.A. SRINIVASAN)
SECTION OFFICER
FOR DIRECTOR GENERAL

TO

Station ~~Engineer~~ Director
All India Radio
Lucknow.

ANNEXURE-20

ON THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,LUCKNOW BANCH,LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PETITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS..... OPPOSITE PARTIES

From: J.P.Jain
Asstt. Station Engineer
Doordarshan kendra
Lucknow.

REGISTERED A.D.

TO

The President of India
New Delhi.

Sub: Seniority list of Asstt. Station Engineers in All India Radio,Doordarshan plaing me at an appropriate position.

Hon'ble Sir,

I am now an Asstt. Station Engineer in All India Radio/Doordarshan I was Asstt. Engineer from 1970 and has posting as below:-

1.	Office of the Regional Engineer(N) All India Radio, New Delhi.	1970 to 1972
2.	Doordarshan kendra Srinagar	1973 to 1975
3.	Doordarshan kendra Amritsar	Jan'1975 to July'1977

There were adverse remarks in my confidential report whiie at Doordarshan kendra,Amritsar beteen 1975-1977 I made number of representations against the adverse remarks and there was delay in taking the decision. Finally the remarks were expunged in 1979.

In the meantime there was DPC for promotions to the post of Asstt. Station Engineer and inspite of the fact that I was quite senior, I ebuld not be promoted in view of delay in expunction of the adverse remarks although I submitted my representations against the adverse remarks well in time.

Later on I was promoted in March'81 on the recommendation of the DPC held in 1980. I was among the 1st two persons approved by the DPC held in 1980. MY PLACEMENT AMONG THE 1ST TWO POSITIONS CLEAR INDICATION HAT IWAS KEPT IN THE DPC LIST AMONG THE VERY GOOD CANDIDATE,OUSTIFYING MY POSITION IN 'A' LIST.

In view of the fact that my remarks were expunged as per standing insructions. I should have been placed among the candidate promoted in 1978. This fact was ignored by the department which resulted my placement in the seniority list below by about 90 candidates. I made a number of

Contd...2/-

representations and after about 2½ years my seniority was raise d by 5 position only and advancing the date of promotion to June'1980. instead of May'1978 This is nothing but an injustice done to me. I fu r-ther made a representations to the Ministry of I&B and requested for placing me at the appropriate place in the list. (copy of the repre-sentation is enclosed forfurther kind reference). The said representa-tion which is self explanatory had been rejected vide Dtc.A.I.R. Memo. NO.9/7/81-SIII dt. 30.5.84 This has, not only caused injustice but mental tension to me.

Finding no other alternative I am making an earnest appeal to you 'Sir' to examine the case and restore my seniority at the proper place.

Yours faithfully,

(J.P.JAIN)Q
ASSTT.STATION ENGINEER
DOORDARSHAN KENDRA: LUCKNOW.

Copy to :-

i) The Honourable Minister, Ministry of I&B, Shastri Bhavan New Delhi.

ii) The Secretary Ministry of I&B Shastri Bhavan,New Delhi.

ANNEXURE 2 1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.

WRIT PETITION NO..... OF 1985

J.P.JAIN ..... PEITIONER

VERSES

UNION OF INDIA AND OTHERS ..... OPPOSITE PARTIES

From: J.P.Jain
Assistant Station Engineer,
Doordarshan kendra,
Government of India
Lucknow.

TO

The President of India,
New Delhi.

Sub: Seniority list of Asstt. Station Engineers in All India Radio/Doordarshan.

Ref: Your letter NO.5558.P.II/5/84 dated 23.11.84.

Hon'ble Sir,

I may kindly be permitted to say that my appeal seems to have been inadvertantly forwarded to the Chief Secretary, Government of Uttar pradesh.

My appeal relates to the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. Probably the said appeal is required to be dealt in the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Accordingly, I am enclosing a copy of the Appeal for your kind consideration. The delay in action may lead to injustice to me.

Yours faithfully,

(J.P.JAIN)
ASSTT. STATION ENGINEER

Copy to :-

i) The Chief Secretary, Government of Uttar pradesh, with the request that the papersforwarded to you by the president's Secretariate, Rashtrapati Bhavan, New Delhi, vide letter NO. 5558 P.II/5/84 dated 23.11.84 may kindly be returned to the president Secretariate for consideration at this end.

(J.P.JAIN)
ASSTT. STATION ENGINEER.

A/57

ANNEXURE-22

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BANCH, LUCKNOW.
WRIT PETITION NO..... OF 1985
J.P.JAIN ..... PETITIONER
VERSES.
UNION OF INDIA AND OTHERS.....?..... OPPOSITE PARTIES

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NO: 324-P1(2)/85
Dated: 21.1.85

Rashtrapati Bhavan
NEW DELHI-110004.

Dear Sir,

I write to acknowledge receipt of your communication dated 7.1.85 which has been forwarded to the Secretary to the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting Department of ....) New Delhi for appropriate action.

Any further communication on the subject may please be addressed to him direct quoting the above reference number.

Yours faithfully,

for Secretary to the President

51

Hony. Treasurer,
I.R. ENGINEERS' ASSOCIATION

Annexure No. 23

(To be published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (i) dt. 5.11.81

A/58

Government of India
Ministry of Information and Broadcasting

No.301/1/81-B(D) New Delhi, dated the 4th Nov. 1981.

NOTIFICATION

G.S.R. 578 (E) - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting.

(c) "Departmental Candidates" means officers who have been appointed on regular basis in consultation with the Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee and who hold posts or hold liens on posts in Group A engineering cadres in Akashvani & Doordarshan, excluding Civil Construction Wing on the date of commencement of these rules;

(d) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade;

(e) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;

(f) "Examination" means a Combined Competitive Examination conducted by the Commission for recruitment to various Engineering Services/posts as may be specified by the Commission from time to time.

(g) "Government" means the Government of India;

(h) "grade" means a grade of the service;

(i) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to the prescribed procedure for long term appointment to that grade and includes any period or periods.

(i) taken into account for purpose of seniority in case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(j) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(k) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution;

(l) "Service" means the Indian Broadcasting(Engineers) Service constituted under rule 3;

3. Constitution of the Indian Broadcasting(Engineers) Service:

(1) There shall be constituted a service known as the Indian Broadcasting(Engineers) Service consisting of persons appointed to the service under rules 6 & 7.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The Service shall be common for the cadre of Group 'A' posts in the Engineering Service for Akashvani (All India Radio) and Doordarshan(Television India) under the Ministry of Information & Broadcasting.

4. Grades, authorised strength and its review:

(1) The duty posts included in the various grades of the service, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by Government.

(3) Government may, kake temporary additions or deletions to the strength of the duty posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any posts other than those included in Schedule I or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) Govt. may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule(4) of this rule to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service, in the analogous grade.

5. Members of the Service:

(1) The following persons shall be the members of the Service;

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and
(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule(1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service:

(1) All Departmental Candidates holding posts in the scales of Rs.2500-3000, Rs.1100-1600 and Rs.700-1300 shall, from the date of commencement of these rules, be deemed to have been appointed to the corresponding posts and grades in the Service.

(2) The Commission shall constitute a Selection Committee with the Chairman or Member of the Commission as President and not more than two representatives of appropriate status to be nominated by the Controlling Authority. The Selection Committee shall determine the suitability of Departmental candidates holding, on the date of commencement of these rules, posts in the scales of Rs.2000-2250, Rs.1800-2000 and Rs.1500-1800 for appointment to posts in the Senior Administrative Grade(Level II), Junior Administrative Grade(Selection Grade) and Junior Administrative Grade respectively of the Service referred to in Schedule I, and prepare a list of officers considered suitable for such appointment and submit the same to the Commission.

On receipt of the said list the Commission shall forward its recommendation for appointment of the officers found suitable to various grades to the Controlling Authority.

Provided that the Commission may, while making such recommendations, include a recommendation that officers considered suitable for appointment to a grade shall, if sufficient number of vacancies are not available in that grade, continue to hold the posts held by them before the commencement of these rules and for this purpose, such posts shall be deemed to have been excluded from the Service so long as such officers continue to hold the said posts.

Explanation:

The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 7, officers referred to in the proviso to sub-rule (2), shall, if vacancies arise in the said grades during a period of one year from the date of recommendations of the Commission, be appointed to the grade for which they were recommended.

(4) Departmental Candidates referred to in sub-rules (1) and (2), who do not desire to be absorbed in the Service, shall, within a period of three months from the date of commencement of these rules, communicate the same in writing to the Controlling Authority and they shall thereafter and subject to the other provisions of these rules, be deemed to continue to hold the posts held by them immediately before the commencement of these rules and for this purpose such posts shall be deemed to have been excluded from the Service for so long as they hold the said posts.

(5) Such of the Departmental Candidates, referred to in sub-rule (2), who are not absorbed in the Service at its initial constitution, shall continue to hold the posts to which they were appointed regularly, and, for this purpose, such posts shall be deemed to have been excluded from the Service for so long as they hold the said posts.

(6) Notwithstanding anything contained in rule 7, the Departmental Candidates referred to in sub-rule(3) who are not absorbed in the Service at its initial constitution during the period laid down therein and those in sub-rule (5), may be considered by the Controlling Authority for appointment to the Service subsequently in consultation with the Commission and the suitability of such candidates for appointment to various grades of the Service

shall be determined by a Selection Committee which shall be constituted in the same manner as provided in sub-rule (2).

Explanation:

The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.

(7) The regular continuous service of Departmental Candidates referred to in sub-rules (1) and (2) prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(8) To the extent the Controlling Authority is not able to fill the authorised regular strength of various grades in the Service, in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. Future maintenance of the Service:

(1) Any vacancy arising in any of the grades referred to in Schedule I after the initial constitution of the Service as provided in rule 5, shall be filled in the manner hereinafter provided under this rule.

(2) 50% of the substantive vacancies in the Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a Competitive Examination conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II and any scheme of examination that may be notified by Government, in consultation with the Commission, from time to time. The remaining 50% of the substantive vacancies and all temporary vacancies shall be filled by the Controlling Authority, by promotion of officers on the basis of selection on merit and included in a panel for the said grade in the order of seniority from the relevant field of promotion and the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(3) Appointments in the Service to posts in Senior Scale and above shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(4) The selection of officers for promotion shall be made by selection on merit, except in the case of promotion to the posts in Senior Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade) which shall be in the order of seniority subject to rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule IV.

8. Seniority:

(1) The relative seniority of members of the Service appointed to any grade in accordance with rule 6 at the time of initial constitution of the Service, shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined by the Govt. in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Administrative Reforms, in accordance with the rules applicable to members of similar Services under Government.

(2) All permanent officers included in the Service under rule 6 in any grade shall rank senior to all officers substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included in the initial constitution of the Service in any grade shall rank senior to all temporary officers appointed to that grade subsequently.

(3) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by Government in the matter from time to time.

(4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation:

(1) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years;

Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by Govt. from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Govt. may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, or pass such orders as they deem fit.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidates may be required by Govt. to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Govt. may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

10. Appointment to the Service:

All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various grades of the service, whether in 'Akashvani' or in 'Doordarshan'.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service:

(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any, provided that such officer:

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Service.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

(3) The conditions of service of the members of the service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

12. Disqualifications:

No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service;

Provided that the Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax:

Where Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

14. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. from time to time.

15. Interpretation:

If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by Government.

16. Repeal:

The All India Radio(Class I Engineering posts) Recruitment Rules, 1971 and the All India Radio(Class I and Class II Engineering posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to posts to which these rules apply are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect anything done or action taken under the said rules, before such repeal.

Sd/-
(S. P. Upasani)
Joint Secretary to the Government of India
Tele. No. 383857

To

Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi

Schedule I

(See sub-rule (1) of rule 4)

Name, Number and Scale of Pay of Duty Posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service

Sl. No.	Grade	No. of posts Pt.	Temp.	Total	Scale of Pay
1.	Engineer-in-Chief	1	-	1	Rs.2500-125/2-3000
2.	Senior Administrative Grade Level II	7	-	7	Rs.2250-125/2-2500
3.	Junior Administrative Grade (Selection Gr.)	14	-	14) 71	Rs. 2000-125/2-2250
4.	Junior Administrative Grade.	57	-	57)	Rs.1500-60-1800-100-2000.
5.	Senior Scale	200	-	200	Rs.1100 (6th year or under)-50-1600.
6.	Junior Scale	210	197	407	Rs.700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

NOTE: The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is non-functional and the maximum number of posts in this grade shall not exceed 20% of the total posts in the grades at Sl.No. (3) and (4) together.

.....

A/67

68

Schedule - II

(See sub-rube (2) of rule 7)

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service on the results of the Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate shall possess:

(1) a Degree in Engineering from:

i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India, or

ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1955, or

iii) possessing such other qualifications as have been recognised by Government for the purpose of admission to the examination, or

iv) a Degree/Diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognised by Government for the purpose from time to time.

NOTE: 1. In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the Examination;

NOTE: 2. A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Govt., may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission;

NOTE: 3. Attained the age of 20 years but shall not have attained the age of 27 years on the first day of August, of the year in which the examination is held.

....

SCHEDULE - III

(See sub-rule (2), (3), (4) of rule 7)

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
1.	Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in the Senior Administrative Grade (Level-II) with 2 years regular service in the grade.
2.	Senior Administrative Grade (Level-II)	By promotion	Officers in the Junior Administrative Grade with 7 years service in the grade including service, if any, rendered in the grade of Junior Administrative Grade (Selection Grade) and the erstwhile grade of Rs.1500-1800 and Rs.1800-2000.
3.	Junior Administrative Grade (Selection Grade).	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers who have reached the stage of Rs.2000/- in the Junior Administrative Grade and have stagnated for not less than 2 years.
4.	Junior Administrative Grade.	By promotion.	Officers in the senior scale with 5 years regular service in the grade.
5.	Senior Scale	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers in the Junior scale with 4 years regular service in the grade in accordance with instructions issued by the Ministry of Finance on the subject.
6.	Junior Scale	i) 50% by promotion.	Assistant Engineers of the Akashvani/Doordarshan excluding those in Civil Construction Wing with 3 years regular service in the grade.
		ii) 50% by direct recruitment in accordance with sub-rule(2) of rule 7.	

.....

SCHEDULE - IV

(See sub-rule (4) of rule 7)

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Name of the post	Group 'A' D. P. C. for considering promotion	Group 'A' D. P. C. (for considering confirmation)
1.	Engineer-in-Chief	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman	1. Secretary, Min. of I&B - Chairman 2. Director General, AIR - Member
2.	Senior Administrative Grade (Level II)	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Secretary, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Jt. Secretary, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member
3.	Junior Administrative Grade (Selection Grade)	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member
4.	Junior Administrative Grade	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Jt. Secy, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member
5.	Senior Scale	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy., M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy. M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member
6.	Junior Scale	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Jt. Secy. M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy. M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member

NOTE: 1. The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

3. If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

Annexure No. 24 63

To The published in Part II Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India

A/20

MINISTRY OF INFORMATON & BROADCASTING
NOFITIFACTION.

New Delhi, the 13th Sep, 82

G.S.R.: In exercise of powers conferred by theprovision to article 309 of the consitution of the President hereby makes the following rules to amend the Indian Broadcasting (Engineers) service Rules, 1981, namely:-

(i) These rules may be called the Indian Broadcastin (Engineers) Service(Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 5th November, 1981-

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules 1981, the existing Sub-Rule(2) of rule 7 shall be substituted as follows:-

(2) Appointments to Junior scale shall be made as under:-

(a) 50% of the substantive vacancies in the Junior scale shall be filled by direct recruitement on the results of a competitive Examinaton conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II and any scheme of examination that may be notified by Government, in consultation with the commission from time to time.

(b) The remaining 50% of the substantive vacancies shall be filled by substantive appointment of offiers appointed to the grade against temporary vacancies, under clause (c) given below, on the basis of Seniority subject to rejection of unfit on the recommendation of a duly consituted Deptt. promotion committee for confirmation in the grade as given in Schedule IV.

(c) All temporary vacancies in the Junior scale shall be filled by the Controlling Authority by promotion ofoffiers from the relevant filed of promotion and the minimum qualifying service as specified in the fourth column against serial No.6 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule IV.

NOTE:- Clauses(a) and (b) of this sub-rule shall operate only after all the offiers appointed in Junior scale in accordance with sub rule (1) of rule 6 are considered for absorption and all offiers found fit are absorbed against permanent posts in the service. Provided that no person who has been considered for appointment to a

[illegible] Sub-Rule (2) of rule 8 of the Indian Broadcasting (Engineers) service Rules, 1981, shall be substituted as follows:-

'Officers who join the service in any grade after its initial consitution, shall rank below those appointed to the service in that grade at the time of the consitution under rule 6'.

No.301/1/81-B(D)

Sd/-
(S.P.Upasani)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: 384785

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri.

OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad.
Lucknow Bench
No. 12/192
Date 26/3/1985

ब अदालत श्रीमान High Court of Judicature at Lucknow महोदय

[वादी] अपीलान्ट —श्री J.P. Jain वकालतनामा
प्रतिवादी [रेस्पान्डेन्ट]

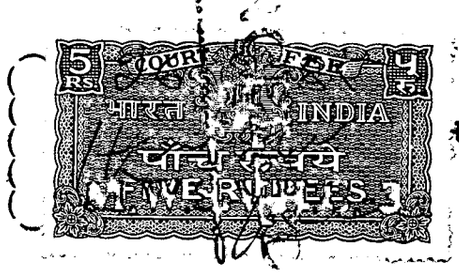

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(अपीलान्ट)

J.P. Jain

बनाम प्रतिवादी (रेस्पान्डेन्ट)

Versus. Union of India.

नं० मुकदमा सन् पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री हरगुरु चरन एडवोकेट

HARGURU CHARAN वकील महोदय एडवोकेट

नाम अदालत ....
मुकद्दमा नं० नाम ....
फरीकैन .... बनाम ....

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूँ और लिखे देता हूँ कि इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जबाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या कोई कागज़ दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (दस्तखती) रसीद लेवें या पंच नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी मै यह भी स्वीकार करता हूँ कि हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूँगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफ मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

हस्ताक्षर J.P. Jain

Accepted
Harguru Charan
Advocate

साक्षी (गवाह) साक्षी (गवाह)

दिनांक 26 महीना 3 सन् १९85 ई०

Schedule I

(See sub-rule (1) of rule 4)

Name, Number and Scale of Pay of Duty Posts included in the various grades of the Indian Broadcasting(Engineers)Service

Sl. No.	Grade	No. of posts			Scale of Pay
		Pt.	Temp.	Total	
1.	Engineer-in-Chief	1	-	1	Rs.2500-125/2-3000
2.	Senior Administrative Grade Level II	7	-	7	Rs.2250-125/2-2500
3.	Junior Administrative Grade(Selection Gr.)	14	-	14) 71	Rs. 2000-125/2-2250
4.	Junior Administrative Grade.	57	-	57)	Rs.1500-60-1800-100-2000.
5.	Senior Scale	200	-	200	Rs.1100(6th year or under)-50-1600.
6.	Junior Scale	210	197	407	Rs.700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

NOTE: The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is non-functional and the maximum number of posts in this grade shall not exceed 20% of the total posts in the grades at Sl.No. (3) and(4) together.

.....

Schedule - II

(See sub-rule (2) of rule 7)

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service on the results of the Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate shall possess:

(1) a Degree in Engineering from:

i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India, or

ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1955, or

iii) possessing such other qualifications as have been recognised by Government for the purpose of admission to the examination, or

iv) a Degree/Diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognised by Government for the purpose from time to time.

NOTE: 1. In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the Examination;

NOTE: 2. A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Govt., may also apply to the Commision and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission;

NOTE: 3. Attained the age of 20 years but shall not have attained the age of 27 years on the first day of August, of the year in which the examination is held.

.....

SCHEDULE - IV

(See sub-rule (4) of rule 7)

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Name of the post	Group 'A' D. P. C. for considering promotion	Group 'A' D. P. C. (for considering confirmation)
1.	Engineer-in-Chief	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman	1. Secretary, Min. of I&B - Chairman 2. Director General, AIR - Member
2.	Senior Administrative Grade (Level II)	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Secretary, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Jt. Secretary, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member
3.	Junior Administrative Grade (Selection Grade)	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member
4.	Junior Administrative Grade	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Jt. Secy, M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Jt. Secretary, M/O I&B - Chairman 2. Engineer-in-Chief - Member 3. Chief Engineer - Member
5.	Senior Scale	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy., M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy. M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member
6.	Junior Scale	1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Jt. Secy. M/O I&B - Member 3. Engineer-in-Chief - Member	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2. Dy. Secy. M/O I&B - Member 3. Chief Engineer - Member

NOTE: 1. The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

3. If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

SCHEDULE - III

(See sub-rule (2), (3), (4) of rule 7)

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
1.	Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in the Senior Administrative Grade (Level-II) with 2 years regular service in the grade.
2.	Senior Administrative Grade (Level-II)	By promotion	Officers in the Junior Administrative Grade with 7 years service in the grade including service, if any, rendered in the grade of Junior Administrative Grade (Selection grade of Rs.1500-1800 and
3.	Junior Administrative Grade(Selection Grade).	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers who have reached the stage of Rs.2000/- in the Junior Administrative Grade and have stagnated for not less than 2 years.
4.	Junior Administrative Grade.	By promotion.	Officers in the senior scale with 5 years regular service in the grade.
5.	Senior Scale	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers in the Junior scale with 4 years regular service in the grade in accordance with instructions issued by the Ministry of Finance on the subject.
6.	Junior Scale	i) 50% by promotion.	Assistant Engineers of the Akashvani/Doordarshan excluding those in Civil Construction Wing with 3 years regular service in the grade.
		ii) 50% by direct recruitment in accordance with sub-rule(2) of rule 7.	

.....

To The published in Part II Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India

MINISTRY OF INFORMATON & BROADCASTING
NOFITIFACTION.

New Delhi, the 13th Sep, 82

G.S.R.: In excercise of powers conferred by theprovision to article 309 of the consitution of the President hereby makes the following rules to amend the Indian Broadcasting (Engineers) service Rules, 1981, namely:-

(i) These rules may be called the Indian Broadcastin (Engineers) Service(Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 5th November, 1981-

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules 1981, the existing Sub-Rule(2) of rule 7 shall be substituted as follows:-

(2) Appointments to Junior scale shall be made as under:-

(a) 50% of the substantive vacancies in the Junior scale shall be filled by direct recruitement on the results of a competitive Examinaton conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II and any scheme of examination that may be notified by Government, in consultation with the commission from time to time.

(b) The remaining 50% of the substantive vacancies shall be filled by substantive appointment of offiers appointed to the grade against temporary vacancies, under clause (c) given below, on the basis of Seniority subject to rejection of unfit on the recommendation of a duly consituted Deptt. promotion committee for confirmation in the grade as given in Schedule IV.

(c) All temporary vacancies in the Junior scale shall be filled by the Controlling Authority by promotion ofoffiers from the relevant filed of promotion and the minimum qualifying service as specified in the fourth column against serial No.6 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule IV.

NOTE:- Claeuses(a) and (b) of this sub-rule shall operate only after all the offiers appointed in Junior scale in accordance with sub rule (1) of rule 6 are considered for absorption and all offiers found fit are absorbed against permanent posts in the service. Provided that no person who has been considered for appointment to a

permanent post and has been found unfit by the Departmental promotion committee~~s~~ specified in Schedule IV shall be entitled to claim seniority over persons recruited subsequently under clauses (a) (b).

3. Sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Broadcasting (Engineers) service Rules, 1981, shall be substituted as follows:-

'Officers who join the service in any grade after its initial consitutiion , shall rank below those appointed to the service in that grade at the time of the consitution under rule 6'.

No.301/1/81-B(D)

Sd/-
(S.P.Upasani)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: 384785

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri.

A/23

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. 382(W) of 1985 for interim relief

in Writ Petition No. 334 of 1985

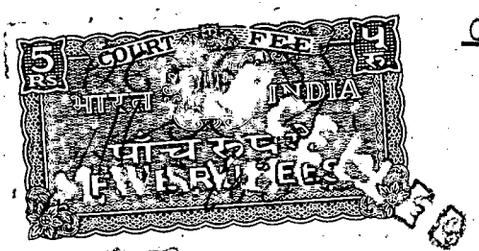

J.P.Jain, Assistant Station Engineer, Doordarshan Kendra, Lucknow ... Applicant

Versus

1. Union of India, through the Secretary to Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

2. The Director General, All India Radio, New Delhi

3. The Director General, Doordarshan, Mandi House, New Delhi.

4. Union Public Service Commission, through its Secretary, Shahjahan Road, New Delhi.

Opposite Parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and the reasons given in the accompanying writ petition supported by affidavit it is most humbly and respectfully prayed that during the pendency of the writ petition in the Honourable High Court, opposite parties be restrained from promoting or confirming any person junior to the applicant, by passing over the applicant in any manner.

Harguru Charan

(Harguru Charan)

Advocate

Counsel for the Applicant

Lucknow.
Dated 25.3.1985

A/24

TO

The Additional Registrar,
High Court of Judicature at Allahabad
Lucknow Bench,
Lucknow.

Sub:- Writ Petition NO.1334 of 1985 dt. 27-3-85.

Sir,

I had preferred Writ Petition NO.1334 of 1985 in regard to my seniority and promotion in which it was pointed out that 82 persons junior to the applicant were necessary parties and they be added as opposite parties.

The applicant gave necessary application within time allowed by the court, but since then writ petition is not listed with the result that no orddors could be passed even for admission of the writ petition and more complications are arising. Therefore, it is preyed that the aforesaid petition may be ordered to be listed on the week commencing 25.8.85.

-Sd-

(J.P.JAIN)

DATE: 19.8.85

ASSTT.STATION ENGINEER
DOORDARSHAN KENDRA: LUCKNOW.

My lawere Shri Harguru Charan will be out of station during the week commencing 25.8.85.

May I further pray that the petition be listed during the first week of September'1985. The inconvenience caused is regretted.

(J.P.JAIN) 22/8/85

(J. P. JAIN)
Asstt. Station Engineer.
Doordarshan Kendra, Lucknow

To,

The Additional Registrar,

High Court of Judicature, at Allahabad,

Lucknow Bench, Lucknow.

Sir

Writ Petiton No. 1334 of 1985

Jiwan Prakash Jain Versus Union of India and others

The applicant had preferred the aforesaid writ petition in the Honourable High Court of 27.3.1985 and the Honourable Ben was pleased to pass the order for interim relief that very day but the orders for admission could not be passed on that date as the applicant was directed to implead 82 more persons who were likely to be effected by the final orders passed in writ petition in regard to the seniority of the applicant, within one week after which the case was to be listed for orders as regards admission. The applicant moved the required application within time allowed by the court, but the writ petition has not yet been listed. After impleadment of 82 persons and admission of writ petition some time will be taken for service of notice and in case the writ petition is not listed before vacations the matter will be highly delayed creating complications.

Wherefore it is most respectfully prayed that the writ petition No. 1334 of 1985 with application for impleadme be ordered to be listed before the High Court Closes for summer vacations.

(Harguru Charan)
Advocate
Counsel for the Applic

Dt. 15.5.1985

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. 4046 of 1985

for addition of parties

In

Writ Petition No. 1334 of 1985.

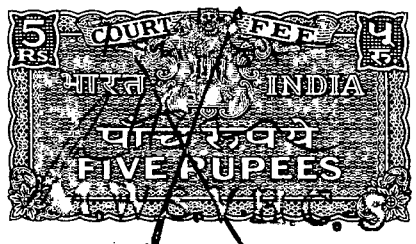

J.P. Jain, Assistant Station Engineer,
Doordarshan Kendra, Lucknow. .... Applicant.

IN THE MATTER OF

J.P. Jain. .... Petitioner.

Vs.

Union of India and others. .... Opposite Parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under :-

For the facts and reasons given in the accompanying affidavit it is most humbly and respectfully prayed that the persons detailed in the list enclosed with the affidavit may kindly be permitted to be added as opposite parties in the aforesaid Writ Petition.

Lucknow,
Dt. 1. .11 1985.

(Harguru Charan.)
Advocate,
Counsel for the Applicant.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. 4046 (W) of 1985

for addition of parties

In

Writ Petition No. 1334 of 1985.

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA

J.P. Jain, Assistant Station Engineer, Doordarshan Kendra, Lucknow. .... Applicant.

IN THE MATTER OF

J.P. Jain. .... Petitioner.

Vs.

Union of India and others............. Opposite Parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under :-

For the facts and reasons given in the accompanying affidavit it is most humbly and respectfully prayed that the persons detailed in the list enclosed with the affidavit may kindly be permitted to be added as opposite parties in the aforesaid Writ Petition.

Lucknow,
Dt. 1-11-1985.

Harguru Charan
(Harguru Charan.)
Advocate,
Counsel for the Applicant.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No._____of 1985
for addition of parties
In
Writ Petition No. 1334 of 1985.

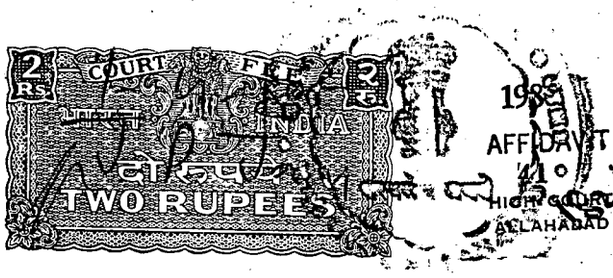

J.P. Jain, Assistant Station Engine-er,
Doordarshan Kendra, Lucknow.....Applicant.

IN THE MATTER OF

J.P. Jain. .... Petitioner.

Vs.

Union of India and others..... Opposite Partie-s.

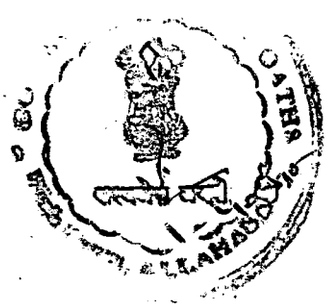

AFFIDAVIT.

I, Jiwan Prakash Jain, age-d about 46 years, son of Late Sri M.P. Jain, resident of MG 20 Sector 'C' Aliganj, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That the deponent has preferred the aforesaid Writ Petition in this Hon'ble Court on 27.3.1985 challenging the seniority in service of the deponent placed at Serial No. 352 in place of Serial No. 270. The Hon'ble Bench consisting Mr. Justice S.S. Ahmad and Mr. Justice B. Kumar was pleased to direct the deponent to implead all those persons from Serial No. 270 to 351 as opposite parties in the Writ Petition

A/28

within a week by moving an impleadment application. The list of persons from Serial No. 270 to 351 mentioned in Annexure No. 13 to the Writ Petition is enclosed herewith along with this affidavit.

Lucknow,
Dt. 1.4.1985.

(J.P. JAIN.)
DEPONENT.

I, the aforesaid deponent do hereby verify that contents of para 1 of this affidavit are true to my knowledge. No part of the affidavit is false and nothing material has been concealsed so help me God.

Dt. 1-4-1985.

(J.P. JAIN.)
Deponent.

I identify the deponent, who has signed before me.

Umesh Chandra Joshi, Clerk to Shri Harguru Charan, Advocate , High Court, Lucknow.

Solemnly affirmed before me on 1-4-85 at 9.30 AM/PM by the deponent Sri J.P. Jain who has been identified by Sri Umesh Chandra Joshi, Clerk to Sri Harguru Charan Advocate , High Court, Lucknow. I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have beeen read out and explained by me.

OATH COMMISSIONER.
Moho. Zubair
(Advocate)
Oath Commissioner
No. 18141. Date 1-4-85

4/19

5. Mr. I.N. Sudan.
6. Mr. Vinay Kumar Bhatia.
7. Mr. R.B. Ram.
8. Mr. Asvini Kumar Dixit.
9. Mr. N. Sridharan.
10. Mr. S. Hari.
11. Mr. Tajinder Pal Singh.
12. Mr. Bharat B. Sharma.
13. Mr. V.P. Mangala.
14. Mr. P.V. Issac.
15. Mr. L. Vasu.
16. Mr. C.B. Pillay.
17. Mr. A.P. Santara.
18. Mr. V.Srinivasamurthy.
19. Mr. D.R. Khanna.
20. Mr. N.M. Mehra.
21. Mr. Mahesh Chandra.
22. Mr. VIrendra Kumar Jain.
23. Mr. Satish Gupta.
24. Mr. N. Sivaprakesam.
25. Mr. Jay Prakash Naithani.
26. Mr. T.C. Sudhakara rao
27. Mr. K.Halakrishnan
28. Mr. T.V.S. Rao
29. Mr. Sudhir Ranjen Ghosh
30. Mr. Anil Kumar.
31. Mr. T.C. Ramdorai.
32. Mr. C.V. Ramakrishnan.
33. Mr. Iswar Singh.
34. Mr. Subrata Kumar Adak
35. Mr. R.K. Taneja.
36. Mr. DSRE Harnath Baba
37. Mr. Nisar AhnadKhan
38. Mr. Khajanmoddin A. Shekh.
39. Mr. S. Jayaramn.
40. Mr. A.V. Aroboti
41. Mr. R. Narasimha Swami
42. Mr. Ramakant Pandey.
43. Mr. Auimesh Chakarbarty
44. Mr. K.C. Vijayan.
45. Mr. K. Narayanamuthi
46. Mr. Ravindra Kumar Saxena
47. Mr. Virendra Pal Singh
48. Mr. L. Mananathan.
49. Mr. VNI Subramanium
50. Mr. M. Korthikeyan.
51. Mr. Bholanath.
52. Mr. T. Rajagopalan.
53. Mr. B. Sri Kumar.
54. Mr. M.G. Joshi.
55. Mr. S.P. Chopra.
56. Mr. S.V. Conkal.
57. Mr. S.K. Moorjani.
58. Mr. D.D. Bharadwaj.
59. Mr. Ved Rattan.
60. Mr. G.K. Thomas.
61. Mr. S.C. Garg.
62. Mr. V.K. PAthak.
63. Mr. A.S. Swaminathan.
64. Mr. V.K. Gupta.
65. Mr. E. Banerji.
66. Mr. H.S. Bawa.
67. Mr. S.C. Dass.
68. Mr. T.R. Mehta.
69. Mr. B.S. Prasad.
70. Mr. A. Natrajan.
71. Mr. Rajkumar Garg.
72. Mr. I.P.S. Arora.
73. Mr. K.C. Batra.
74. Mr. M.P. Singh.
75. Mr. R. Shrinivasan.
76. Mr. S.k. Chaterji.
77. Mr. Madanlal.
78. Mr. R.K. Roy
79. Mr. NVS Raju.
80. Mr. S.K. Patil.
81. Mr. S.L.K. Rao.
82. Mr. O.P. Goyal.
83. Mr. K.P. Bhaskaran.
84. Mr. Madn Mohan Thaman.
85. Mr. V. Rajalingain
86. Mr. D.L. NArang.

All C/O.
Director General,
All India Radio,
Akashvani Bhawan,
New Delhi.

8

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. 4046 of 1985

for addition of parties

In

Writ Petition No. 1334 of 1985.

J.P. Jain, Assistant Station Engineer,
Doordarshan Kendra, Lucknow. .... Applicant.

IN THE MATTER OF

J.P. Jain. .... Petitioner.

Vs.

Union of India and others.............. Opposite Parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under :-

For the facts and reasons given in the accompanying affidavit it is most humbly and respectfully prayed that the persons detailed in the list enclosed with the affidavit may kindly be permitted to be added as opposite parties in the aforesaid Writ Petition.

Lucknow,
Dt. 1.4.1985.

Harguru Charan
(Harguru Charan.)
Advocate,
Counsel for the Applicant.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No._____of 1985
for addition of parties
In
Writ Petition No. 1334 of 1985.

J.P. Jain, Assistant Station Engine-er,
Doordarshan Kendra, Lucknow.....Applicant.

IN THE MATTER OF

J.P. Jain. .... Petitioner.

Vs.

Union of India and others..... Opposite Partie-s.

AFFIDAVIT.

I, Jiwan Prakash Jain, age-d about 46 years, son of Late Sri M.P. Jain, resident of MG 20 Sector 'C' Aliganj, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That the deponent has preferred the aforesaid Writ Petition in this Hon'ble Court on 27.3.1985 challenging the seniority in service of the deponent placed at Serial No. 352 in place of Serial No. 270. The Hon'ble Bench consisting Mr. Justice S.S. Ahmad and Mr. Justice B. Kumar was pleased to direct the deponent to implead all those persons from Serial No. 270 to 351 as opposite parties in the Writ Petition

within a week by moving an impleadment application. The list of persons from Serial No. 270 to 351 mentioned in Annexure No. 13 to the Writ Petition is enclosed herewith along with this affidavit.

Lucknow,
Dt. .3.1985.

(J.P. JAIN.)
DEPONENT.

I, the aforesaid deponent do hereby verify that contents of para 1 of this affidavit are true to my knowledge. No part of the affidavit is false and nothing material has been concealsed so help me God.

Dt. .3.1985.

(J.P. JAIN.)
Deponent.

I identify the deponent, who has signed before me.

Umesh Chandra Joshi, Clerk to Shri Harguru Charan,
Advocate , High Court, Lucknow.

Solemnly affirmed before me on at AM/PM by the deponent Sri J.P. Jain who has been identified by Sri Umesh Chandra Joshi, Clerk to Sri Harguru Charan Advocate , High Court, Lucknow. I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have beem read out and explained by me.

OATH COMMISSIONER.

5. Mr. S.N. Sudan.
6. Mr. Vinay Kumar Bhatia.
7. Mr. D.B. Das
8. Mr. Anil Kumar Dixit.
9. Mr. N. Sridharan.
10. Dr. Mr. S. Nazi.
11. Mr. Tajinder Pal Singh.
12. Mr. Bharat B. Sharma.
13. Mr. V.P. Mangala.
14. Mr. P.V. Rao.
15. Mr. L. Vasu.
16. Mr. C.B. Pillay.
17. Mr. A.P. Santara.
18. Mr. V. Srinivasamurthy.
19. Mr. D.N. Khanna.
20. Mr. N.M. Mehra.
21. Mr. Ashesh Chandra.
22. Mr. Virendra Kumar Jain.
23. Mr. Satish Gupta.
24. Mr. N. Sivaprakasam.
25. Mr. Jay Prakash Baitharai.
26. Mr. T.C. Sudhakara rao
27. Mr. N. Malchandran
28. Mr. T.V.S. Rao
29. Mr. Sudhir Ranjan Ghosh
30. Mr. Anil Kumar.
31. Mr. T.C. Rambaral.
32. Mr. E.V. Ramakrishnan.
33. Mr. Sowar Singh.
34. Mr. Subrata Kumar Adak
35. Mr. R.K. Taraja.
36. Mr. DSRB Hemnath Deba
37. Mr. Ma Nisar Ahmedkhan
38. Mr. Khajamoddin A. Shaikh.
39. Mr. S. Jayaram.
40. Mr. A.V. Arakal
41. Mr. R. Narasimha Cemal
42. Mr. Ramakant Pandey.
43. Mr. Anilesh Chakraborty
44. Mr. K.G. Vijayan.
45. Mr. K. Narayanamurthi
46. Mr. Ravindra Kumar Saxena
47. Mr. Virendra Pal Singh
48. Mr. L. Ramanathan.
49. Mr. VNK Subramanium
50. Mr. R. Karthikeyan.
51. Mr. Bholanath.
52. Mr. Y. Rajagopalan.
53. Mr. B. Sai Kumar.
54. Mr. R.C. Joshi.
55. Mr. S.P. Chopra.
56. Mr. S.V. Kathal.
57. Mr. S.K. Agarwal.
58. Mr. D.D. Bhardwaj.
59. Mr. Ved Rattan.
60. Mr. G.K. Thomas.
61. Mr. S.C. Garg.
62. Mr. V.K. Pathak.
63. Mr. A.S. Swaminathan.
64. Mr. V.K. Gupta.
65. Mr. D. Banerji.
66. Mr. H.S. Deva.
67. Mr. S.C. Dass.
68. Mr. T.R. Mehta.
69. Mr. D.S. Prasad.
70. Mr. A. Natarajan.
71. Mr. Rajkumar Garg.
72. Mr. I.P.S. Arora.
73. Mr. K.C. Batra.
74. Mr. M.P. Singh.
75. Mr. R. Srinivasan.
76. Mr. S.K. Chaterji.
77. Mr. Madanlal.
78. Mr. R.K. Roy
79. Mr. NVS Raju.
80. Mr. S.K. Patil.
81. Mr. S.L.K. Rao.
82. Mr. B.P. Goyal.
83. Mr. K.P. Bhaskaran.
84. Mr. Ram Mohan Thapar.
85. Mr. V. Rajalingam
86. Mr. B.L. Nirong.

All C/O.
Director General,
All India Radio,
Akashvani Bhavan,
New Delhi.

A/80

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. 13,800 (w) of 1985 for service of notices on opposite parties no. 5 to 86 out side court in Writ Petition No. 1334 of 1985

J.P. Jain son of Shri M.P. Jain, resident of M.G.20 Aliganj Sector 'C', Lucknow. Applicant

IN THE MATTER OF

J.P. Jain Petitioner

Versus

Union of India and 85 others Opposite Parties

The applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and reasons given in the accompanying affidavit it is most humbly and respectfully prayed that the applicant be permitted to serve opposite parties no.5 to 86 through Director General All India Radio New Delhi out of court for which office be ordered to give the notices duly filled with date signatures and the seal of the High Court at the earliest.

Harguru Charan

(Harguru Charan)

Advocate

Counsel for the Applicant

Lucknow

Dated 19.11.1985

2.

14530

A/81

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. of 1985 for service of notice on opposite parties No.5 to 86 in Writ Petition No. 1334/198

J.P.Jain son of Shri M.P.Jain, resident of M.G.20 Aliganj Sector 'C' Lucknow — Applicant

IN THE MATTER OF

J.P.Jain — Petitioner

Versus

Union of India and 85 others — Opposite Parties

AFFIDAVIT

I, J.P.Jain, aged about 46 years son of Shri M.P.Jain resident of M.G.20 Aliganj Sector 'C', Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is petitioner in the aforesaid writ petition and he is acquainted with all the facts of the case.

2. That the writ petition is pertaining to seniority and promotion of the petitioner, which has been admitted on 31.10.1985 and the interim stay order granted earlier has also been confirmed.

3. That opposite parties no. 1 to 4 are served and they are represented through the Standing Counsel for the Union of India but opposite parties No. 5 to 86 which have been impleaded by name under the direction of the court as they have superceded the deponent. All opposite parties no.No. 5 to 86 who are spread over all the Television Centres through out the country have been impleaded as parties care of Director General of India All India Radio, New Delhi, as their separate addresses cannot be ascertained and the service on them will del

All India Radio &

the final hearing of the writ petition creating lot of complications regarding services of different persons.

4. That the deponent is prepared to go to Delhi and serve the duplicates for opposite parties no.5 to 86 through the Director General of All India Radio for which all th duplicates of the writ petitions and stay applications are ready and the notices for opposite parties have also been filled up. Only the office is required to put the dates signatures and the seal of the High Court.

5. That in the ends of justice for speedy disposal of the writ petition it is desirable that the deponent be permitted to serve the opposite parties no. 5 to 86 in the writ petition out of court.

J.P.JAIN
DEPONENT

Dated 19.11.1985

I, the aforesaid deponent do hereby verify that conten of para 1 to 4 are true to my knowledge and contents of 5 are believed to be true on the advice given by my counsel No part of the affidavit is false and nothing material has been concealed so help me God.

K. N. Srivastava
Advocate Oath Commissioner
High Court, Allahabad
Lucknow Bench Lucknow.
No. 37/1077
Date 19-11-85

J.P.JAIN
DEPONENT

Dated 19.11.1985

I identify the deponent who has signed before me. He is knowd to me personally.

19-11-85
Umesh Chandra Joshi
Clerk to Sri Harguru Charan Advocate, High Court Lko.

Solemnly affirmed before me on 19.11.1985 at 9.45 AM/PM by the deponent Sri J.P.Jain who has been identified by Sri Umesh Chandra Joshi Clerk to Sri Harguru Charan Advocate I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read out and explained by me.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M.Application No. 14705(a) of 1985 in respect of service of Notices on Opposite Parties No. 5 to 86 in Writ Petition No. 1334 of 1985

Jiwan Prakash Jain — Petitioner

Versus

Union of India and others — Opposite Parties

The petitioner applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and reasons given in the accompanying affidavit, it is most humbly and respectfully prayed that services of notices on opposite parties no. 5 to 86 in the aforesaid writ petition alongwith the affidavit of the applicant, be ordered to be brought on record of the writ petition, which may now be ordered to be listed for final hearing at an early date.

Harguru Charan
(Harguru Charan)
Advocate
Counsel for the Petitioner Applicant.

Lucknow.
Dated 18.12.1985

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD,

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M.Application No. of 1985 in respect of service of Notices on opposite parties No.5 to 86 in Writ Petition No. 1334 of 1985

Jiwan Prakash Jain Petitioner

Versus

Union of India and others Opposite Parties

AFFIDAVIT

I, Jiwan Prakash Jain aged about 46 years son of Late Shri M.P.Jain, resident of MG 20 Sector 'C' Aliganj Scheme, Lucknow , do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is petitioner in the aforesaid writ petition. He was directed to implead opposite parties No.5 to 86 in the writ petition, which he did , and the amendment of the writ petition for addition of opposite parties was allowed on 31.10.1985. Accordingly the parties were added on 4.11.1985.

2. That on 19.11.1985 the application for service of notices on opposite parties no. 5 to 86 through Director General of ~~India~~ All India Radio, New Delhi, out side court personally was allowed in the following words:-

"The prayer is allowed. The petitioner may be given Dusti Summons to effect service on opposite parties No. 5 to 86 through the Director General of All India Radio, New Delhi The expences will be born by the petitioner himself. The Certificate of service shall be filed by the petitioner."

3. That in compliance with the said order, the deponent took Dusti summons from this Honourable High Court and along with the duplicates of the amended writ petition and applic cations served the same in the office Director General of India Door Darshan, New Delhi and obtained receipt for the same. Later it was found that the same was a mistake as the notices were to be served through Director General of All India Radio,New Delhi, as such the mistake was corrected and the notices and duplicates etc were given in the office of Director General of All india Radio, New Delhi, which have been acknowledged on 4.12.1985. The Acknowledgements of Director General Door Darshan dated 29.11.1985 and Director General of All India Radion New Delhi dated 4.12.1985 with their seals on each and every one copy of the notice, while the other was retained by them with duplicates etc, are annexed herewith for all the opposite parties No.5 to 86, who are according served for appearance on 20.12.1985. This affidavit alongwith the receipts has to be taken on record of the writ petition.

(J.P.JAIN)
DEPONENT

Dated 18.12.1985

I, the deponent aforesaid do hereby verify that contents of para 1 to 3 of this affidavit are true to my knowledge.No part of the affidavit is false and nothing material has been concealed so help me God.

(J.P.Jain)
DEPONENT

Dated 18.12.1985

I identify the deponent who is known to me personally.He has signed before me

Umesh Chandra Joshi Clerk to Sri Harguru Charan
Advocate High Court,Lucknow.

Solemnly affirmed before me on 18.12.1985 at 9.10 AM/PM by the deponent Sri J.P.Jain who is identified by Sri Umesh Chandra Joshi Clerk to Sri Harguru Charan Advocate High Court Lucknow. I have satisfied myself by examining the deponent that he under stands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
(Lucknow Bench)
No. 34/1099
Date 18-12-85

From: Jiwan Parkash Jain,
Assistant Station Engineer,
Doordarshan Kendra,
22, Ashok Marg,
Luckno -226001.

Lucknow dated: 21st November, 1985

To : The Director General,
All India Radio,
Akashvani Bhawan,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject:- Service of notices under orders of the Hon. High Court of Judicature at Lucknow.

Sir,

I am enclosing herewith the notices, the duplicates of the writ petition and the duplicates of the application for the stay issued by Hon. High Court of Judicature at Lucknow which are required to be served on 82 persons (from Sl. No. 5 to 86 Opposite parties) under your subordination and control.

The notices for opposite parties from Sl. No. 1 to 4 have been taken by the Standing Counsel on their behalf.

Please accept the above mentioned notices for 82 persons in compliance of the Court Order and serve them on the concerned employees working under your subordination & control.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

JPJ

(J.P. Jain)
APPLICANT

Encls: As above.

Received with Petitions and stay orders for 82 Persons as per the list attached. [signature] 29/11/85

[stamp] ...आकाशवाणी भवन ... दिल्ली-110001

Received with Petition copies and Stay Order + Notices for 82 Persons as per list attached [signature] 29/11/85

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. of 1985 for interim relief in Writ petition No. 1334 of 1985.

J.P. Jain, Asstt. Station Engineer, Doordarshan, Lucknow - Applicant

Versus

1. Union of India, through the Secretary to Govt. of India, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
2. The Director General, All India Radio, New Delhi.
3. The Director General, Doordarshan, Mandi House, New Delhi
4. Union Public Service Commission, through its Secretary, Shahjahan Road, New Delhi.

5. I.M. Sudan	6. Vinay Kumar Bhatia	7. R.B. Ram
8. Asvini Kumar Dixit	9. M. Sricharan	10. S. Hari
11. Tajinder pal Singh	12. Bharat B. Sharma	13. V.P. Mangla
14. P.V. Isaac	15. L. Vasu	16. C.B. Pillay
17. A.P. Santra	18. V. Srinivasamurty	19. D.R. Khanna
20. N.M. Mehra	21. Mahesh Chandra	22. Virendra Kumar Jain
23. Satish Gupta	24. N. Sivaprakasan.	25. Jai Prakash Naithani
26. T.S. Sushekara Rao	27. K. Balakrishnan	28. R.V. Rao
29. Sudhir Ranjan Ghosh	30. Anil Kumar	31. T.G. Ramdorai
32. C.V. Ramakrisharan	33. Ishwar Singh	34. Subrata Kumar Adak
35. R.K. Taneja	36. D. Harnath Baba	37. Nisar Ahmed Khan
38. Khajanmoddin A.	39. S. Jayaraman	40. A.V. Aroboti
41. R. Narasimha Swamy	42. Ramakant Pandey	43. A. Chakroborty,
44. K.C. Vijayan	45. K. Narayanmurthy	46. Ravindra Kr. Saxena
47. Virendra pal Singh	48. L. Mananathan	49. V. Subramaniam
50. M. Karthikeyan	51. Bhola Nath	52. T. Rajagopalan
53. B. Srikumar	54. M.C. Joshi	55. S.P. Chopra
56. S.V. Konkal	57. S.K. Moorjhni	58. D.D. Bhardawaj
59. Ved Rattan	60. G.K. Thomas	61. S.C. Garg,
62. V.K. Pathak	63. A.R. Swaminathan	64. V.K. Gupta
65. B. Banerji	66. H.S. Bawa	67. S.C. Das
68. T.R. Mehta	69. V.S. Prasad	70. A. Natrajan
71. Raj Kumar Garg	72. J.P.S. Arora	73. K.C. Batra
74. M.P.N. Singh	75. R. Srinivasan	76. S.K. Chatterji
77. Madan Lal	78. R.K. Rao	79. N.V.R.S. Raju
80. S.K. Patil	81. S.L.K. Rao	82. O.P. Goel
83. J.P. Bhasakaran	84. Madan Mohan Thaman	85. V. Rajalingam
86. D.L. Narang		

C/O THE DIRECTOR GENERAL, ALL INDIA RADIO, AKASHVANI BHAWAN, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI.

- Opposite parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and the reasons given in the accompanying writ petition supported by affidavit it is most humbly and respectfully prayed that during the pendency of the writ petition in the Honourable High Court, Opposite parties be restrained from promoting or confirming any person junior to the applicant, by passing over the applicant in any manner.

(Barguru Charan)
Advocate
Counsel for the Applicant

Lucknow,
Dated: 23/3/85

Received with Petitions and Stay order for 82 persons as per this list.
[signature]

Received with Petition Copies and Stay order + Notices for 82 persons as per this list
29/3/85
[signature]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M. Application No. of 1985 for interim relief in
Writ petition No. 1334 of 1985.

A/6

J.P. Jain, Asstt. Station Engineer, Doordarshan, Lucknow - Applicant

Versus

1. Union of India, through the Secretary to Govt. of India, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
2. The Director General, All India Radio, New Delhi.
3. The Director General, Doordarshan, Mandi House, New Delhi
4. Union Public Service Commission, through its Secretary, Shahjahan Road, New Delhi.

5. I.M. Sudan
6. Vinay Kumar Bhatia
7. R.B. Ram
8. Asvini Kumar Dixit
9. M. Sricharan
10. S. Hari
11. Tajinder pal Singh
12. Bharat B. Sharma
13. V.P. Mangla
14. P.V. Isaac
15. L. Vasu
16. C.B. Pillay
17. A.P. Santra
18. V. Srinivasamurty
19. D.R. Khanna
20. N.M. Mehra
21. Mahesh Chandra
22. Virendra Kumar Jain
23. Satish Gupta
24. N. Sivaprakasan
25. Jai Prakash Naithani
26. T.S. Sushekara Rao
27. K. Balakrishnan
28. R.V. Rao
29. Sudhir Ranjan Ghosh
30. Anil Kumar
31. T.C. Ramdorai
32. C.V. Ramakrisharan
33. Ishwar Singh
34. Subrata Kumar Adak
35. R.K. Taneja
36. D. Harnath Baba
37. Nisar Ahmed Khan
38. Khajanmoddin A.
39. S. Jayaraman
40. A.V. Aroboti
41. R. Narasimha Swamy
42. Ramakant Pandey
43. A. Chakroborty,
44. K.C. Vijayan
45. K. Narayanmurthy
46. Ravindra Kr. Saxena
47. Virendra pal Singh
48. L. Mananathan
49. V. Subramaniam
50. M. Karthikeyan
51. Bhola Nath
52. T. Rajagopalan
53. B. Srikumar
54. M.C. Joshi
55. S.P. Chopra
56. S.V. Konkal
57. S.K. Moorjhni
58. D.D. Bhardawaj
59. Ved Rattan
60. G.K. Thomas
61. S.C. Garg,
62. V.K. Pathak
63. A.R. Swaminathan
64. V.K. Gupta
65. B. Banerji
66. H.S. Bawa
67. S.C. Das
68. T.R. Mehta
69. V.S. Prasad
70. A. Natrajan
71. Raj Kumar Garg.
72. J.P.S. Arora
73. K.C. Batra
74. M.P.N. Singh
75. R. Srinivasan.
76. S.K. Chatterji
77. Madan Lal
78. R.K. Rao
79. N.V.R.S. Raju
80. S.K. Patil
81. S.L.K. Rao
82. O.P. Goel
83. J.P. Bhasakaran
84. Madan Mohan Thaman
85. V. Rajalingam
86. D.L. Narang

C/O THE DIRECTOR GENERAL, ALL INDIA RADIO,
AKASHVANI BHAWAN, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI.

- Opposite parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and the reasons given in the accompanying writ petition supported by affidavit it is most humbly and respectfully prayed that during the pendency of the writ petition in the Honourable High Court, Opposite parties be restrained from promoting or confirming any person junior to the applicant, by passing over the applicant in any manner.

(Harguru Charan)
Advocate
Counsel for the Applicant

Lucknow.
Dated: 23/3/85

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

C.M.Application No. of 1985 for interim relief in
Writ petition No. 1334 of 1985.

J.P.Jain, Asstt.Station Engineer, Doordarshan, Lucknow - Applicant

Versus

1. Union of India, through the Secretary to Govt. of India, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
2. The Director General, All India Radio, New Delhi.
3. The Director General, Doordarshan, Mandi House, New Delhi
4. Union public Service Commission, through its Secretary, Shahjahan Road, New Delhi.

5. I.M.Sudan	6. Vinay Kumar Bhatia	7. R.B.Ram
8. Asvini Kumar Dixit	9. M.Sricharan	10. S. Hari
11. Tajinder pal Singh	12. Bharat B.Sharma	13. V.P.Mangla
14. P.V.Isaac	15. L. Vasu	16. C.B.Pillay
17. A.P.Santra	18. V. Srinivasamurty	19. D.R.Khanna
20. N.M.Mehra	21. Mahesh Chandra	22. Virendra Kumar Jain
23. Satish Gupta	24. N.Sivaprakasan	25. Jai prakash Naithani
26. T.S.Sushekara Rao	27. K.Balakrishnan	28. R.V.Rao
29. Sudhir Ranjan Ghosh	30. Anil Kumar	31. T.C.Ramdorai
32. C.V.Ramakrisharan	33. Ishwar Singh	34. Subrata Kumar Adak
35. R.K.Taneja	36. D. Harnath Baba	37. Nisar Ahmed Khan
38. Khajanmoddin A.	39. S. Jayaraman	40. A.V.Aroboti
41. R. Narasimha Swamy	42. Ramakant pandey	43. A.Chakroborty,
44. K.C.Vijayan	45. K. Narayanmurthy	46. Ravindra Kr. Saxena
47. Virendra pal Singh	48. L.Mananathan	49. V. Subramaniam
50. M. Karthikeyan	51. Bhola Nath	52. T.Rajagopalan
53. B. Srikumar	54. M.C.Joshi	55. S.P.Chopra
56. S.V.Konkal	57. S.K.Moorjhni	58. D.D.Bhardawaj
59. Ved Rattan	60. G.K. Thomas	61. S.C.Garg,
62. V.K.Pathak	63. A.R.Swaminathan	64. V.K.Gupta
65. B. Banerji	66. H.S.Bawa	67. S.C.Das
68. T.R.Mehta	69. V.S.Prasad	70. A. Natrajan
71. Raj Kumar Garg	72. J.P.S.Arora	73. K.C.Batra
74. M.P.N.Singh	75. R. Srinivasan	76. S.K.Chatterji
77. Madan Lal	78. R.K.Rao	79. N.V.R.S.Raju
80. S.K.Patil	81. S.L.K.Rao	82. O.P.Goel
83. J.P.Bhasakaran	84. Madan Mohan Thaman	85. V. Rajalingam
86. D.L.Narang	C/O THE DIRECTOR GENERAL, ALL INDIA RADIO, AKASHVANI BHAWAN, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI.	

- Opposite parties.

The applicant most respectfully begs to submit as under:-

For the facts and the reasons given in the accompanying writ petition supported by affidavit it is most humbly and respectfully prayed that during the pendency of the writ petition in the Honourable High Court, Opposite parties be restrained from promoting or confirming any person junior to the applicant, by passing over the applicant in any manner.

(Barguru Charan)
Advocate
Counsel for the Applicant

Lucknow.
Dated: 23/3/85

4 (5)

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या CCC 3020(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain C/O DDK LUCKNOW (A.S.E.) प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

Sri I.M.Sudan c/o Director General

All India Radio

New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी मे इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ......के नाम ......के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी~~ ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

......के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

ADVOCATE

तिथि......

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना - इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

9 (5)

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या CCC 3020(U) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain C/O DDK LUCKNOW (A.S.E) .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Sri I.N.Sudan c/o Director General

All India Radio

New Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।~~

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020 (U) 85 सन १९ ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ..... प्रत्यार्थी

Vincy Kumar Bhatia C/O Director General

All India Radio New Delhi

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।~~

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

ADVOCATE

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५३ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

11 6

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020 (W) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ..... प्रत्यार्थी

Vinay Kumar Bhatia C/O Director General

All India Radio New Delhi

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।~~

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

7

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(ब) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ......प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ......प्रत्यार्थी

R.B.Ram C/O Director General All India Radio New Delhi

......

......प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ......के नाम ......के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी~~ ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

......के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि......

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

7

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3320(U) सन १९85 ई०

—— 1334 सं० 85 सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ......प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others

......प्रत्यार्थी

R.b.Ron C/O Director General All India Radio New Delhi

......प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ......के नाम ......के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । ~~उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।~~

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

HAR GURU ...... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ......

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(U) 85 सन १९ ई०

1334 सं० 85 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others

प्रत्यार्थी

Ashini Kumar Dixit C/) Director General All India Radio New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में के नाम के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलावें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

HAR GURU CH के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९ को नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

15

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(U) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ...प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ...प्रत्यार्थी

Aswini Kumar Dixit C/) Director General All India Radio New Delhi

...प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...के नाम ...के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 26 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

...के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

16 9

D.

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

रि 3820(W) 85

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ....सन १९ 85 ई०

1334

—........ ....सं०.................. ......सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

....प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

....प्रत्यार्थी

R. Sricharan C/o Director General All India Radio N. Delhi

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ... .के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

BAR GURU CH...

ADVOCATE

तिथि..

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

12 9

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ह 3820(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० .... सन १९ 05 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

A.Sricharan C/o Director General All India Radio N.Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CH

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3920(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० 05 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordershan Lucknow ... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ... प्रत्यार्थी

S.Hari C/O Director General All India Radio N.Delhi

... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ... के नाम ... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

... के एडवोकेट

HAR GURU C...

ADVOCATE

तिथि ...

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

19 10

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या S820(W) सन १९ 85 ई०

— 1336 सं० सन १९ 85 में

J.P. Josh Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

3. Hon'l C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

HAR GURU .... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

20 11

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

W.P. 1334 सं० सन १९85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ......प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ......प्रत्यार्थी

Tajinder Pal Singh C/O Director General All India Radio New Delhi

...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ......के नाम ......के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 27 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

......के एडवोकेट

HAR GURU ...

ADVOCATE

तिथि ......

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३६ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(U) 85 सन १९ ई०

1994 ..... सं० ..... सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ..... प्रत्यार्थी

Tajinder Pal Singh C/O Director General All India Radio New Delhi

.....

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

HARGURU

ADVOCATE तिथि .....

ALLAHABAD HIGH COURT

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

22 12.

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग 3020(W) 05

प्रकीर्णक (मुतफर्रिका) प्रार्थना पत्र संख्या.................. सन् १९85 ई०

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

....प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

......Bharat B.Sharma C/O Director General All India Radio New Delhi प्रत्यार्थी

....

....

..............................प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

....के एडवोकेट

तिथि..................................

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

-3) 13

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ 05 ई०

1334 सं० 05 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Bharat B.Sharma C/O Director General All India Radio New Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHAR

ADVOCATE

तिथि .... [signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक़ 1334) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ 85 ई०

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow सं० सन १९ ई० में

प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

प्रत्यार्थी

V.P.Mengola C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN
ADVOCATE

तिथि ....

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

13

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक़) 1334 प्रार्थना पत्र संख्या 3320(W) सन १९ 85 ई०

85

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

.... प्रत्यार्थी

V.P.Angola C/O Director General All India Radio N.Delhi

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

19

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(U) सन १९ 83 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan LUCKNOW .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

P.V.Iocco C/O Director General All India Radio N.Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

14

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 में

J.P. Jain Asst. Station Engineer Doordarshan LUCKNOW प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

P.V. Iocco C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE तिथि

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

15

28

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) 1334 प्रार्थना पत्र संख्या 3020(ध) सन १९ 05 ई०

—.......................... सं०................ सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

.... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

.... प्रत्यार्थी

L.Vasu C/O Director General All india Radio N.Delhi

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी मे इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 29 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN
ADVOCATE

तिथि........................

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3320(U) सन १९ 85 ई०
1334 85

——.................... सं०.................. सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow
.... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति
.... प्रत्यार्थी

L. Vasu C/O Director General All india Radio N.Delhi
....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

BAR GURU CH...

ADVOCATE

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALL...

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर .

[illegible]

16

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(U) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९5० में

J. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

union of India & others .... प्रत्यार्थी

S.L.Pilley C/O Director General All India Radio N.Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके वाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

BAR ...

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ वियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

16

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९85 ई०

—1334 सं० सन १९85 ई० में

J. [illegible] Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

S.L. Pillay C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...के नाम ...के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

...के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

37

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना - पत्र संख्या(W) ....सन् १९ ई०]

..................संख्या 13340 ....सन् 1985 ई० में

.... J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

Union Of India & Others

A.P.Sarkar C/O Director General All India Radio N.Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन् 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतावें कि प्रार्थना-पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हों उपस्थित न होंगे तो उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन् 1985 को जारी किया गया।

..................के एडवोकेट

तिथि..................

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना - पत्र संख्या 3320(U) सन १९ 85 ई०]

.... सं० 1334c सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others प्रत्यार्थी

A.P.Sentre C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 मास 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतायें कि प्रार्थना-पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार निश्चित किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हों उपस्थित न होंगे तो उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 मास 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

BAR ... ADVOCATE

....

HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

34 14

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(M) सन १९ CS ई०

1334C सं० 05 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Section Engineer DOORDARSHAN lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

V.Srinivasamurty C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...के नाम ...के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 26 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...के एडवोकेट

HAR GURU ...
ADVOCATE

तिथि

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

18

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(U) सन १९ 85 ई०

— 1334a सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst station Engineer DOORDARSHAN lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

V.Srinivasamurty C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CH

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

19

36

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ '85 ई०

— 1334 सं० 85 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

J.R.Khanna C/O Director General All India Radio N Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अत: आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE HIGH COURT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

19

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

.... प्रत्यार्थी

D.R.Khanna C/O Director General All India Radio N Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

(High Court Allahabad seal)

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

20

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

N.A.Nohra C/O Director General All India Radio N Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE

HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

20

39

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.C. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ....प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others ....प्रत्यार्थी

N.R. Mehra C/O Director General All India Radio N Delhi

..........प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 80 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..........के एडवोकेट

HAR GURU ... ADVOCATE

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

D 40 21

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ '85' ई०

1334 सं० 05 सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ....प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

..........प्रत्यार्थी

Ahesh Chandra C/O Director General All India Radio N Dolhi

..........प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..........के एडवोकेट

तिथि..........

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

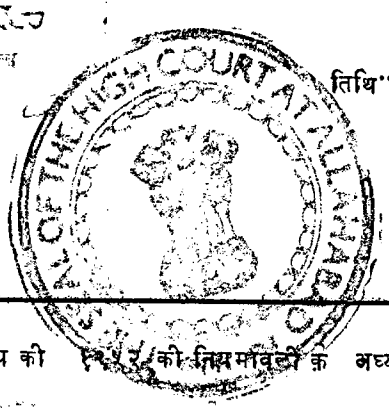

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की ....की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

५१ 21

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ '85' ई०
1334 05

संख्या सन १९ ई० में
J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

प्रत्यार्थी
Ramesh Chandra C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

..................के एडवोकेट

HAR ADVOCATE

तिथि..................

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

42 22

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

Virendra Kumar Jain C/O Director General All India Radio New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की ... नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

22

43

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Enginoor Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Virendra Kumar Jain C/O Director General All India Radio
New Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

HAR GU... ADVOCATE

.... तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

23

५५.

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) 1334 प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) 85 सन १९ 85 ई०

—— सं० सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

प्रत्यार्थी

Satish Gupta C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...के नाम ...के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...के एडवोकेट

HAR GOVIND ...

ADVOCATE तिथि

(हस्ताक्षर)

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

23

45

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

3820(U) 05

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक़) प्रार्थना पत्र संख्या.................... सन १९ 85 ई०

.... सं०............... सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

.... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

.... प्रत्यार्थी

Satish Gupta C/O Director General All India Radio N Delhi

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

46 24

D

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ....सन १९ ई०

—(.......................सं...............सन १९ ई० में)

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 30 माह 12 सन १९85 को (या उससे पूर्व) उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.................................के एडवोकेट

ADVOCATE लिपि.................................

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

24

47

D

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

..............................सं०..............सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..............................के एडवोकेट

HAR [illegible] RAN

ADVOCATE

तिथि..............................

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

4 48 25

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

Jai Parkash Nasthani C/O Director General All India Radio N.Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

49 25

A

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

— 1334 सं० 85 सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Jai Parkash Naithani C/O Director General All India Radio N.Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

...CHARAN .... के एडवोकेट

ADVOCATE

लिपिक ....

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

50 26

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W)85 सन १९ ई०

W.P. सं० 1334 सन १९ ई० में 85

J.P. Jain प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

T.S. Seshekara Rao C/o All India Radio New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

Union of India & Others

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow

HAR GURU CHARAN .... के एडवोकेट 85 1334

ADVOCATE 85 3820 तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

5 26

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W)85 सन १९ ई०

W.P. सं० 1334 सन १९ ई० में 85

J.P. Jain प्रार्थी

प्रति

Union of India प्रत्यार्थी

T. S. Sushekara Rao
C/o All India Radio
New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए नियमानुसार अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

52 27

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(w) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst. Station Engineer Doordarshan Lko प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

K. Balakrishnan

c/o Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 28 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD ... ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

53 27

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९८५ ई०

— ......1534.......... सं० ....सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक ...... माह ...... सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

110

28

54

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020 (W) सन १९85 ई०

— 1334 सं० सन १९85 में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

R.V.R.C. C/O All India Radio New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 2 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

SAR GURU C... ...N

ADVOCATE

तिथि ....

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

55 28

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 ड .... सन 85 ई०

—............................... 1334 सं०................. ......सन १९ ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ...... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ...... प्रत्यार्थी

R.V.R. C/O All India Radio New Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 2 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20...... माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

....................................के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

29

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९85 ई०

— 1314 सं० सन १९85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

Sudhir Ranjan Ghosh C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

HAR CHARAN

ADVOCATE

तिथि............

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

29

57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 .M......सन १985 ई०

—....... ....1334.....सं०................ ....सन 85ई० में

....J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow.....प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others..प्रत्यर्थी

Sudhir Ranjan Ghosh C/O Director General All India Radio N Delhi

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

58 30

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 ड सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Anil Kumar C/O Director General All India Radio N Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

30

59

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others .... प्रत्यार्थी

Anil Kumar C/O Director General All India Radio N Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 26 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

8 3/

60

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020 W सन १९ 05 ई०

1334 सं० सन १९ 05 ई० में

J.P.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ...... प्रार्थी

Union of India & others प्रति

...... प्रत्यार्थी

T.C. Randerai C/O Director General All India Radio N.Delhi

...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...... के नाम ...... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...... के एडवोकेट

HAR GUR... ADVOCATE

तिथि ......

THE HIGH COURT

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

6

3

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 U सन १९ 05 ई०

1334 सं० सन १९ 05 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

Union of India & others प्रति

.... प्रत्यार्थी

T.C. Randorai C/O Director General All India Radio N.Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

HIGH COURT

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

62 32

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J. Kain Asst Station Engineer Doordarshan LUCKNOW प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

प्रत्यार्थी

C.V.Ramakrishnan C/O Director General All India Radio N Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 26 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 30 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

BIAR GURU C...

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ... नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

63 32

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(U) सन १९ 85 ई०

— 1934 सं० सन १९ 85 ई० में

J.C. Jain Asst Station Engineer Doordarshan LUCKNOW .... प्रार्थी

Union Of India & Others प्रति

.... प्रत्यार्थी

C.V. Ramakrishnan C/O Director General All India Radio N Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 2.12. माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU ...
ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

... नई दिल्ली 110001

6ऋ 33

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3020(W)..... सन 1985 ई०

—...... ....1334.........सं०................ ....सन 1985ई० में

J.K.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ....प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ....प्रत्यार्थी

Iqbal Singh C/O Director General All India Radio N Delhi

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ... .के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 26 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

HAR ...

ADVOCATE

तिथि..............................

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

65 33

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W)....सन १९85 ई०

—..... .....1334.....सं०..... .....सन १९85 में

J.H. Jain..Asst..Station..Engineer..Doordarshan..Lucknow.....प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others.....प्रत्यार्थी

Sohvar Singh..C/O..Director..General All India Radio N Delhi

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

HAR GURU ... ...AN

ADVOCATE तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना भिल गवा ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

3y

16

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others ..... प्रत्यर्थी

Subrata Kumar Adak C/C Directo r General All Imdia Radio N Dli

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में, ... के नाम ..... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिर्शांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

... ADVOCATE

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J.K.Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

Subrata Kumar Aduk C/O Director General All India Radio N Dli

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 2 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN
ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

35

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 ब सन १९85 ई०

— 1334 सं० सन १९ 85 में

J. P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow ……… प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others

……… प्रत्यार्थी

R.K. Taneja C/O Director General All India Radio N Delhi.

………

……… प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ……… के नाम ……… के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक ……… माह ……… सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक ……… माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

……… के एडवोकेट

तिथि………

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना-मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

35

69

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 ब सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J. P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

Union of India & Others प्रति

प्रत्यार्थी

R. K. Tuneja C/O Director General A I India Radio N. Delhi.

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे* के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

............के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN
ADVOCATE

तिथि............

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

36

70

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

J. P. Jain ... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ... प्रत्यार्थी

... Director General All India Radio

New Delhi

... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ... के नाम ... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

... के एडवोकेट

HAR GURU CH... AN

ADVOCATE

तिथि ...

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

... नई दिल्ली 110001

12 37

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W 85 सन १९ ई०

1324 सं० सन १९85 ई० में

A. P. Jain Asst Stn Engr. ... Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others- प्रत्यार्थी

Nisar Ahmed Khan ... N. Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में, हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

HAR GURU CHARAN ADVOCATE के एडवोकेट

तिथि........................

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE SEAL OF THE HIGH COURT

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

.................................सं०.................सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 22 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN ADVOCATE

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९85 ई० में

J.J. Tan .... Asst. Ch. Engr ....प्रार्थी

प्रति-

Union of India & Others

........................प्रत्यार्थी

~~[illegible]~~

Khoja [illegible] A. C. [illegible] Gen

All India Radio N. [illegible] ....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह [illegible] सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 26 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

..........................के एडवोकेट

तिथि..........................

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

74 38

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन् १९ ई०

.... सं० ....सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 28 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 26 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

........................के एडवोकेट

तिथि........................

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

75 39

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ......सन १९ ई०

.... 331 सं० .... सन १९ई में

.... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others .... प्रत्यार्थी

.... of Dir Gen All India Radio N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.....सन १९ ई०

.....सं०.....सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

77 ⁄ 10

५

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 382 (W) सन् १९ 85 ई०

in

.... सं० .... सन १९ ई० में

J. P. Jain Asst Stn Engr. A.I.R. Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others. .... प्रत्यार्थी

A. V. Arcbati Cl. Engr. for All India Radio N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

HAR GURU CHARAN के एडवोकेट

ADVOCATE

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 22 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

५१

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3828 (W) सन १९85 ई०

— 1321 सं० .... सन १९ 85

.... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others .... प्रत्यार्थी

R. Narasimha Swamy C/o Dir. Gen. All India Radio N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

ADVOCATE

2 9 NOV 1985

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना—इस न्यायालय के १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

41

80

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

—..............................सं०.............. ......सन १९ ई० में,

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ... .के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

GURU CHARAN

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

81 42

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

......................................सं०................ ....सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९81 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 81 को जारी किया गया ।

......................................के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

43

83

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 38 ......सन 1985 ई०

—......................[illegible].........सं०.................. ....सन १९85 में

[illegible] Jain [illegible] ....प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others ....प्रत्यार्थी

A. [illegible] Director Gen. All India Radio

N. Delhi

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ... .के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 2..... माह 12..... सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20..... माह 11..... सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

HAR GURU

ADVOCATE

तिथि..

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT

सूचना—इस न्ययालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

43

84

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९८५ ई०

—...............................सं०............... ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हों कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

....के एडवोकेट

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

लिपिक..

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

५५

85

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या [illegible] सन १९८[illegible] ई०

— [illegible] सं० .... सन १९[illegible] में

[illegible] प्रार्थी

प्रति

[illegible] प्रत्यार्थी

[illegible]

.... [illegible]

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 2 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 2 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

ARAN

CATE तिथि ....

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९[illegible] की नियमावली के अध्याय [illegible] नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

[signature]

५५

86

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

—..................................सं०................ ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ... .के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

..................................के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN
ADVOCATE

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

45

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3520 W सन १९85 ई०

सं० सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

Union of India & others

प्रति

.... प्रत्यार्थी

K. Narayanmurthy, Dir. Gen. All India Radio

N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 7 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CH...

THE SEAL OF THE HIGH COURT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

89 54

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 5820 सन १९ 85 ई०

— 1256 सं० सन १९ 85 ई० में

... Jain Asst. Stn Engr. AIR Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others प्रत्यार्थी

Ravindra Kr. Saxena C/o Dir. General All India Radio N' Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

9 NOV 1985

तिथि ....

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

90 56

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या..................सन १९ ई०

— ....सं०...................सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

....के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

91

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) 1336 प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन् १९85 ई०

सं० सन् १९85 ई० में

I. P. Jain Asst. Cm Engr. A.I.R. Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others .... प्रत्यार्थी

Virendra Pal Singh C/o Director General All India Radio N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HAR GURU CHARAN

[illegible] ADVOCATE

तिथि ....

SEAL OF THE HIGH COURT

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

92 47

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९५५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९५५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

93

58

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग 3820 W 85

प्रकीर्णक (मुतफर्रिका) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ 85 ई०

J. Jain Asst. Stn. Engr. सं० ... सन १९ ई० ... Lucknow

.... प्रार्थी

Union of India & others प्रति

.... प्रत्यार्थी

2. Mananthan G.. Dir. Gen, All India Radio N' Delhi

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

...ARAN

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

94

48

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ 85 ई०

.... सं० .... सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक ...... माह ...... सन १९8_ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

............ARAN .... के एडवोकेट

ADVOCATE

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

95 49

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) 1534 प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९ 85 ई०

J P Jain Asst. Stn Engr [illegible] Lucknow सन् १९ 85 ई० में

....प्रार्थी

Union of India & others प्रति

....प्रत्यार्थी

V. Subramanyam C/o Dir Gen All India [illegible] N. Delhi

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक [illegible] माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 22 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..................................के एडवोकेट

तिथि..................................

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ... LUCKNOW

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९५१ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९५१ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना भिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

97 50

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................... सन १९ 85 ई०

..................................सं०.................. ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

M. K. ... C/o ... (Res. ...) ...

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि..

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.....सन १९ ई०

.....सं०..... .....सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

99 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(w) सन १९85ई०
1334

....सं०.................सन १९85ई० में

J.P. Jain Asst. Engineer Doordarshan Lucknow ...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

Shri Bhola Nath
C/o Director General All India Radio
New Delhi ...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 22 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि..

(हस्ताक्षर)
डिप्टी रजिस्ट्रार
~~इलाहाबाद/लखनऊ~~

(मोहर: SEAL OF THE HIGH COURT ...)

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

150 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3 120(W) 1334 सन १९ 85 ई०

.... सं० .... सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 2 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जावे । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

SEAL OF THE HIGH COURT AT ... LAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

52

101

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420(w) सन १९85 ई०

1334 .... सं० .... सन १९ ई० में

J. I. Jain Asst. Engineer Doordarshan Lucknow ...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

Shri Rajagopalam. C/o Director General All India Radio New Delhi. ...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

THE SEAL OF THE HIGH COURT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

103 53

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3/20(w) सन १९85 ई०

1334 सं० .... सन १९65 ई० में

U.P. Jr. Asst. Engineer D... ...shan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ..... प्रत्यार्थी

Shri B ... Kumar

C/o. Director General ... New Delhi ..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

104 53

D

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

Shri B. Srikumar

.....

New Delhi.

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

105 54

D

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(w) सन १९ 85 ई०

1534 सं० सन १९ 85 ई० में

Y. P. Jain Asstt. Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ..... प्रत्यार्थी

Shri M. C. Joshi
C/o Director General All India Radio
New Delhi ..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

106 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 (W) सन १९ 85 ई०

1231 सं० सन १९ 85 ई० में

U P Jal Nigam Engineer Division Lucknow ... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ... प्रत्यार्थी

Sri M C Joshi

C/o Director Central ... New Delhi ... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि........

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

107
15

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९85 ई० में

U.P. Jr. Asst. 5th Engineer Association Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri S.P. Chopra
C/o Director General All India Radio
New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

108 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

1334 सं० .... सन १९85 में

J.P. Jain, Asst. Stn. Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri S.V. Kankal

C/o Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

[signature]

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

109 56

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय- १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९८५ ई०

........1331........सं०................ ....सन १९८५ में

J. P. Jain .... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

ए ↗10 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420(W) सन १९85 ई०

— 1354 सं० सन १९ ई० में 85

J.P. Inst. Asst. Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others. प्रत्यार्थी

Shri S.K. Moorghhi

C/o Dy. Director General all India Radio New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

(signature)

डिप्टी रजिस्ट्रार,
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

॥ 57

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ....(..) सन १९८५ ई०

.... सं० .... सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

112 58

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(w) सन १९ 85 ई०

1331 85

— सं० सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst Doordarshan Lucknow ......प्रार्थी

Union of India & others ......प्रत्यार्थी

Shri D D Bhardwaj
C/o Director General All India Radio
New Delhi ......प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ......के नाम ......के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

......के एडवोकेट

29 NOV 1985

तिथि......

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

113 58

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ ई०

...... सं० ...... सन १९ 85 ई० में

J Patkim [illegible] Development Limited ...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

Sri D.D. Bhardwaj
C/o Director [illegible]
New Delhi ...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...... के नाम ...... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन 1985 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन 1985 को जारी किया गया ।

...... के एडवोकेट

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ......

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

1000112000

59 114

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3824(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

U.P. Jain Asst. L[illegible] Dir[illegible] Vidhan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

+ Shri Ved Rattan

C/o Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/~~लखनऊ~~

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

114

59

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

115

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

— सं० 1334 सन १९ 85 ई० में

J.P. Jain Asst. Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri G.K. Thomas

c/o Director General All India Radio New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

2 9 NOV 1985

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

116

65

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना भिज गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

117 61

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420(W) सन 85 ई०

1334 सं० सन 85 ई० में

U.P Jal Nal Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others प्रत्यार्थी

Shri D.C. Garg
C/o Director General All India Radio
New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को (या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 5420(L) सन १९85 ई०

—........................सं०.................. ....सन १९85ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

S.C. Garg
40 ...
N. Delhi

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

119 62

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420(W) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० ...... सन १९ 85 ई० में

Shri J. P. [illegible] Asstt. Engineer Door Darshan Lucknow ...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

Shri V. K. Pathak c/o Director General All India Radio New Delhi ...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...... के नाम ...... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

...... के एडवोकेट

तिथि ......

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 5821 सन १९ ई०

सं० सन १९ ई० में

प्रार्थी

प्रति

प्रत्यार्थी

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

120 63

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

1334 सं० .... सन १९ ई० में 85

Shri J.P. Jain Asstt Engineer Doordarshan Lucknow. ...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

Shri A.K. Swaminathan
c/o Director General All India Radio
New Delhi ...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

121 63

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ (ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 2e माह 12 सन १९८५ को, या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 2e माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

122

64

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ( ) सन १९८ ई०

.... सं० ....सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

123

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम २ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (तुतफर्रिक) प्रार्थना - पत्र संख्या .... सन १९ \ ८०]

.... सं० .... सन १९ ८० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यर्थी

....

....

.... प्रत्यर्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उसके पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलावें कि प्रार्थना-पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति लिखी और दी जायेगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

लिपि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम १ के अधीन प्राप्त अधिकार के अनुसार जारी किया गया।

अध्याय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

124 65

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3620(W) सन १९85ई०

1334 सं० सन १९85ई० में

Shri J.P. Jain Asstt. Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others. प्रत्यार्थी

Shri D. Banerji

C/ Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७-नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

125 65

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.........सन १९८ ई०

1321 ....सं०.............. ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक ...20... माह ...12... सन १९8 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके वाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक ...20... माह ...11... सन १९ 8 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

1260 66

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 582(w) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई० में

Shri Jain Asstt Engineer Doordarshan Lucknow .... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others .... प्रत्यार्थी

Shri H.S. Wilson
c/o Director General All India Radio
New Delhi .... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को (या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

(signature)
डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

127

66

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

.....

.....

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 25 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

128 67

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3876 (W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० सन १९ 85 ई०

Shri J.P. Jain ... Darvelasha Lucknow ... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ... प्रत्यार्थी

... S.C. ...

C/o D... ... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...के नाम ...के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

129 67

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

—.................................सं०................ ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

Shri D.C. Das.

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक ...20... माह ...12... सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक ...20... माह ...11... सन १९85 को जारी किया गया ।

......................................के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिला

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

130

68

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3620 सन १९ 85 ई०

1334 सं० .... सन १९ ई० में

J.P. JAIN Asst. ... Engineer ... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri T.R. Mehta

c/o Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

(31) 68

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.....सन १९ ई०

.....सं०..... .....सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....

.....

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

132 69

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग 3420 (..) 85

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ....सन् १९ ई०

J P Jain Asst. Manager Dir... Lucknow

—..................................सं०.................. सन १९ ई० में

....प्रार्थी

Union of India & others

प्रति

Shri V K Prasad

....प्रत्यार्थी

C/o Director General ... New Delhi

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को (या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया) जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..................................के एडवोकेट

तिथि..................................

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

—.............................सं०................ ....सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

...........Shri V.S. Prasad...प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को (या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

...........................के एडवोकेट

तिथि...........................

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के अधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ३६२७(W) सन १९८५ ई०

1334

.....सं०..... .....सन १९८५ में

J P JAIN Asst Hmty Corporation Lucknow .....प्रार्थी

प्रति

Union of India & Ors .....प्रत्यार्थी

Ram Nat

C/o Director General Health Services

New Delhi .....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

135 70

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या [illegible] सन १९ 85 ई०

13311 .... सं० ....सन १९ 85 ई० में

[illegible] .... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को / या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

(signature)

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

[illegible stamp]

131 78

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) 13 प्रार्थना पत्र संख्या 3420(w) सन १९85 ई०

J P JAIN Asst. Station Engineer, Doordarshan Lucknow सन १९ 85 ई० में प्रार्थी

प्रति

Union of India & others. प्रत्यार्थी

Shri Raj Kumar Garg
C/o Director General All India Radio
New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...................................के एडवोकेट

तिथि..................................

(signature)

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

B 71

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ 85 ई०

.... सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को, या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

138 72

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420 सन १९ 85

— 1531 सं० सन १९ 85

J P Jain Asst Stn Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri J.P.S. Arora

C/o Director General All India Radio New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

(signature)

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

139 72

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ 85 ई०

—..............................सं०..................... ....सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि..

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

140 93

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3320(W) सन १९ 85 ई०

1334 सं० ..... सन १९ 85 ई० में

J.P Jain Asst Stn Engineer Doordarshan Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others. ..... प्रत्यार्थी

Smt K C Sulva

C/ Director General All India Radio

New Delhi ..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 2 माह 12 सन १९85 की या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

१५१ 73

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ 85 ई०

.... सं० .... सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

142 74

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 5424(W) सन १९85 ई०

1374 सं० सन १९ ई० में

J.P. Jain Asst. Stn. Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Shri M.P.N. Singh

C/o Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

143 74

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना भिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

144 75

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९85 ई०

— 1334 सं० सन १९85 ई० में

J.P. Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

K. Srinivasan ~~A. Srichaman~~ C/O Director General All India Radio New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में के नाम के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जावेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

के एडवोकेट

तिथि

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायलय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

145 75

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820(W) सन १९ 85 ई०

— 1334 सं० सन १९85 ई० में

J. . Jain Asst Station Engineer Doordarshan Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union Of India & Others प्रत्यार्थी

R. Srinivasan
~~A. Gotcharan~~ C/O Director General All India Radio New Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायलय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

146 76

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ...... सन १९ ई०

...... सं० ...... सन १९ ई० में

...... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ...... प्रत्यार्थी

S.K. Chatterji G. Dir. Gen All India Radio New Delhi

...... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ...... के नाम ...... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

...... के एडवोकेट

तिथि ......

2 9 NOV 1985

SEAL OF THE HIGH COURT

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

147 76

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली क अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना भिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

148 77

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3520 सन १९ ई०

— 1236 सं० सन १९ ई० में

S. K. Jain Asst. Stn. Engr. AIR Lucknow प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Madan Lal Go. Dir. Gen All India Radio N. Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

149 77

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या............सन १९ ई०

—...............................सं०.................. ....सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

All India Radio

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनबाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

...................................के एडवोकेट

तिथि...

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना— इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

150 78

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W 85 सन १९ ई०

1334

J.P. Jain Acct. Sti Engr. W.R.C. Lucknow .... में .... सन १९ 81 ई० में .... प्रार्थी

Union of India & Others .... प्रति .... प्रत्यार्थी

K. K. Kaoo, Dir Gen All India Radio N Delhi ....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर। कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

लिपि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

151 78

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 1120 W सन १९85 ई०

1324 सं० .... सन १९ ई० में

[illegible] .... प्रार्थी

प्रति

Union of India & others .... प्रत्यार्थी

[illegible] All India [illegible]

[illegible]

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

THE SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम-२ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

52 79

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3820 W सन १९ 86 ई०

1331 सं० सन १९ 86 ई० में

J. P. Jain Asst Sh. Engg. & E.K. Lucknow) प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others प्रत्यार्थी

N.V.R.S. Regn. Cl. Div. Gen. All India Radio N. Delhi

प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना - पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 86 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना - पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना - पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना - पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 86 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

80

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 22274 सन १९85 ई०

1334 सं० सन १९ ई० में

K.P. Jain Asst. Stn. Engr. ... प्रार्थी

प्रति

Union of India (...) ... प्रत्यार्थी

... Gen. All India Radio N. Delhi

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

154 80

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ ई०

—............ सं०............ ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

Union of India & Anr. ....प्रत्यार्थी

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अत: आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

............................के एडवोकेट

तिथि..............................

[signature]

डिप्टी रजिस्टार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

55 81

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन ८५ ई०

........................सं०.................. ......सन १९ ई० में

....प्रार्थी

प्रति

Union of India & Others ....प्रत्यार्थी

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

........................के एडवोकेट

तिथि........................

(हस्ताक्षर)

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

156 81

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या.................सन १९ ई०

—................................सं०................ ......सन १९. ई० में

....प्रार्थी

प्रति

....प्रत्यार्थी

....

....

....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक ......20 माह......12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक ......20 माह......11 सन १९85 को जारी किया गया ।

....के एडवोकेट

तिथि..

(हस्ताक्षर)

डिप्टी रजिस्टार

इलाहाबाद/लखनऊ

HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

52

151

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या [illegible] सन १९ 85 ई०

1324 सं० .... सन १९ ई० में,

[illegible] .... प्रार्थी

प्रति

[illegible] .... प्रत्यार्थी

O P [illegible]

[illegible]

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को, या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

SEAL OF THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलबाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को, या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलबाना मिल गया ।

तलबाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

158

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९[illegible] ई०

..... 1334 ..... सं० ..... सन १९[illegible] ई० में

J. P. Khan Asif Sh. Inder [illegible] Lucknow ..... प्रार्थी

प्रति

Union of India & Ors. ..... प्रत्यार्थी

J. P. Bhargava Gr. Ew. Gen. Ali India Mathu Nizamuddin

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

IN THE HIGH COURT AT ALLAHABAD

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना भिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

[illegible]

159

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

..... प्रार्थी

प्रति

..... प्रत्यार्थी

..... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ..... के नाम ..... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९८५ को जारी किया गया ।

..... के एडवोकेट

तिथि .....

ALLAHABAD HIGH COURT

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

160 84

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या 3420(W) सन १९ 85 ई०

1371 सं० सन १९ ई० में

H T Jain Asst. Store Engr. Estt. (Lucknow) प्रार्थी

प्रति

Union of India & others प्रत्यार्थी

Madan Mohan Thakur

Ch. Director General All India Radio

New Delhi प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

(signature)

डिप्टी रजिस्ट्रार

~~इलाहाबाद~~/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय १७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९८५ को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनाँक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनाँक 20 माह 11 सन १९ ८५ को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

तिथि .....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय २७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वलर्क के हस्ताक्षर

162 85

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानीं विभाग 3820W 85

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन 85 ई०

...... सन १९ ई० में ...... Lucknow

.... प्रार्थी

प्रति

V. Rajalingam ... Director General All India Radio New Delhi .... प्रत्यार्थी

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनाँक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

.... के एडवोकेट

HIGH COURT

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

85

163

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णिक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या .... सन १९ ई०

.... सं० ....सन १९ ई० में

.... प्रार्थी

प्रति

.... प्रत्यार्थी

....

....

.... प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .... के नाम .... के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 06 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव। उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो इस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया।

.... के एडवोकेट

तिथि ....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना — इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

164

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णांक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या [illegible] सन १९८५ ई०

1334 सं० .... सन १९८५ ई० में

[illegible] Lucknow ....प्रार्थी

प्रति

Union of India & others ....प्रत्यार्थी

[illegible] ....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ....के नाम ....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थित में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९85 को जारी किया गया ।

..................के एडवोकेट

तिथि..................

डिप्टी रजिस्ट्रार

इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना—इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना मिल गया।

तलवाना प्राप्त करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर

165 86

हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेन्च, लखनऊ

(अध्याय १२, नियम १ और ७)

दीवानी विभाग

प्रकीर्णक (मुतफर्रिक) प्रार्थना पत्र संख्या ..... सन १९ ई०

..... सं० ..... सन १९ ई० में

.....प्रार्थी

प्रति

.....प्रत्यार्थी

.....प्रत्यार्थी

चूंकि ऊपर लिखे प्रार्थी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमे के सम्बन्ध में .....के नाम .....के लिये प्रार्थना – पत्र दिया है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 20 माह 12 सन १९ 85 को या उससे पूर्व उपस्थित होकर कारण बतलायें कि प्रार्थना – पत्र क्यों न स्वीकार कर लिया जाव । उक्त प्रार्थना – पत्र की सुनवाई उसके बाद नियमानुसार विज्ञप्ति किसी और दिन होगी ।

विदित हो कि आप ऊपर लिखे दिनांक पर या उससे पहले स्वयं अथवा किसी एडवोकेट या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आप की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत हो उपस्थित न होंगे तो उस प्रार्थना – पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हो जायेंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 20 माह 11 सन १९ 85 को जारी किया गया ।

.....के एडवोकेट

.....

डिप्टी रजिस्ट्रार
इलाहाबाद/लखनऊ

सूचना – इस न्यायालय की १९५२ की नियमावली के अध्याय ३७ नियम २ के आधीन प्राप्त तलवाना भिल गया ।

तलवाना प्राप्त करने वाले वकील के हस्ताक्षर

166

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
Circuit Bench, Lucknow.

No.CAT/LKO/Jud/ 4341 - date the ....

T.A.No. 1727/87 (T) of 1990 (T)

Jiwan Prakash Jain .... Applicants.

Versus.

Union of India .... Respondents.

To

(i) Union of India through the Secretary to the Govt of India Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi

(ii) the Director General of India Radio New Delhi

Whereas the marginally noted cases has been transferred by H.C. Lko .... under the provision of the Administrative Tribunal Act 13 of 1985 and registered in this Tribunal as above.

Writ petition No. 1334/85 of 19......... of the Court of H.C. Lko .... arising out of of order dated ....../....... passed by ..../......... in ....

The Tribunal has fixed date of 31-8-90 ...1990. The hearing of the matter. If no appearance is made on your behalf by our some one duly authorised to Act and Plead on your behalf.

The matter will be heard and decided in your absence. Given under my hand seal of the Tribunal this 25 day of 4 ......1990.

Rafe N. U. By Registered

DEPUTY REGISTRAR

Bhartiya

(iii) The Director General of Doordarshan Mandi House New Delhi

(iv) The Secretary, Union Public Service Commission Shahjahan Road New Delhi

through to D S Randhawa Senior Standing Counsel High...

Recd copies for 1 to 3 ... 25-4-90

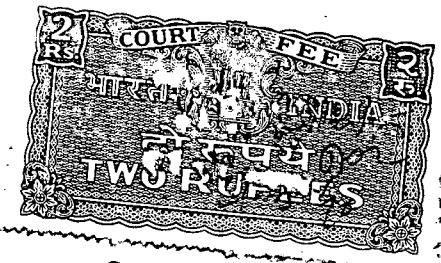

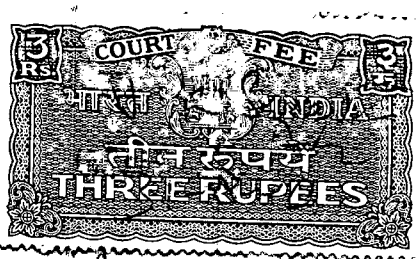

S.No 29

COURT FEE INDIA TWO RUPEES

COURT FEE INDIA THREE RUPEES

IN THE COURT OF...... Central Tribunal — Lucknow
No JURISDICTION

of 1990 167

in re :-

......Jeevan Prakash Jain.........Piff of App. or Complainent

VERSUS

......Union of India.................. Defdt. or Respt. or Accused

T.A. No. 1722/89

KNOW ALL to whom these presents shall come that I/We..
......................the above named..do hereby appoint

Shri Vijai Kumar Srivastava

S.No 29

Advocate

herein after called Advocate to be my/our Advocates in the above noted case and authorise them

To act appear and plead in the above-noted case in the Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Courts including High Court:

To sign, verify and present pleadings,reaplications, appeals cross-objections or petitions for executions, review, rvision, restoration, withdrawal, compromise, or other petitions, replies objections of other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take documents.

To withbraw or compromise the said case orsubmit ot arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take out execution proceedings.

Todeposit draw and receive moneys. cheques and grant receipts and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising uim to exercise the power and autuorised hereby conferred upon the Advocate when ever he may think fit to do so & to sign the power of attorny on our behalf..

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/we undertake that I/we or my/our duly authorised agdnt woald appear In Court on all heaing & will inform the Advocate fcr appearance when the casd is callad.

Aud I/we unpersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in cosnequence of his absence from the Court when the said case is called up for heoring or for any negligence of the said Advocate or his substitute.

And I/we he undersigned do hereby agree that in the event of the or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advoeate remaining unpaid he shall be hntitled to withdraw from the prosecution of thd said case until the same is paid up. If any costs are allowed for an adjournment the advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHERE OF I/we do hereunto set my/our hand to these present the contents of which have been stood by me/us this ....31.......day of....August....19

ADVOCATE

Accepted

Accepted
on behalf of
the petitioner
Adv 31.8.90

Client

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
23-A Thornhill Road, Allahabad-211 001

O/C

A/169

******

T.A.No. 1727 of 19[illegible]

No.CAT/Alld/Jud 41310-11 Dated the ____________

S.P.Saini ______________ APPLICANT(S)

VERSUS

Union of India ______________ RESPONDENT(S)

TO

1- Shri Harguru Charan, Advocate, Lucknow High Court Lucknow.
2- Chief Standing Counsel (C.G.) Lucknow High Court Lucknow.

Whereas the marginally noted cases has been transferred by ______ H.C.LKO ______ Under the provision of the Administrative Tribunal Act XIII of 1985 and registered in this Tribunal as above.

Petition No. 1334 198 5 of the Lucknow High Court, Lucknow	The Tribunal has fixed date of 14-12-1989 1989. The hearing of the matter at Gandhi Bhawan, Opp. Residency, Lucknow. If no appearance is made on your behalf by your some one duly authorised to act and plead on your behalf

the matter will be heard and decided in your absence.

Given under my hand seal of the Tribunal this 25th day of August 1989.

dinesh/

DEPUTY REGISTRAR

A/R · N.C

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
Circuit Bench, Lucknow.

No.CAT/LKO/Jud/ 3850 to 3851 date the 6/3/90

T.A.No. 1727/87 of ~~1990~~ (T)

J.P. Jain ... Applicants.

Versus.

Union of India ... Respondents.

(1) To Jiwan Prakash Jain Asstt- Station Engineer Doordarshan Kendra, Lko S/o M.P. Jain r/o M.G. 2 Sector C Aliganj Lko

Whereas the marginally noted cases has been transferred by H.C.Lko under the provision of the Administrative Tribunal Act 13 of 1985 and registered in this Tribunal as above.

Writ petition No. 1334/85 of 19... of the Court of H.C.Lko ... arising out of of order dated ... passed by ... in ...	The Tribunal has fixed date of 17/4/90 1990. The hearing of the matter. if no appearance is made on your behalf by our some one duly authorised to Act and Pl on your behalf.

The matter will be heard and decided in your absence. Given under my hand sesl of the Tribunal this 6 day of 3 1990.

DEPUTY REGISTRAR

Bhartiya/

(2) Sri Hari Gulati Charan Adv High Court Lucknow

A/191 Civil
24/4/90

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
Circuit Bench, Lucknow.

No.CAT/LKO/Jud/ 4333 date the ....

T.A.No.1727/87(T) of 1990 (T)

Jiwan Prakash Jain .... Applicants.

Versus.

Union of India .... Respondents.

To

Sri, D. S. Randhawa (Adv), Senior standing Counsel Govt of India High Court Lucknow

Whereas the marginally nted cases has been transferred by H.C. LKO .... unde the provision of the Administrative Tribunal Act 13 of 19 and registered in this Tribunal as above.

Writ petition No 334/85 of 19.......... of the Court of H.C. LKO .... arising out of or order dated .... passed by ....

The Tribunal has fixed date of 31/8/90 1990.The hearing of the matter. if no appearance is made on your behalf by your some one indully authorised to Act and Plead on your behalf.

The matter will be heard decided in your absence. Given under my hand s of the Tribunal this 19 day of 4 199

DEPUTY REGISTRAR 24/4/90

Bhartiya

A/172

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

CIRCUIT BENCH LUCKNOW

T.A. NO.1727 of 1987 (T)
(W.P. NO.1334 of 1985)

J.P. Jain	......	Applicant.
	Versus	
Union of India & Ors	......	Respondents.

17.4.1990

Hon'ble Mr. D.K. Agrawal, J.M.

Hon'ble Mr. P.S. Habib Mohammad, A.M.

The petitioner's son has appeared with an authority from the petitioner. Letauthority be kept on record. No one appears for the repondents. On the last date of hearing i.e. 27.2.1990, me of Shri D. Chandra appears, however, he says that he oen't appeared nor he remember, how his name was recorded as counsel for the respondent, on this last date of heang.

Lot notice be se to Senior Standing Counsel, Govt. of India.

The petitioner'son has informed us that the petitioner is not to adnything except, what he has urged in the petition. the circumstance, let the respondents, if they; sesire, may file their counter affidavit within 6 weekhereof.

List it for heg on 31.8.1990.

checked
24/4/90

Sd/-	Sd/-
A.M.	J.M.

/// True Copy ///

rrm/

24.4.90
Registrar
Central Administrative Tribunal
Circuit Bench,
Lucknow

In the Central Administrative Tribunal, Lucknow Bench, Lucknow.

Writ Petition No. 1334/85 in The High Court of Lucknow Bench

T.A. No. 1727/87 CAT Ref. No. CAT/LKO/JUD/3858 Dated 6-3-90

J.P.Jain, ----------Applicant

In the Matter of

J.P.Jain, ----------Petitioner

Versus

Union of India and others ----------Opposite Parties.

The petitioner most respectfully begs to submit that in response to the CAT notice No. CAT/LKO/JUD/3858 dated 6-3-90, the petitioner may kindly be allowed to be represented by Shri Rakesh Jain as the petitioner is unable to be present personally in view of being away to his place of posting at Doordarshan Maintenance Centre, Shri Ganganagar, Rajsthan.

J.P.Jain,

(Petitioner). 15/4/90.

filed today
17/4/90

ORDER SHEET

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

W.P. No. 1334 of 1985

vs.

	Date	Note of progress of proceedings and routine orders	Date of which case is adjourned
	1	2	3
	27-3-85	Hon SS Ahmad, J Hon B Kumar, J The petitioner is placed — — — — — — — — — W.P. Sd. SS Ahmad Sd. B Kumar 27-3-85 C.M. Appl. 3820 (W) 85	
	27-3-85	Hon SS Ahmad, J Hon B Kumar, J For orders see our order of date — — — W.P. Sd. SS Ahmad Sd. B Kumar 27-3-85	
	1-4-85	C.M.A. 4046(W)-85	
	23-5-85		to Bench By AR
	6/9/85	fixed with CMA 3820(W)-85 & 4046(W)-85 for orders	to Bench (By AR)

ORDER SHEET

IN THE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD

No. 1334 of 1985

vs.

Date	Note of progress of proceedings and routine orders	Date of which case is adjourned
1	2	3
6.9.85	Writ with CM 3820-85 Hon SCM J Hon GBS J	
6.9.85	[illegible] [illegible] [illegible] 9.9.85	
13.9.85	Writ with CM 3820-85 [illegible] Hon SCM J Hon GBS J	
7.10.85.	Hon SCM J Hon GBS J Put up tomorrow [illegible] 7/X/85	to Bench By AR
8.10.85	Hon S.C.M. J. Hon G.B.S. J. Put up to-morrow as the first case 8.10.85	

ORDER SHEET

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

No. 1334 of 1985

vs.

Date	Note of progress of proceedings and routine orders	Date of which case is adjourned
1	2	3
31.10.85	HOSCMR MOC, B37 Admit, Issue notice. Stay granted B.S.C. 31/10/85	To Bench By C.Copy 28.10.85
19/11/85	C.M. An. No. 13, 100 (W)-85 Hon. D.N. Jha J. The prayer is allowed. The petitioner may be given Dasti summons to effect service on O.Ps. 5 to 86 through the Director General of All India Radio, New Delhi. The expenses will be borne by the petitioner himself. The certificate of service shall be filed by the petitioner. Sd. D.N. Jha 19.11.1985	Received dasty summons for opposite parties No. 5 to 86 only Joshi 20-11-85 for Hargovind Charan Adv.

A/83

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,
CIRCUIT BENCH,LUCKNOW.

MISC.APPLICATION NO._____OF 1991.

On behalf Respondents.

In

Case No.T.A.1727 of 1987

(W.P.No.1334/85)

Jeewan Prakash .....Applicant.

Versus

Union of India & others.....Respondents.

*****

APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY

The respondents respectfully beg to submit as under :-

1. That the Counter-affidavit on behalf of the respondents could not be filed within the allotted time as a perusal of the court file revealed that the Counter-affidavit in the above case was not filed in the Hon.High Court. The department was informed accordingly.

2. That the after the para-wise comments were received the draft Counter-affidavit was sent for vetting to the deptt.

3. That the approved Counter-affidavit has been received and is being filed without any further loss of time.

4. That the delay in filing the Counter-affidavit is bonafide and not deliberate and is liable to be condoned.

WHEREFORE, it is praved that the delay in filing the Counter-affidavit may be condoned and the same may be brought on record for which the respondents shall ever remain grateful as in duty bound.

Lucknow.

Dated;

(DR.DINESH CHANDRA)

Counsel for the Respondents.

11/9.

A/84

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

COUNTER-AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENTS NOs. 1-3.

In re

T.A. 1427/87

(Writ Petition No. 1334 of 1985.)

Jeewan Prakash..................................Petitioner.

1991
AFFIDAVIT
48 M
DISTT. COURT
U. P.

Versus

Union of India & Others.......................Respondents.

******

I, VILAYET JAFRI aged about 55 years, son of Shri IQBAL HUSSAIN.,.Director Doordarshan Kendra, Lucknow...........
do hereby solemnly affirm and State as under :-

1. That the deponant has read the writ petition filed by Shri Jeewan Prakash and has understood the contents thereof.

2. That the deponant is well conversant with the facts of the case deposed hereinafter.

3. That in order that the submissions made by the deponant may be appreciated in their true perspective it will be worthwhile to give a brief history of the case as under :-

:; BRIEF HISTORY OF THE CASE ;-

The petitioner was communicated adverse remarks from his Annual Confidential Reports (A.C.R.) for the

Contd...2/-

years 1975 and 1976 on 10-6-76 and 13-3-78 respectively. The adverse remarks were later on expunged on 27-2-79 and 20-12-78 respectively.

The petitioner was considered for officiating promotion to the post of Asstt. Station Engineer by the Departmental Promotion Committee held in February, 1978 but was not found fit for promotion. In the year 1981, he was again considered for promotion by D.P.C. and was promoted to the post of Asstt. Station Engineer w.e.f. 12-3-81. Consequent upon the expunction of adverse remarks for the years 1975 and 1976 another Departmental Promotion Committee was convened in the year 1983 by circulation to review the proceeding of the D.P.C. held in 1978. Taking into account the service record of the petitioner as though the expunged adverse remarks were nonexistant, this D.P.C. gave him a low grading and placed him below Shri D.L.Narang and above Shri Subhash Chandra in the Select penal drawn by the 1978 D.P.C. As per recommendation of this D.P.C., the petitioner was given notional seniority with effect from the date when his next junior from the select penal of the year 1978 namely Shri Subhash Chandra had taken over as Asstt. Station Engineer i.e. from 16-6-80. As against this, the petitioners contention that he

Contd..3/-

A/86

should have been promoted in the year 1978 itself and his seniority should be fixed above Shri I.M.Sudan who was next junior to him in the grade of Astt. Engineer is not tenable on account of the fact that the Asstt.Engineers who were junior to the petitioner got promoted as Asstt.Station Engineer vide Ministry of I & Bs Order No.7/78-B(D)dt.24-5-78 (Annexure A-XI R-1) and Order No.9/78-B(D) dt.21-9-78 (Annexure A-XI.A R-2) by nature of their merit.

-: PARA-WISE COMMENTS :-

4. That the contents of para 1 to 14 of the writ petition are admitted.

5. That in reply to paras 15 to 16 of the writ petition it is admitted that the adverse remarks from the petitioners A.C.Rs for the years 1975 and 1976, which were communicated to him on 10-6-76 and 13-3-78 respectively, were expunged vide Director General letters dt.20-12-78 and 27-2-79 respectively. His contention that specially in preference to his juniors in the seniority list he would have been promoted in the absence of these adverse remarks is not correct. The post of Asstt.Station Engineer is a selection post and the selection is done by the Departmental Promotion Committee as per provisions of the All India Radio (Class I and II Engineering posts) Recruitment Rules, 1972 notified on 30-8-72. Accordingly the proceedings of

Contd...4/-

of 1978 D.P.S. were reviewed by the D.P.C. held in 1983 and the service records of the petitioner were assessed ignoring the expunged adverse remarks. In terms of comparative merit the petitioner was categorised as "Good" and was placed below Shri D.L.Narang and above Shri Subhash Chandra in the Select Penal drawn by the 1978 D.P.C. As per the said rules and as also admitted by the petitioner in para 14 of the petition an Asstt.Engineer could be dropped from being promoted as Asstt.Station Engineers not-with-standing the presence or absence of adverse remarks in A.C.Rs. It depends upon the merit categorisation as assessed by the D.P.C. after examination of the respective records of service of the candidates.

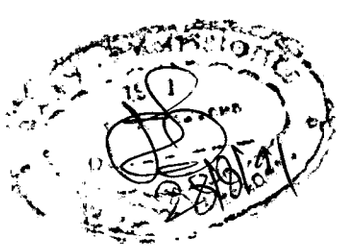

6. That the contents of para 17 to 20 are admitted.

7. That the contents of para 21 are admitted to the extent that the petitioners was considered by the D.P.C. for the year 1978 alongwith other candidates who were within the zone of consideration. This does not imply that he had been selected by that D.P.C. for promotion. In fact he was promoted as Asstt.Station Engineer w.e.f.12-3-81 on the basis of the D.P.C. held in the year 1980.

8. That the contents of paras 22 to 34 are admitted.

9. That in reply to para 35 of the writ petition it is stated that petitioner was not considered for promotion to the post of Superintending Engineer by the D.P.C. held on

Contd...5/-

11-3-85 because he was not within the consideration zone being at Serial No.351-A of the Seniority List of Asstt. Station Engineer as on 5-11-81 and circulated on 1-4-82.

10. That the contents of para 36 need no comments.

11. That in reply to para 37 it is stated that according to the Recruitment Rules for the post of Asstt.Station Engineers, 40% of the vacancies in the grade are filled by promotion through a Departmental Promotion Committee by selection from amongst Asstt.Engineers in A.I.R. with three years service in the grade.

The procedure to be observed by the D.P.C. for making promotions by selection method as contained in the Cabinet Secretariat, O.P. & A.R's O.M.No.22011/6/75-Estt.(D), dt. 30-12-76 is extracted below :-

"SELECTION METHOD":- Where promotions are to be made by selection method as prescribed in the Rectt.Rules, the field of choice, viz., the number of officers to be considered should ordinarily extend to 5 or 6 times the number of vacancies expected to be filled within a year. The officers in the field of selection excluding those considered unfit for promotion by Departmental Promotion Committee, are categorised as "Outstanding", "Very Good" and "Good" on the basis of their merit, as assessed by the D.P.C. after examination of their respective records of service. In other words, it is entirely left to the D.P.C. to make its own classification of the

Contd..6/-

officers being considered by them for promotion to selection posts, irrespective of the grading that may be shown in the A.C.Rs. The penal should, thereafter, be drawn up to the extent necessary by placing the names of the "Outstanding Officers" first, followed by the officers categorised as "Very Good", and thereafter by officers categorised as "Good". The inter-seniority of officers belonging to one category would be the same as their seniority in the lower grade.

A D.P.C. for selection of A.Es for officiating promotion to the cadre of A.S.Es, A.I.R. was convened on 16th, 17th, 18th & 25th February, 1978 in the office of the U.P.S.C. The Committee considered 125 A.Es who were in the zone of consideration for officiating promotion to the grade of ASEs. The petitioner was also considered by this D.P.C. but he was assessed as 'Net yet Fit' in accordance with procedure for selection method contained in the instructions referred to above. He, therefore, could not find a place in the panel of A.Es drawn by the D.P.C. for officiating promotion to the grade of A.S.Es in the year 1978. This D.P.C., however, agreed to review his case, should the adverse remarks from his C.Rs for the years 1975 & 1976 were expunged.

The contention of the petitioner, therefore, that he should have been promoted in the Ordinary Course in the year 1978 itself and not in 1981 and that his position in the seniority list of A.S.Es ~~as in Annexure VIII~~, should

Contd..7/-

be at S.No.270 and not S.No.352 is incorrect. The methpd of promotion as already emphasised is by selection on the basis of merit as assessed by the D.P.C. after examination of the relevant records of service and not automatic based on seniority alone. The action of the Government is, therefore, not arbitary and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India.

12. That the contents of para 38 need no comments.

13. That the comments on the grounds advanced by the petitioner in para 39 of the petition are given below seriatim :-

(1) As already stated, the D.P.C. held during the year 1978 did not consider him fit for promotion as ASE taking into consideration inter-alia, the record of service of the petitioner. It, however, decided to review his case for promotion should the adverse remarks be expunged from A.C.Rs for the years 1975 & 1976. Consequent upon the expunction of these adverse remarks, in confirmity with the procedure, a review D.P.C. was convened in the year 1983, by circulation, to review the proceedings of the D.P.C. held in February, 1978 in respect of the petitioner. The review D.P.C. gave him a low grading and placed him below Shri D.L.Narang (S.No.351) and above Shri Subhash Chandra (S.No.352) in the select list drawn

Contd..8/-

up by the earlier D.P.C.in the year 1978. The recommendation of the D.P.C. were given effect to by promoting the petitioner notionally w.e.f.16-6-80 as ~~per para~~ 4 & 5 ~~under XI of~~ Annexure.A-IX. ~~A copy of this promotion order is filed, herewith, as Annexure.R-6.~~ His place in the seniority list of A.S.Es was also revised accordingly and fixed at S.No.351-A in the appropriate place. This action of the Government is, therefore, not illegal or arbitnary, but in accordance with the rules/procedures laid down in this regard.

(2) In view of (1) above, the placing of 82 persons who were junior to the petitioner in the grade of A.E above the petitioner in the grade of A.S.E. is according to the rules.

(3)&(4) The legal right of the petitioner about his seniority in service has not been infrenged and he has been placed at the appropriate place in the seniority list as per recommendation of the review D.P.C. The adverse remarks from the C.Rs of 1975 & 1976 of the petitioner, which were expunged later, were not the basis for placing his name in the seniority list at S.No.351-A ~~of the petitioner~~ by the review D.P.C. because the assessment by the D.P.C. is based on merit depending upon the record of service

Contd..9/-

A/92

of the officer. Hence, there has been no violation of Article 14 & 16 of the Constitution of India.

(5) No comments.

(6) In the year 1978 the petitioner was not considered fit for promotion owing to adverse entries but no sooner these were expunged, the review D.P.C. was convened and according to its recommendations he was given notional promotion w.e.f. 16-6-80 when his next immediate junior took over charge on promotion as A.S.E. from the select panel of the year 1978. It is wrong to say that one adverse entry was not even communicated. Both the adverse entries from his C.Rs for the years 1975 & 1976 were communicated and later expunged.

(7)&(8) The assessment by the D.P.C. and the select list drawn up by them being confidential documents, no reasons could be disclosed to the petitioner. He was informed of the same vide D.G.A.I.R!s Memo No.9/7/81-S.III(Pt.I)dt.23-9-82 (Annexure.A-X). He was also informed that not-with-standing the adverse remarks from his A.C.Rs for the years 1975 & 1976 he had been accorded the right place in the revised seniority list.

(9) There was neither infringment of his legal right nor violation of legal duty by the Government

Contd..10/-

and he has been placed at the correct position in the seniority list. He was given notional promotion w.e.f. 16-6-80 when his next junior, Shri Subhash Chandra (S.No.352) took over on promotion as A.S.E. The juniors to the petitioner in the grade of A.E. got promoted in 1978 as Asstt. Station Engineer by virtue of their merit and not otherwise.

(10). The fact of expunction of adverse marks was brought to the notice of the review D.P.C. in the year 1983. Mere expunction of adverse remarks does not by itself call for review of the earlier D.P.C. In the petitioner's case, it was found that the expunction of adverse remarks justified review. The approval of the appointing authority and U.P.S.C. was accordingly taken and thereafter his case was placed before the review D.P.C. in the year 1983. This review D.P.C. placed him at the appropriate place in the select list drawn up by the D.P.C. held in the year 1978.

(11). The Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981 and its amendment dated. 13-9-82 is not relevant to the issue. In his case the A.I.R.(Class I & II Engineering Posts)Recruitment Rules, 1972 alone apply. The mere fact that the petitioner's representation has been allowed partly does not

Contd...11/-

confer any claim to place him above Shri I.M.Sudan at S.No.270 of the seniority list drawn up on 5-11-81. As already stated the method of promotion is by selection and the review D.P.C. considered his case as if the adverse remarks were non-existent and placed him at the appropriate place in the select list of Officers considered fit for promotion below Shri D.L.Narang (S.No.351) and above Shri Subhash Chandera(S.No.352). His position was, therefore, raised from S.No.357 to 351-A.

(12). The petitioner was selected by the D.P.C.held on 12-12-80 and promoted as A.S.E. in 1981 in the normal course as he was dropped by the earlier D.P.C.held in February,1978. The Review D.P.C. re-assessed his service records and on the basis of merit grading assigned him seniority over his junior of the same grading. The petitioner's claim, therefore, that he should have been given notional promotion from 31-5-78 when Shri I.M.Sudan next junior to the petitioner in the grade of A.E. had been promoted alongwith 62 others is baseless. The petitioner was selected for promotion by the review D.P.C. held in the year 1983 to review the proceedings of the D.P.C.held in 1978. Because of the placing he acquired in this review D.P.C. he could not be given notional promotion with

Contd...12/-

A/95

reference to Shri I.M.Sudan but only with reference to Shri Subhash Chandra who was next junior to the petitioner and had been promoted w.e.f. 16-6-80.

(13). Though the I.B.(E) S.Rules have been enforced w.e.f.5-11-81 and all other rules stood repealed vide Section 16, but the proviso to the said section saves action already taken under the old rules. The petitioner's case, therefore, does not fall under the per-view of I.B.(E)S.Rules. Besides the applicability of these rules is not relevent as the petitioner claims promotion in 1978, long before the rules came into being.

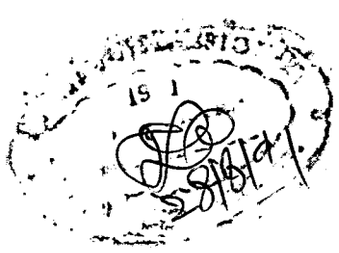

(14)&(15). The petitioner has already been granted relief with reference to his representation by granting him notional promotion w.e.f.16-6-80 under the rules. The petitioner is not, therefore, entitled to any further relief under the rules or under any Article of the Constitution of India.

Deponant.

-: VERIFICATION :-

I, the above named deponant do hereby verify that the contents of paras 1 and 2 of this affidavit are true to my personnal knowledge and those of paras 3 & 15

Contd..13/-

4/96

are believed by me to be true based on records and as per legal advise of my counsel. That nothing material facts has been concealed and no part of it is false, so help me God.

Signed and verified this the 28th day of Aug 1991 within the court compound at Lucknow.

Lucknow.

Dated; 28.8.91

Deponant.

I, identify the deponant who signed before me.

(ADVOCATE). 28/8/91.

28/8/91

11.15 am V. Zafari
D. Chandra
Advo

P. S. 28/8/91

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

11.3.92

In Case No:T.A. 1727 of 1987,

(Writ Petition No. 1334/85).

Jiwan Prakash - - - - - - - - - - - - Applicant

Versus

Union of India and others - - - - - Respondents.

The applicant begs to submit as under:-

(1) That the copy of the application for condonation of delay along with Counter Affidavit described to be on behalf of respondents No:1 to 3 had been received by Shri V.K. Srivastava, Advocate, Counsel for the Applicant. Shri V.K. Srivastava is a no more a Counsel of the Applicant. It may be mentioned here thatthe counter affidavit has been sworn by Shri Vilayat Jafri, Director Doordarshan Kendra, Lucknow, who is not a party in the writ petition. In his Affidavit Shri Vilayat Jafri has also not mentioned the fact whether he has been authorised by the opposite -parties No.1 to 3 in the Writ petition to file the affidavit on their behalf.

filed today
3/3/92

(2) That unless and until Shri Vilayat Jafri on oath states as to who authorized him to file the Counter-

(contd.... 2)

affidavit ~~xxxxxxxx~~ and to what is his source of knowledge for stating the facts in the counter affidavit to which he is not a party, the Counter-affidavit cannot be read in evidence. In the copy of the Affidavit supplied to the applicant the places in the verification have been left blank without specification as to which paragraph have been verified to be true on the basis of personal knowledge and which paragraph have been verified to be true on the basis of the record.

(3) That the applicant is not interested in delaying the disposal of the aforesaid case arising out of (Writ Petition No: 1334/85) but it is submitted that there is no justification for condonation of delay as prayed for by opposite-parties unless there is proper Counter Affidavit of the opposite-parties with reasonable explanation for the latches and delay in filing the counter-affidavit.

WHEREFORE, it is most respectfully prayed that the application for condonation delay be rejected and the case be heard on merit and decided without further delay.

Lucknow dated,
March 3/, 1992.

(JIWAN PRAKASH JAIN)
PETITIONER
(In person)

A/92

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

In Case No.T.A. 1727 of 1987.

(W.P.No: 1334/85).

Jiwan Prakash - - - - - - - - - - - - Applicant.

Versus

Union of India and others- - - - - - - Respondents.

A F F I D A V I T

I, Jiwan Prakash Jain aged about 52 years, son of Shri M.P.Jain, resident of C-21, Sector-N, Aliganj, Lucknow, hereinafter referred as the 'DEPONENT' do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent being himself the sole 'Applicant' in the above noted cas and, as such, he is fully conversant with the facts of the above noted case.

2. That the contents of paragraphs (1) to (3) are true to my knowledge of the accompanying application.

Deponent.

Lucknow dated,
March 3, 1992.

(contd.....2)

A/91

Verification

I, Jiwan Prakash Jain, the deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 and 2 of this affidavit are true to my personal knowledge, that no part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God. Signed and Verified this 3 day of March, 1992 within the Courts compound at Lucknow Lucknow dated,

Deponent.

March 3, 1992.

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,

CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

In Case No. T.A.1727 of 1987

(W.P.No.1334/85).

Jiwan Prakash . . . . . .Applicant

Versus

Union of India and Others . . . . . Respondents

I, Jiwan Prakash Jain, aged about 53 years, S/O Shri M.P. Jain, resident of C-E1, Sector N, Aliganj, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponant who is petitioner in the aforesaid case, has read and understood the contents of Para 1-13 (15) of the Counter affidavit sworn by Shri Vilayet Jafri, Director, Doordarshan Kendra, Lucknow. The contents of Para 1 and 2 do not require any reply.

2. The comments on Para 3 by the respondent is partially agreed. The petitioner when given promotion on 12.3.1981 on the basis of Departmental Promotion Committee held in 1980 was given higher grading as it is understood from the fact that the name of the petitioner was among first two candidates of the Departmental Promotion Committee 1980. Once the higher grading was given, the grading was lowered in the convened Departmental Promotion Committee held in 1983. It is difficult to understand and interpret how could one be lowered when he has already been given higher grading.

3. Para 4 needs no comments.

4. In response to Para 5 of the said affidevit, it is partially agreed that the post of Assistant Station Engineer

A/16

is a selection post. The petitioner got higher category in the Departmental Promotion Committee held in 1980 and subsequently lowered in 1983 which, again, is injustice to the petitioner.

5. Para 6-8 need no reply.

6. In reply to para 9, it is stated that once the petitioner is given the proper position in the Seniority List, the promotions later on will be as per the norms.

7. Para 10 needs no comment.

8. In response to para 11 of the said affidevit, the respondent has given the procedure of selection as contained in Cabinet Secretariat, O.P & A O.M No.22011/6/75-Estt (D). dated 30.12.76. No copy of the said O.M. is enclosed. It is felt that the respondent has followed the same procedure for selection for the Departmental Promotion Committee held in 1980 also. In the select list of 1980, the applicant's name existed at position No. 2 clearly indicating the higher grading of the applicant in 1980. Had the Applicant existed in the lower category, the placement in the select list of 1980 would have been much lower. The respondent had mentioned that a Departmental Promotion Committee was convened in 1983 and the petioner was given the lower grading but their was no such mention in the Annexure 17 of the main petion, order dated 18/11/1983 by which the petioner was ordered to be place above Shri Subash Chand and below Shri D L Narang. The grading in 1983 should not have been lowered which is injustice done to the applicant.

8. Para 12 needs no comments.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

A/102

9. In response to para 13 & its subparas, from 1-15, it is further stated that once the petitioner got the higher grading in Departmental Promotion Committee 1980, and then, lowering the grading in 1983 is infringement of the legal right and violation of legal duty by the respondent.

DEPONENT

Dated 2/11/92

Jiwan Prakash Jain

I, the aforesaid deponent do hereby verify that contents of para 1 to 9 of this affidavit are true to my knowledge. No part of the affidavit is false and nothing material has been concealed, so help me God.

DEPONENT

Dated 2/11/92

JIWAN PRAKASH JAIN

I, identify the deponent who has put his signatures in my presence.

JWALA PRASAD VERMA

Clerk to Shri Harguru Charan Senior Advocate

Solemnly affirmed before me on 2/11/92 at 11.20 AM/PM by the deponent Sri Jiwan Prakash Jain, who has been identified by Sri Jwala Prasad Verma , Clerk to Shri Harguru Charan Senior Advocate, High Court, Lucknow.

OATH COMMISSIONER

A.N. KHANAM
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench Lucknow
No. 55/5563
Date 2/11/92